



कर्नाटक सरकार

समाज विज्ञान

(परिष्कृत)

भाग-2

8

आठवीं कक्षा

कर्नाटक पाठ्य पुस्तक सोसाइटी
100 फीट रिंग रोड, बनशंकरी तीसरा स्टेज,
बेंगलूरु - 560 085.

अनुक्रमणिका

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	इतिहास	
7.	मौर्य और कुषाण	1
8.	गुप्त तथा वर्धन वंश	8
9.	दक्षिण भारत-शातवाहन, कदंब और गंग	15
10.	बादामी के चालुक्य और कंचि के पल्लव	22
11.	मान्यखेट के राष्ट्रकूट और कल्याण के चालुक्य	28
12.	चोल और द्वार समुद्र के होयसल	35
	राजनीतिशास्त्र	
3.	मानवाधिकार	41
4.	स्थानीय सरकार	46
	समाजशास्त्र	
3.	सामाजिक संस्थाएं	58
4.	समाज के प्रकार	63
	भूगोल	
3.	वायुमंडल	71
4.	जलमंडल	84
5.	जीव मंडल	93
	अर्थशास्त्र	
3.	राष्ट्रीय आय तथा भारत की अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्र	100
4.	सरकार और अर्थव्यवस्था	110
	व्यावहारिक अध्ययन	
2.	व्यवहार और उद्यम	119
3.	विविध व्यावहारिक संघटनों का उद्भव	128

मौर्य तथा कुषाण

इस अध्याय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होगी

- भारत का प्रथम मौर्य साम्रज्य
- मौर्य साम्रज्य के प्रसिद्ध शासक-अशोक की उपलब्धियाँ, प्रशासन तथा देन
- कुषाणों का इतिहास, तथा कनिष्क का शासन, वास्तुशिल्प और उनकी देन ।
- मौर्य काल में अशोक के साम्राज्य के प्रदेशों को भारत के मानचित्र में प्रदर्शित करना ।

मौर्य

भारत का सर्वप्रथम साम्रज्य मौर्य का है । इन्होंने मगध से राज्य पर शासन किया । चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार तथा अशोक इस वंश के राजाओं में प्रमुख है । यह राजवंश चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया । इनकी ख्याति को यूनानी राजदूत मेंगस्थनीज ने इंडिका में उल्लिखित कर अमर कर दिया है।

आधार ग्रंथ : मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए उपलब्ध आकर ग्रंथ, जो अत्यंत कम है। फिर भी उनसे प्राप्त जानकारी अनमोल है । इनके बारे में विस्तार से दिया जा रहा है।

मेंगस्थनीज की इंडिका : मेंगस्थनीज यूनान के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया । उसने मौर्यों की राजधानी 'पाटलिपुत्र' को अपनी मातृभाषा में इंडिका नामक कृति में उल्लिखित किया है । यह कृति आज हमें उपलब्ध नहीं है । फिर भी उसमें उल्लिखित अंशों के बारे में बाद में आए यूनानी लेखक डियोडोरस, सिक्क्यूलस, स्ट्राबो, प्लीनी तथा अरियन ने अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है । इंडिका रचना से मौर्य काल के नगर प्रशासन, सामाजिक और आर्थिक प्रसंगों की जानकारी मिलती है ।

अर्थशास्त्र : 'अर्थशास्त्र' चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा प्रधान मंत्री कौटिल्य द्वारा लिखित है। इन्हें चाणक्य तथा विष्णुगुप्त भी कहा जाता है । अर्थशास्त्र ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखित है। इसमें एक राजा को ज्ञात रखने वाले राज्य प्रशासन, विदेश नीति, न्याय प्रसंगों का विवरण दिया गया है । इस ग्रंथ से मौर्य काल के राजनैतिक, आर्थिक प्रशासनिक, सामाजिक आदि स्थितियों को समझा जा सकता है ।

अर्थशास्त्र - 1905 में मैसूर के ओरियेण्टल ग्रंथालय में आर शामाशास्त्री ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की हस्त प्रति का पता लगाया । यह पाश्चात्य जगत द्वारा जाने गए अर्थशास्त्र से भिन्न था । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्यशासन क्रम, राजा, प्रधान तथा अन्य जिम्मेदारियों, विदेश नीति, निर्वहण के बारे में चर्चा की गई है । गुप्तचर (खुफिया) विभाग, सैन्य व्यवस्था के बारे में अर्थशास्त्र में दिया गया है । यह कौटिल्य विशिष्टता से विश्व स्तर पर सभी विद्वानों को आकर्षित करता है ।

मुद्राराक्षस: यह विशाखदत्त द्वारा लिखित संस्कृत नाटक है । इसमें कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अधिकार दिलाने के कथानक को निरूपित किया है ।

दीपवंश तथा महावंश: ये श्रीलंक की बौद्ध साहित्य रचनाएँ हैं । इसमें अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का श्रीलंक में प्रसार के बारे में विवरण प्राप्त होता है ।

अशोक के शिलालेख: अशोक के बारे में अधिकृत रूप से बताने वाले अंश शिलालेख है। इन शिलालेखों से अशोक के साम्राज्य विस्तार, उसके धर्म संदेश का विचार, कलिंग युद्ध का विवरण, आदि की जानकारी मिलती है ।

चंद्रगुप्त मौर्य (सा.शा.पूर्व 321-298): मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कौटिल्य के मार्गदर्शन में नंद वंश के अंतिम शासक को पदच्युत कर 25 वें वर्ष की आयु में अधिकार प्राप्त किया । तब तक उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब प्रांत तक इस प्रदेश पर अलेक्जेंडर के उत्तरधिकारी सेल्युकस निकेटर शासन कर रहा था। सा.श.पूर्व 305 में इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया । अंत में युद्ध समझौते के साथ समाप्त हुआ । साथ ही सेल्युकस ने आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान सहित चार प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिये। इसके अतिरिक्त अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इससे मगध साम्राज्य उत्तर पश्चिमी विभाग में विस्तृत भू-प्रदेश पर अपना आधिपत्य जमा सका।


जैन धर्म के एक सम्प्रदाय के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम काल में जैन धर्म को स्वीकार किया था। उसने अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप जैन गुरु भद्रबाहु तथा कुछ यतियों के साथ कर्नाटक के हासन जिले में स्थित श्रवणबेलगोल की ओर प्रस्थान किया। यह परम्परा अंत में सल्लेखनव्रत धारण कर वही उनकी मृत्यु का उल्लेख करती है।

सम्राट अशोक (सा.श.पूर्व 273-232): भारतीय इतिहास में अशोक इस वंश का अत्यंत प्रसिद्ध शासक था । बिंदुसार के पुत्र अशोक ने अपने पिता के शासन काल में ही उज्जैनी तथा तक्षशिला प्रांतों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था । तक्षशिला के विद्रोह को यशस्वी रूप में दमित किया । इसने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए अपने 99भाइयों की हत्या कर अधिकार प्राप्त किया, ऐसा बौद्ध इतिहास में वर्णित है । संभवतः भाइयों के साथ चार वर्ष तक अतःकलह का सामना किया था । सा.श.पूर्व 269 में अशोक के

सिंहासनासीन होने का अनुमान लगाया जाता है । अपने शासन के आठवें वर्ष में अशोक ने कलिंग राज्य पर हमला किया । राजा बनने के बाद अशोक ने यह एक मात्र युद्ध किया था।

कलिंग युद्ध

मौर्य साम्राज्य के आधिपत्य को अस्वीकार करने वाले कलिंग राज्य पर सा.श.पूर्व 261 में अशोक ने आक्रमण किया । इस युद्ध का विवरण अशोक के 13 वें प्रस्तर शिलालेख में मिलता है । इसके अनुसार अशोक ने अधिकार प्राप्ति के आठवें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था । युद्ध में एक लाख पचास हजार लोग निराश्रित हो गए । कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद भी युद्ध में हुयी नृशंस हत्या के दुःख, मृत्यु आदि ने उसे झकझोर दिया । इतना ही नहीं उसने अब कभी युद्ध न करने की ठानी । उसने दिग्विजय से धर्म की विजय को श्रेष्ठ माना । युद्ध द्वारा उत्पन्न दुःख से वह पश्चाताप करने लगा । उसने बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित होकर अपने शेष जीवन को शांति पूर्वक जीने का प्रण किया ।



बौद्ध धर्म और अशोक

कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध विहार तथा चैत्य के लिए दान दिए। अपने साम्राज्य में पशु - पक्षी हत्या पर निषेध लगाया। अशोक ने प्रचार किया कि सारी प्रजा हमारी संतान के समान है। माता पिता के प्रति आभारी रहने, गुरु - आचार्यों का सम्मान करने की बात कही। इसके अतिरिक्त दीन तथा गुलामों के प्रति दया भाव रखने की बात कही है। स्वयं जियो और जीने दो का उपदेश दिया। अपने साम्राज्य में धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने 'धर्ममहामात्र' नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। साम्राज्य भर में धर्म का संदेश फैलाने वाले शिलालेखों को लगवाया। देश - विदेश में भी धर्म प्रचारक भिजवाए। बनवासी की ओर रक्षित तथा महिषमंसल (मैसूर) की ओर महादेव नामक धर्म प्रचारक भेजे। साथ ही सिलोन(श्रीलंक) की ओर अपने पुत्र राहुल तथा पुत्री संघमित्र को भेजा। इसने सा.श.पूर्व 250 में तृतीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन पाटलिपुत्र में किया।



चार सिंहोवाला प्रतीका
आकर्षक धर्म चक्र

अशोक के शिलालेख: अशोक को शिलालेखों का पितामह कहा जाता है। अब तक के प्राप्त सर्वप्रथम शिलालेखों में अशोक के शिलालेख माने गए हैं। सन् 1837 में अंग्रेज शासक जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा। सन् 1915 तक प्राप्त अशोक के सभी शिलालेखों में उसके नाम के बदले 'देवानामप्रियम्' 'प्रियदर्शी' नामक उपाधि मात्र दिखाई देती है। चार्ल्स बेडेन नामक एक अंग्रेज अभियंता ने सन् 1915 में कर्नाटक के रायचूर जिले के मस्की में अशोक के शिलालेखों का पता लगाया है। इस शिलालेख पर सर्व प्रथम बार 'देवानांप्रिय प्रियदर्शी अशोक' नामक उल्लेख मिलता है। इससे पुराणों तथा बौद्ध साहित्य में देखे

जाने वाले अशोक और उसके शिलालेखों में उल्लिखित देवानांप्रियं, प्रियदर्शी केवल एक ही व्यक्ति के होने का अभिप्राय व्यक्त होता है। तत्पश्चात् और कुछ शिलालेखों पर अशोक के नाम देखे जा सकते हैं।

कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले के ब्रह्मगिरि में भी अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के सारनाथ स्तम्भ पर व्यक्त चिह्न आज भारत के राजचिह्न (प्रतीक) के रूप में प्रयुक्त है। उसके शिलालेख भारत के उपखंड तथा अफगनिस्तान के 45 स्थानों में 181 आवृत्तियों में उपलब्ध है। मौर्य साम्राज्य के कई भागों में स्थित अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाषा में हैं। अशोक के शिलालेख उत्तर पश्चिमी भारत पर कुछ प्रदेशों में आरंभिक तथा खरोष्ठी लिपि में हैं तो अफगानिस्तान में आरामिक और यूनानी लिपि और भाषा में इसका होना एक विशेषता है।

मौर्यों की व्यवस्था : मौर्य काल में उत्तम तालावों से सिंचाई और नहरों द्वारा सिंचाई व्यवस्था के निदर्शन प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने गुजरात के जूनागढ़ के निकट सुदर्शन सरोवर नामक बांध बनवाया था। अशोक के काल में इस बांध पर तुषस्पा नामक अधिकारी ने नहर का निर्माण करवाया। सिंचाई नहरों के बारे में मेगस्थनीज ने भी उल्लेख किया है। कृषि क्षेत्रों का निर्वाह सरकार ही करती थी। युद्ध में हुए कैदी, गुलाम लोगों को कृषि में लगाया जाता था। मौर्य की राजधानी पाटालिपुत्र से अन्य भागों की ओर जाने के लिए राजमार्ग थे। राजधानी से वैशाली, चंपारण्य मार्ग से होते हुए नेपाल जाने का राजमार्ग था। भू-राजस्व ही राज्य की आमदनी का प्रमुख भाग था। किसान अपने उत्पादक 1/4 भाग कर रूप में राज्य को देते थे। समाहर्थ तथा सन्निधात नामक अधिकारी कर संग्रह तथा शाही खजाने के पालक थे। मौर्य काल में लोहे को पिघलाकर मिश्रित करने की तकनीक का विकास हुआ। इससे कृषि के साथ नगरों पर आधारित आर्थिक क्रिया कलाप कर कुशल (हथकरघा) वस्तुओं का उत्पादन और उनका व्यापार मौर्यों की अर्थव्यवस्था में स्थान पाने लगा। कौशांबी से प्रमुख राजमार्ग आधुनिक दिल्ली से होकर पंजाब द्वारा तक्षाशिला नगर से जुड़ता था व्यापारी इसी मार्ग से अपने करकुशल सामग्रियों को साम्राज्य में तथा बाहर बाजार में बेचते थे। काट के निशान वाले चाँदी के सिक्के मौर्य साम्राज्य में चलते थे। इस काल को इतिहासकारों ने नगरीकरण का दूसरा चरण कहा है।

सामाजिक व्यवस्था: मेगस्थनीज की इंडिका से मौर्य काल में स्थित सात जातियों के बारे में विवरण प्राप्त होता है। साथही कहीं भी दास या गुलामों को न देखे जाने का भी उल्लेख है। गुलाम पद्धति के मौर्य काल में होने पर भी प्राचीन यूनान तथा रोम समाज के समान तीव्र नहीं था। चार वर्णों में अंतिम वर्ण शूद्र था। जो मौर्य काल में कृषक मजदूर, घरेलू मजदूर के रूप में कार्य करते थे।

प्रशासन व्यवस्था: मौर्य साम्राज्य में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। राजाओं के पास अधिकार केंद्रित था। जिससे विशाल मौर्य साम्राज्य के शासन के लिए अतिरिक्त अधिकारी वर्ग अस्तित्व में आया। बलशाली गुप्तचर विभाग व्यवस्था भी थी। राजा के अधीन मंत्री,

पुरोहित, सेनापति और युवराज अति उन्नत अधिकारी थे। साम्राज्य को प्रांतों के रूप में विभक्त किया गया था। प्रांतों पर युवराज या राज परिवार से संबंधित व्यक्ति शासन करते थे। तक्षशिला उज्जैनी, धौली, सुवर्णगिरि तथा गिरनार प्रांतीय शासन केंद्र थे। रज्जुक (न्यायिक अधिकारी) युक्त (जानकारी सूचना देने वाले अधिकारी) प्रमुख अधिकारी थे। राजधानी पाटलिपुत्र के शासन को 30 अधिकारियों सहित 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था।

कला और वास्तु शिल्प : कला और वास्तु शिल्प के क्षेत्र में मौर्य का योगदान काफी रहा है। मंगस्थनीज की इंडिका में पाटलीपुत्र के मौर्य कालीन वैभवयुक्त राजमहल का उल्लेख मिलता है। राजमहल तथा इसके चारों ओर से घिरे किले के कुछ अवशेष उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं। अशोक के काल में अनेक स्तूपों तथा स्तम्भों का निर्माण हुआ। इनमें आज उपलब्ध अत्यंत बड़ा स्तूप साँची का स्तूप है। 30 से भी अधिक स्तंभ प्राप्त हुए, जिनको अत्यंत सूक्ष्मता से उकेरा गया है। हमारे राष्ट्रीय चिह्न (लाघव-प्रतीक) चार सिर वाले सिंह को सारनाथ के अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर तीन पहाड़ी काटकर गुफाएँ तथा उनके पुत्र दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ियों पर तीन शिला भेदित गुफाएँ निर्मित करवायीं। ये गुफाएँ भी मौर्य काल का प्रमुख निर्माण मानी जाती हैं।

कुषाण

ग्रीक के बाद कुषाण ने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म पर विशेष ध्यान दिया। इनके आश्रय में 'महायानपंथ' को ज्यादा प्रोत्साह मिले। इनसे गंधार शिल्प कला विकसित हुई।

मौर्यों के बाद के राजकुल में कुषाणों का राजकुल ही प्रमुख है। मध्य एशिया से भारत को स्थानांतरण द्वारा आये संचारी लोग ही कुषाण हैं। ये यूचि संतान के थे। इस समय 'शक' लोग तथा पार्थियन वायव्य भाग के विदेशी समुदाय के थे। कुषाण, शक और पार्थियन को हराकर गंधार प्रदेश में रहने लगे।

'कुजलकडफीसस' इस राजकुल के स्थापक थे। विम कडफीसस और कनिष्क इस वंश के प्रमुख राजा थे। यूचि लोग मूलतः पुश्ते के निवासी थे। कुजलकडफीसस के नेतृत्व में यूची लोग एकत्र हो गये। ये हिन्दकुश पर्वत को पार कर काबूल तथा कश्मीर आकर रहने लगे। विमकडपीसस के काल में सोने की अशर्फियाँ चलीं। आगे कुषाण स्वर्ण और ताम्र की अशर्फियों को चलाते थे।



गंधार शैली की बुद्ध प्रतिमा

विमकडपीसस के बाद कनिष्क गद्दी पर बैठा, इसके काल में कुषाण कुल व्यापक रूप से विकसित हुआ। इन्होंने ई. श. 78 में शासन आरंभ करके नये युग की नींव डाली। इसे 'शकयुग' कहते हैं।

भारत में कनिष्क के शासन की व्याप्ति दक्षिण के सांची तथा पूर्व में बनारस तक फैली थी। मध्यएशिया के साथ, इसका शासन विशाल साम्राज्य था। पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। इस काल का और एक मुख्य नगर 'मथुरा' था।

कनिष्कों ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। इससे बौद्ध धर्म और भी विकसित हुआ। इस समय-अश्वघोष वसुमित्र संगरक्ष आदी बौद्ध विद्वानों को देखते हैं। चौथा बौद्ध सम्मेलन काश्मीर में कनिष्क के नेतृत्व में हुआ। इन्होंने भी अशोक के समान बौद्ध धर्म प्रचार के लिए मध्य एशिया तथा चीन को नियोग भेज। इनके काल में कला और वास्तुशिल्प को भी प्रोत्साहन मिला।

अभ्यास

I. निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण कीजिए :

1. चाणक्य _____ नाम से प्रख्यात हुए।
2. मॅगस्थनीज की रचना _____ नाम से प्रसिद्ध है।
3. मौर्य की राजधानी _____ थी।
4. कुषाण राजवंश का स्थापक _____ था।
5. कनिष्क के शासन काल के नये युग को _____ कहते हैं।

II. संक्षिप्त रूप में उत्तर लिखिए :

1. मौर्य इतिहास की जानकारी देनेवाले आधार ग्रंथों को लिखिए।
2. अशोक के काल के प्रमुख नगरों को लिखिए।
3. अशोक एक महान सम्राट है। इतिहासकारों के इस कथन का कारण बताइए।
4. अशोक के शासन के बारे में लिखिए।
5. कुषाण किस संतति के थे ?
6. कनिष्क साम्राज्य कहाँ तक फैला था ?

III. क्रिया - कलाप :

1. गांधार कला के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए।
2. कनिष्क काल के बौद्ध सम्मेलन के बारे में अपने शिक्षकों से ज्यादा जानकारी प्राप्त कीजिए।

अध्याय 8

गुप्त तथा वर्धन वंश

इस अध्याय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होगी-

- गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक, राजनैतिक उपलब्धियाँ।
- गुप्त साम्राज्य की साहित्यिक और वैज्ञानिक देन।
- वर्धन साम्राज्य का विकास, साहित्यिक और शैक्षिक क्षेत्र में उनका योगदान।
- गुप्त साम्राज्य के विस्तार को भारत के मानाचित्र में प्रदर्शित करना।

मौर्यों तथा कुषाणों के उपरान्त उदित साम्राज्य ही गुप्त साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर में कुषाण तथा दक्षिण में शातवाहनों का शासन रहा। ये दोनों साम्राज्य सा.श. 3 वीं शताब्दी के मध्य में ही समाप्त हो गए। गुप्तों ने उत्तर प्रदेश में कुषाणों की सामंती की। इन्होंने उनकी अवनति के बाद मौर्यों के समान विशाल साम्राज्य स्थापना की नींव डाली। इन्होंने सा.श. 335 से 455 तक उत्तरी भारत में एकता बनाए रखा।

गुप्त वंश सा.श. 275 में अधिकार में आया। इस वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। इन्होंने प्रयाग से अपना शासन आरंभ किया। गुप्तों ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र पुनः बड़े साम्राज्य का केन्द्र बना। गुप्तों ने अपने काल में धर्म, साहित्य, कला और विज्ञान को प्रोत्साहन दिया।

आधारग्रंथ : गुप्तों के इतिहास को जानने के लिए सहायक ग्रंथ ये हैं-

1. इलाहाबाद स्तम्भ शिलालेख (शासन)
2. महरौली स्तम्भ शिलालेख
3. विशाखदत्त का मुद्राराक्षस और देवी चंद्रगुप्त
4. राजशेखर की काव्यमीमांसा
5. कालिदास की रचनाएँ
6. विज्जिका का कौमुदी महोत्सव
7. फाहियान और ईत्सिंग के लेख


आपको ज्ञात रहे

इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा है। किंतु इसे कई इतिहासकारों ने सहमति नहीं प्रदान की।

राजनैतिक इतिहास:


गुप्त वंश का प्रथम ऐतिहासिक पुरुष चंद्रगुप्त प्रथम कहलाता है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया। इससे गुप्तों का बल और मानप्रतिष्ठा बढी। प्रथम चंद्रगुप्त के सा.श. 319-20 में सिंहासनारूढ़ होते ही शक संवत् आरंभ हुआ।

समुद्रगुप्त-(सा.श. 335-380): इसके बाद इनके पुत्र समुद्रगुप्त अधिकार में आये। हरिसेन द्वारा लिखित इलाहाबाद लेख द्वारा उसकी उपलब्धियाँ अमर हो गयीं हैं। यह संस्कृत भाषा में है तथा अशोक के स्तम्भ पर उकेरित है। भारत का अधिकतर भाग इसके काल में गुप्तों के प्रशासन में आ गया। इसका अश्वमेध यज्ञ वैदिक विधान की याद दिलाता है। समुद्रगुप्त केवल आक्रमणकारी ही नहीं था, यह महाकवि तथा संगीतप्रिय व्यक्ति भी था। इसका संगीतप्रेम उसके काल की स्वर्ण मुद्राओं (सिक्कों) पर वीणा बजाते चित्र द्वारा व्यक्त होता है।



आपको ज्ञात रहे-

यह दिल्ली के कुतुब के निकट महरौली में स्थित लौह स्तम्भ है। यह 23 फूट 8 अंगुल लम्बा और 6000 किलोग्राम वजन का है। यह आज भी बिना जंग लगे खड़ा है। उस काल में ही ऐसे उत्तम स्तर के लोहे को तैयार करने की कला भारतीयों को ज्ञात थी।



मेहरौली में स्थित लोहे का स्तंभ

चंद्रगुप्त द्वितीय (सा.श. 380-412): समुद्रगुप्त के साम्राज्य को चंद्रगुप्त द्वितीय ने और विस्तृत कर दृढ़ता प्रदान की। इसने शकों को परास्त कर पश्चिम भारत को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। भारत के अनेक राजवंशों के साथ इसने वैवाहिक संबंध जोड़कर प्रभावशाली रूप में विक्रमादित्य की पदवी प्राप्त की। इसके काल में युद्धों से अधिक साहित्य तथा कला को जो प्रोत्साहन मिला वह स्मरणीय है। सुप्रसिद्ध संस्कृत कवि व नाटककार कालिदास इसी काल के हैं। मेंघदूत, रघुवंशम्, कुमार संभव तथा ऋतुसंहार इनके काव्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम् इनके श्रेष्ठ नाटकों में से एक है। शूद्रक का मृच्छकटिकम् तथा विशाखदत्त का मुद्राराक्षस इस काल की अन्य रचनाएँ हैं।

आपको ज्ञात रहे

मेंघदूतम् - यह कालिदास का रचित काव्य है। यह उनकी सुप्रसिद्ध रचनाओं में से के है। कुबेर राज ने यक्ष को कर्तव्य लोप के लिए एक वर्ष सीमापार का दण्ड दिया था। इस प्रसंग में कैलाश पर्वत प्रदेश में रहने वाली अपनी पत्नी को प्रेम का संदेश पहुँचाने के लिए यक्ष वहाँ से गुजरने वाले मेंघों (बादलों) का सहारा लेता है। बहते मेंघों से पत्नी यक्षी तक पहुँचने वाले मार्ग में दिखाई देने वाले मनोहारी दृश्यों का विवरण मेंघदूतम् में यक्ष द्वारा दिया गया वर्णित है। यह आज भी विश्वस्तर का प्रसिद्ध काव्य है। भारत की सभी भाषाओं में तथा विश्व की प्रमुख भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। मेंघदूतम् नाटक को देख सभी आज भी आनंदित होते हैं।

हूणों के निरंतर आक्रमण के फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य पतन की ओर मुड़ा। गुप्तों की कोई बृहत् सुसज्जित सेना नहीं थी। अतः सामंतों द्वारा सैनिक आवश्यकता युद्ध के समय पडती रही। इस प्रकार सामंतों ने इस काल में काफी अधिकार चलाए। अधिकारी वर्ग कुमार अमात्य से भरे थे। विविध पदों को कुमार अमात्यों ने प्राप्त करलिया था। प्रशासन विकेंद्रीकृत हो गया

था। पुरोहित अनेक दानों आदि को प्राप्त करते रहे। भू-दान के रूप में अनेक गाँवों को इन्हें दिया जाता था। इससे अनेक मंदिरों में अभिवृद्धि हुयी। ऐसे प्रदेश अनेक आर्थिक तथा प्रशासनिक छूट ही नहीं सभी व्यवहारों में ये स्वतंत्र प्रदेश रहे। क्रमशः इन प्रदेशों के निवासी, कृषक, कुशल कर्मचारी, जमीनदारों के अधीन थे। इस प्रकार समाज संकीर्ण दिशा की ओर जा रहा था।

अभिज्ञान शाकुंतलम्



शाकुंतलम्

यह कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में एक नाटक है। शकुंतला की कथा महाभारत में उल्लिखित है। कथा में राजा दुष्यंत शिकार करते करते कण्व महर्षि के आश्रम में आते हैं। यहाँ दुष्यंत शकुंतला को देख मोहित हो ते हैं। वे दोनों गंधर्व विवाह करते हैं। यह सब कण्व महर्षि की अनुपस्थिति में घटित होता है। कुछ समय बाद दुष्यंत शकुंतला को आश्रम में ही छोड़कर राजधानी लौटा जाता है। विरह के इस क्षण में दुर्वासा मुनि कण्व के आश्रम में आते हैं। उनका आदर-सत्कार भूलकर शकुंतला दुष्यंत की याद में बैठी रहती है। इसे देख मुनि कुपित होकर श्राप देते हैं, वह तुम्हें भूल जाए। अपनी गलती का एहसास होते ही दुर्वासा मुनि ने शाप मुक्त होने के लिए कहा कि दुष्यंत को अपनी दी गई किसी वस्तु को देखकर पुनः याददाश्त लौट आएगी। वह वस्तु थी दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी गई अंगूठी। दुर्वासा के कथनानुसार दुष्यंत शकुंतला को

भूल जाता है। कालांतर में गर्भवती शकुंतला और दुष्यंत का मिलन कराने के लिए कण्व ऋषि शकुंतला को दुष्यंत के दरबार में लेकर जाते हैं। रास्ते में शकुंतला राजा की निशानी उस अंगूठी को खो देती है। इस प्रकार राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान नहीं पाते। अपमानवश शकुंतला चली जाती है। कुछ दिनों बाद मछली के पेट से अंगूठी के मिलने पर राजा को याददाश्त वापस लाने में सहायता मिलती है। दुष्यंत को पश्चाताप होता है। इसके कुछ दिनों बाद दुष्यंत के आने के मार्ग में मरीच का आश्रम पडता है। जहाँ उन्हें शेर के बच्चों के साथ खेलते एक बालक को देख सब कुछ ज्ञात होता है कि वह बालक उनका पुत्र सर्वदमन है। वे प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार दुष्यंत का पत्नी शकुंतला तथा पुत्र से पुनर्मिलन होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम् विश्व के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है। विश्वभर में यह नाटक अपार प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है।

इस काल में पाश्चिमात्य लोगों के साथ गुप्तवंश का व्यापार पतन की ओर उन्मुख हुआ। इससे गुप्तों की आर्थिक व्यवस्था कुंठित हो गयी। साम्राज्य पर अत्यधिक प्रतिबंध से आंतरिक व्यापार व्यवस्था भी स्थगित हो गई। व्यापार अब ग्रामों तक सीमित हो गया। व्यापार में हुयी अवनति से नगर केंद्रों में भी पतन आया। इसी क्रम में पाटलिपुत्र भी केवल एक ग्राम होकर रह गया।

गुप्त काल भक्ति पर अवलम्बित विविध धर्म ग्रंथ धर्मशास्त्र तथा पुराणों की रचना का पर्व काल था। वराहमिहिर, भास्कर, आर्यभट्ट, चरक तथा सुश्रुत इस काल के श्रेष्ठ वैज्ञानिक थे। वराहमिहिर, भास्कर तथा आर्यभट्ट ने ज्योतिष शास्त्र, खगोल तथा गणित अध्ययन को महत्वपूर्ण योगदान दिया। चरक तथा सुश्रुत ने शस्त्रचिकित्सा संबंधी सुश्रुत संहिता की रचना की।

गुप्त काल के वैज्ञानिक

- 1) **धन्वंतरि:** ये वैद्यकीय क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्वान थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता थे। ये भारतीय चिकित्सा शास्त्र के पितामह कहलाए। आयुर्वेद कोष चिकित्सा शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण देन है।
- 2) **चरक:** ये चिकित्सा विज्ञान के विद्वान थे। चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना कर इन्होंने चिकित्सा क्षेत्र को महत्वपूर्ण देन दी है।
- 3) **सुश्रुत:** ये शस्त्र चिकित्सा के वैद्य (चिकित्सक) थे। भारतीय परंपरा में शस्त्र चिकित्सा प्रदान करने की दिशा में सर्वप्रथम इसे बताने वाले आप ही थे। उस काल में सैनिकों की चिकित्सा के लिए अलग विभाग के होने के बारे में सुश्रुत ने बताया है। आधुनिक काल में की जाने वाली शस्त्र चिकित्सा के समान ही सुश्रुत ने चिकित्सा में दक्षता हासिल की थी। और चिकित्सा विभाग को महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- 4) **आर्यभट्ट:** ये खगोल शास्त्र तथा गणित शास्त्र के प्रमुख वैज्ञानिक थे। ये वराहमिहिर के पश्चात प्रमुख वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। खगोल तथा गणित शास्त्र के क्षेत्र में इनकी देन महत्वपूर्ण है। इसी कारण सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को सरकार आर्यभट्ट पुरस्कार से अलंकृत करती है। भारत के प्रथम उपग्रह को भी आर्यभट्ट का नाम गया है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने शून्य का पता लगाया था। इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम बीजगणित पद्धति को प्रारंभ किया। सूर्य और चंद्र ग्रहण का होता भी राहु के कारण नहीं है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर प्रतिदिन घूमते हुए सूर्य की प्रदक्षिणा (परिभ्रमण) करने से इसका होना आर्यभट्ट ने बताया है।
- 5) **वराहमिहिर:** ये प्रमुख खगोल शास्त्रज्ञ थे। इन्होंने पंचसिद्धांतिका नामक खगोल शास्त्र के ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ को खगोल शास्त्र का बाइबल कहा जाता है। इन्होंने बृहत् संहिता, बृहत् जातक, लघु जातक नामक ग्रंथों की रचना की। इन्होंने खगोलशास्त्र, ज्योतिष, भूगोल, जलवायु आदि क्षेत्रों में विद्वत्ता हासिल की थी।

वर्धन वंश

दो शतब्दियों तक राज्य पर शासन करने वाले गुप्त साम्राज्य का विघटन लगभग ईसाशती 6वीं में हो गया। अनेक छोटे-छोटे राज्य पनपे। उनमें वर्धन राज्य भी एक था। इन्होंने 6वीं शातब्दी में ज्ञानेश्वर ने शासन किया। कुछ ताम्र शिलालेख, बाण का हर्षचरित तथा चीनी यात्री ह्वेनत्सांग का लेख आदि इस काल पर प्रकाश डालते हैं।

पुष्पभूति इस वंश के संस्थापक थे। प्रभाकर वर्धन तथा हर्षवर्धन इस वंश के प्रमुख शासक रहे। हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन तथा भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद इन्होंने धानेश्वर पर अधिकार कर लिया। इनकी बहन राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा से हुआ।

नालंदा विश्व विद्यालय



नालंदा

बुद्ध के अनुयायियों का मानना है कि नालंदा बौद्ध धर्म का उत्कृष्ट नमूना है। यह एक प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में ख्यात है। बुद्ध नालंदा आए थे। ऐसा माना जाता है। हर्षवर्धन ने 25 मीटर ऊँची कांस्य की बुद्ध की प्रतिमा बनायी और नालंदा को भेंट दिया था। यह उल्लेख मिलता है। कुमार गुप्त ने यहाँ ललित कला विद्यालय को भेंट दी थी। यहाँ माध्यमिक सूत्र के प्रतिपादक नागार्जुन, दिग्गता तथा धर्मपाल प्रसिद्ध विद्वान रहे। चीनी यात्री ह्वेन ने जब यहाँ भेंट की तब वे कुछ समय यहाँ रहे और इस प्रदेश के बारे में विस्तारपूर्वक वर्ण किया है। इस प्रदेश में अनेक स्तूप, चैत्य विहार, विश्रान्ति गृह, यहाँ वहाँ बैठ कर विश्राम करने के लिए सोपान (सीढियाँ), अधिगम कक्ष, तथा यहाँ की अन्य इमारतें यहाँ के वैभव का बखान करती हैं। अशोक, गुप्त साम्राट तथा हर्षवर्धन इसके सुप्रसिद्ध पोषक रहे। आग लगाने की दुर्घटना में आहत हुये नालंदा की अनेक रचनाएँ भी भस्म हो गयीं।

बंगाल के शासक शशांक ने कन्नौज के शासक की हत्या करदी तत्पश्चात हर्ष ने कन्नौज को अपने वश में कर लिया। बंगाल के राजा पर चढाई की। बंगाल तथा मगध इसके अधिकार में आ गया। किंतु दक्षिण में नर्मदा नदी को लाँघना इसे असम्भव रहा। चालुक्य के कन्नड शासक पुलकेशी द्वितीय ने इसके अतिक्रमण को वहीं रोक दिया। हर्षवर्धन को इस प्रकार पुलकेशी ने पीछे भगाया। उसकी इस उपलब्धि का विवरण पुलकेशी के दरबारी कवि रविकीर्ति की रचना में उपाधि सहित व्यक्त है। पुलकेशी के विरुद्ध पराजित हुए

हर्ष के हर्ष को कम करने का विवरण रविकीर्ति ने बड़े मनोरंजक ढंग से व्यक्त किया है। राजा के प्रशासन में मंत्रिमंडल भी सहायक रहा। महा संधि विग्रह (अनुसंधान करनेवाले), महाबलाधिकृत (महा सेनापति), भोगपति (राजस्व अधिकारी), दूत आदि से अधिकारी वर्ग भरा पडा था। राज्य प्रांतों में विभक्त होने लगा था।

भू-राजस्व ही राज्य की प्रमुख आय थी। सामंत राजा इन्हें कर देते थे। राजा इन्हें भूमि को भेंट स्वरूप देकर बदले में सैन्य सहायता लेते थे। राजाओं के दुर्बल होने पर सामंत स्वतंत्र हो गए।

भू-दान अन्य समुदायों तथा धर्म वालों को दिया जाता था। हर्ष ने बौद्ध धर्म को अधिक महत्व दिया। इस काल में भी व्यापक बौद्ध धर्म का विवरण ह्वेनत्सांग के लेख से जाना जा सकता है। बौद्धों का नालंदा विश्व विद्यालय इस काल में विविध क्रिया कलापों से परिपूर्ण था। इसे राजश्रय प्राप्त था।

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए-

1. गुप्तों ने अपनी पहचान _____ प्रदेश से प्राप्त की।
2. चंद्रगुप्त प्रथम _____ नाम से जाना गया।
3. कालिदास के श्रेष्ठ नाटकों में _____ एक है।
4. विशाखदत्त की रचना _____ है।
5. शूद्रक द्वारा रचित ग्रंथ _____ है।
6. वर्धन वंश का संस्थापक _____ था।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए-

1. चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखिए।
2. गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण क्या था?
3. गुप्त काल के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों के नाम लिखिए।
4. वर्धनों का शासन किस प्रकार चलता था?

III. क्रिया कलाप-

1. कालिदास की सभी रचनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कीजिए।
2. गुप्त काल के वैज्ञानिकों का विवरण तथा चित्र संग्रह कीजिए।



दक्षिण भारत-शातवाहन, कदंब और गंग (ई.पू. 3 वीं की शताब्दी से ई.श. 13 वीं शताब्दी तक)

इस अध्याय के अध्ययन के बाद निम्नलिखित अंशों को समझेंगे।

- दक्षिण भारत में शातवाहन वंश का विकास, प्रमुख गौतमीपुत्र शातकर्णि की उपलब्धि, प्रशासन, कला वास्तुशिल्प के बारे में समझना।
- कर्नाटक में स्थापित प्रथम राजवंश कदंबों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
- कदंबों के श्रेष्ठ राजा मयूरवर्मा के प्रशासन की रीति, कला, वास्तुशिल्प, धार्मिक क्षेत्र की देनों के बारे में समझना।
- गंग वंश की स्थापना और कला, वास्तुशिल्प तथा साहित्य क्षेत्र को दिये हुए उनेक योगदानों के बारे में समझना।
- कदंब, गंगों के साम्राज्य को भारत के मान चित्र में पहचानना।

विंध्य पर्वत, उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करता है। विंध्य पर्वत से दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक के भाग की दक्षिण भारत अथवा दक्खन प्रांत कहते हैं। शातवाहन, कदंबा, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव इस प्रदेश के प्रमुख हैं।

शातवाहन (ई.पू. 230 - सा.श 220)

शातवाहन वंश दक्खन में स्थापित हुआ। यह पहला राजकुल है। चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में गोदावरी, कृष्णानदी के बीच में रहकर, सामंत राज करते थे। ई.पू 220 के समय में सिमुख स्वतंत्र हुए। इसने श्रीकाकुलम् को राजधानी बनाया।

गौतमीपुत्र शातकर्णि

इस वंश के प्रमुख राजा गौतमीपुत्र शातकर्णि है। इसने साम्राज्य के दुश्मन, सिक्खों (Singhs) को भारत की सीमा से बाहर भगाकर, अपना साहस दिखाया। इससे शालीवाहन शक प्रारंभ हुआ। कोंकण बीरार, सौराष्ट्र मालवा के अलावा अनेक नये प्रदेशों को वंश में कर लिया। इसको समुद्रतोय पीतवाहन शातवाहन कुलयशः प्रतिष्ठापनकार की उपाधियाँ थी।

यज्ञश्री शातकर्णि इस वंश के आखिरी राजा थे। उस काल के शकों के निरंतर आक्रमण से यह साम्राज्य अवनत हुआ।

शातवाहन के काल में राजा ही राज्य के सर्वोच्च अधिकारी थे। शासन की सुविधा के लिए राज्य को जनपद नामक जिला बनाकर, अधिकारियों की नियुक्ति की गयी थी। नगर और ग्रामों की व्यवस्था को स्वयम् शासकीय संस्थाएँ देख रहे थे।



कार्ले चैत्यालय

समाज में वर्णभेद नहीं था। स्त्रियाँ भी ऊँचो स्थान पा रही थी। किसान, कारकून, (कारिदे) व्यापारी, सुनार, मछुए, बढई, जुलाहा, औषधि तैयारक, हस्तेकारीगर आदि थे। उद्योगवालों में वृत्ति श्रेणियाँ, वाणिज्य संघ भी थे। यह वाणिज्य संघ के रूप में कार्य निर्वहण कर रहे थे। व्यापार ऊँची स्थिति पर था। विदेशी व्यापार को प्रोत्साह। देने के अलावा नासिक, कल्याण, भडौंच, भटकल आदि व्यापारि केन्द्र थे।

वैदिक धर्म के शातवाहन, बौद्ध तथा जैन मतों को प्रोत्साहन देकर सहकार भावना से रहते थे।


कला, साहित्य और शिक्षण को प्रोत्साहन दिया गया विद्वानों तथा सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत थी। प्राकृत भाषा में साहित्य की सृष्टि हुई। हाला द्वारा रचित 'गाथासप्तशती' इसका उदाहरण है।

इनसे अजंता चित्रकला, अमरावती चित्रकला आरंभ हुई। भवन, मंदिर, विहार चैत्यालय और किलों को बनाये गया। कार्ले में चैत्यगृह का, बनवासी के अमीर व्यापारी, भूतपाल ने किया। शातवाहन के काल में कन्नड राज्य समृद्धि पाया। साहसी, समर्थ शासनकारों ने भारतीय संस्कृति को योगदान देकर इस देश को समृद्ध बनाया।

कदंब (सा.श 325 से सा.श 540)

कदंब, कर्नाटक का पहला राजवंश था। इनकी राजधानी बनवासी थी। जो उत्तर कन्नड जिले में है। मयूरवर्मा इस वंश का स्थापक और श्रेष्ठ राजा था। पल्लव राजा शिवस्कंधवर्मा से अपमानित होकर मयूरशर्मा ने अपना वर्ण त्याग कर क्षत्रिय वर्ण स्वीकार किया और मयूरवर्मा बन गये। पल्लवों को हराकर कदंब राज्य की स्थापना की। यह कन्नड भाषियों के स्वाभिमान का संकेत है।

कर्नाटक और भारतीय संस्कृति को कदंबों की देन महत्वपूर्ण है। कदंबों के शासनकाल में करीब 30 (तीस) सदियाँ राजनैतिक ऐक्यता थी। शासन में मांडलीक राजपुरोहितों, मंत्रियों, सेनानायकों द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई। प्रशासन की सुगमता के लिए प्रांत्याधिकारी, प्रांत्यो को देखने के लिए नियुक्त किए जाते थे।



चित्रदुर्ग के चंद्रवल्ली शिलालेख के अनुसार मयूरवर्मा चंद्रवल्ली तालाब के किनारे को ऊँचा बनाया।

भूमिकर राज्य की मुख्य आमदनी थी। बढई, सुनार, लुहर, जुलाहा, कुम्हार, तेली आदि उद्योग मुख्य थे। खेतीबारी, व्यापारी को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता था। समाज में बहुधा लोग वर्णाश्रम व्यवस्था अपनाते थे। पितृप्रधान कुटुंब तथा अविभक्त कुटुंब को प्रधानता दी जाती थी। (चित्रदुर्ग के चंद्रवल्ली शिलालेख के अनुसार मयूरवर्मा ने चंद्रवल्ली तालाब के किनारे को ऊँचा बनवाया) कदंब वैदिक धर्म के अनुयायी थे। फिर भी उसने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया। हानगल् पुलिगेरे आदि स्थानों में जैन मंदिरों को और विद्वानों को दान (दत्ति) देकर कर्नाटक में जैन संस्कृति फैलाने के लिए प्रोत्साहन दिया।



मधुकेश्वर मंदिर, बनवासी

कर्नाटक में वस्तुशिल्प कला की नींव डाली गयी। बनवासी में अनेक मंदिर और विहारों का निर्माण किया गया। मंदिर की शिखर रचना इनकी विशिष्ट देन है। बेलगावि जिले का कादोलि की शंकरदेव मंदिर एक उत्तम उदाहरण है। कदंबों को काल में प्राथमिक और उच्च शिक्षण अभिवृद्ध होकर शिक्षण केन्द्र अग्रहार, ब्रह्मपुरि और घटिक स्थानों में स्थापित किया गया। उसकाल के प्रमुख अग्रहार, तालगुंद और बल्लिगावि में थे। अग्रहार, गुरुकुल होकर वसतिशाला की तरह चलते थे।

गंग (सा.श 350 -सा.श. 1004)

गंग राजकुल की उन्नति और अवनति कर्नाटक इतिहास के आदिभाग का एक मुख्य अध्याय है। गंग वंश के स्थापक ही इक्ष्वाकु वंश के हैं। कुवलाल तलकाडु तथा मान्यपुर (आज का मण्णि, नेलमंगल, बेंगलूर ग्रामांतर जिला) द्वारा प्रशासन किया गया।

अजंता और बनवासी, बौद्ध धर्म के दो प्रमुख केन्द्र थे। वे अभिवृद्धि स्थिति में थे। मंदिर त्योहार जुलूस के केन्द्र थे। प्राकृत-संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया गया। पहले प्राकृत, बाद में संस्कृत राजभाषा बन गयी। कन्नड लोक भाषा थी। 5 (पाँचवी) सदी में कन्नड भाषा के स्वरूप दिखायी पडते हैं। बहुत प्राचीन हल्मिडि शिलालेख कन्नड का पहला शिलालेख था।

मलवल्लि शिलालेख प्राकृत भाषा का परिचय देता है। तालगुंद शिलालेख कर्नाटक में मिला संस्कृत शिलालेख है।

दडिग से प्रारंभ होकर गंगवाडि राज्य करीब 27 (सत्ताईस) राजाओं द्वारा प्रशासन किया गया है। गंग राजाओं में दुर्विनीत एक प्रसिद्ध राजा था। इस महान वीर ने तथा विद्वान, दीर्घ समय तक शासन किया। अपना राज्य को मजबूत बनाने के लिए पुत्राट को जीत लिया। नल्लाल ताम्र पट से यह मालुम होता है कि ये अनेक तालाबों की सिंचाई के लिए निर्माण किया गया। साहित्य प्रेमी के अलावा इन्होंने खुद संस्कृत और कन्नड भाषा में साहित्य रचना की। ('गुणाढ्य की ढिठाई' को प्राकृत से संस्कृत में अनुवाद किया गया है।

गंग राजाओं की देन: राजा को सलाह देने के लिए मंत्रालोचना सभा थी। मंत्री, विभिन्न शासन की शाखाओं का देखभाल करते थे। ग्राम का प्रशासन व्यवस्थित था। ग्राम सभा, भूमिकर लगान (कर) न्याय, स्वच्छता, रक्षण पर ध्यान देते थे। खेतीबारी उनका मुख्य उद्योग था। जुलाहे, लुहार आदि उद्योग भी थे। ये कई राष्ट्रों के साथ व्यापार संबंध रखते थे।

गंगों के काल का समाज कई पंथ, जाति में विभाजित होने पर भी परावलंबी था। पितृ प्रधान अविभक्त कुटुंब पद्धति जारी थी। समाज में लोग सत्यशीलता, स्वामिनिष्ठा, शौर्य और सहनशीलता आदि सामाजिक मूल्य से प्रभावित थे।

बाहुबलि - गोम्मटेश्वर



बाहुबलि - गोम्मटेश्वर

श्रवणबेलगोल के गोम्मटेश्वर (बाहुबलि) विरक्त जीवन की मूर्ति का संकेत है। चौथा राचमल्ल के मंत्री चावुंडराय इसके निर्माता है। 100 भाइयों में भरत जेष्ठ था। बाहुबलि छोटा था। भरत के राज्याभिषेक के बाद एक चक्ररत्न पैदा हुआ। उससे सब राज्यों को जीतकर साम्राज्य के अधिपति बने। सब भाई इसके शासन से सहमत थे। पर बाहुबलि न माने। इन दोनों में युद्ध हुआ। दृष्टि युद्ध, जलयुद्ध, मल्लयुद्ध के अंत्य में बाहुबलि भरत को चक्र की तरह घुमाकर फेंकना शेष था, कि बाहुबलि के मन में विरक्ति पैदा हुई। बड़े भाई को धीरे से उतारकर नमस्कार करके विरक्त भाव से खड़े होकर तपस्या करने लगे। उससे भी मुक्ति न मिली तो ज्योतिष्यों ने कहा कि बाहुबलि, को अपने भाई के राज्य में खड़े होकर तपस्या

करने के कारण निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ। तब भरत ने खुद आकर बाहुबली से कहा कि सारा साम्राज्य बाहुबलि का है। इसका शासन करने वाला मात्र मैं हूँ। इसके बाद उसे मोक्ष मिला।

चैत्यालय, देवालय, मठ तथा अग्रहार शिक्षण केन्द्र थे। उन्नत शिक्षा के स्थान ब्रह्मपुरी और घटिक थे। तलकाडु, श्रवणबेलगोला, बंकापुर और पेरुर् ज्ञानार्जन के केन्द्र थे।

गंग जैन धर्म के अवलंबित होने के कारण जैन धर्म की अभिवृद्धि हुए। पूज्यपाद, वज्रनंदि, अजितसेन आदियों से यह धर्म जानप्रिय बन गया। श्रवणबेलगोल में 58 फुट एकशिला के गोमटेश्वर मूर्ति की प्रतिष्ठा की और बारह साल में एक बार महामस्तकाभिषेक किया जाता है। इसे अत्यंत प्रसिद्ध केन्द्र बनाया गया।

गंग राजाओं ने कला और वास्तु शिल्प को प्रोत्साहन दिया। इन्होंने सुन्दर मंदिर, विहारों का निर्माण करवाया। मण्णे का कपिलेश्वर मंदिर तलकाडु के पातालेश्वर और मरुलेश्वर, कोलार का कोलारम्मा, बेगूर का नगरेश्वर, श्रवणबेलगोल का गोमटेश्वर आदि गंगो की विशिष्ट देन है। ऊँचा मानस्तंभ और ब्रह्ममान स्तंभ भी इनकी श्रेष्ठ देन है।

साहित्याभिमानि गंग राजाओं ने संस्कृत, प्राकृत और कन्नड भाषा को प्रोत्साहन देकर ग्रंथ रचना करवायी। इम्मडि माधव ने दत्तक सूत्र पर टिप्पणी लिखी। दुर्विनीत के शब्दावतार संस्कृत कृति रचना के अलावा गुणादय की वड्डकता को संस्कृत में अनुवाद किया। श्री पुरुष के गजशास्त्र, दूसरा शिव माधव के गजाष्टक कन्नड कृति रचना की गयी। कवि हेमसेन का राघव पाण्डवीय, वादीबसिंह का गद्य चिंतामणि और क्षात्र चूडामणि, नेमिचन्द्र का द्रव्यसार संग्रह चावुण्डराय का चावुण्ड पुराण आदि रचनाओं से ये प्रसिद्ध हुआ।



तलकाडु का पातालेश्वर मंदिर

अभ्यास

I. निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण कीजिए :

1. श्रीमुख ने _____ को राजधानी बनाया ।
2. हाला से लिखे ग्रंथ _____ हैं ।
3. कन्नड का पहला शिलालेख _____ है ।
4. कदंब की राजधानी आज के _____ जिले में है ।
5. गंगवंश के प्रमुख राजा _____ हैं ।
6. चावुण्डराय ने _____ ग्रंथ की रचना की ।

II. संक्षेप में उत्तर लिखिए :

1. शातवाहनों के अंतिम राजा कौन हैं? इसके काल में राजवंश कैसे अवनति को प्राप्त हुए?
2. शातवाहनों की कला के बारे में लिखिए।
3. गंग साम्राज्य किन किन मूल्यों से प्रभावित थे?
4. गंग काल के चार ग्रंथों के नाम लिखिए।

III. कौशल्य :

1. शिलालेख पढ़ने के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा कीजिए ।
2. एक ऐतिहासिक मंदिर जा कर उसका विवरण संग्रह कीजिए। कक्षाओं में चर्चा कीजिए ।

IV. योजना :

1. शिलालेख को पढ़ने का अभ्यास करें ।
2. किसी एक शिलालेख को देखकर उसके बारे में परियोजना बनाइए।
3. गंग राजधानियों को जाकर कर विषय संग्रह कीजिए ।



बादामी के चालुक्य और कंचि के पल्लव

इस अध्याय के अध्ययन के बाद निम्नलिखित अंशों को समझेंगे।

- बादामी चालुक्य के आरंभ, प्रसिद्ध राजा इम्मडि पुलिकेशी काल के साम्राज्य का विकास समझना।
- धार्मिक, सामाजिक, सैनिक प्रशासन और न्यायिक प्रशासन व्यवस्था के बारे में समझना।
- बादामी चालुक्य साम्राज्य की सीमा को मान चित्र में पहचानना।
- कंचि के पल्लव के साहित्य, धर्म, कला और वास्तुशिल्प तथा शैक्षणिक क्षेत्र को योगदान के बारे में समझना।

बादामी के चालुक्य : (सा.श. 540 - सा.श. 753)

ई. पू. 6 वीं सदी में कर्नाटक में महान शक्तिशाली राजाओं ने शासन किया। वे ही बादामी चालुक्य थे। इन्होंने कर्नाटक में अपना सार्वभौम अधिकार स्थापित कर करीब दो शताब्दी तक प्रशासन किया। यह दक्षिण भारत के इतिहास के प्रमुख चालुक्य राजवंशों में एक है।

चालुक्यों का प्रशासन 6 वीं सदी से आरंभ होकर 8 वीं सदी के मध्यभाग में अंत हुआ। राजा जयसिंह इस वंश के स्थापक थे। इस वंश के शक्तिशाली और नामी राजा इम्मडिपुलिकेशि थे। गंग, कदंब और आलुपों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया।

दक्षिण दक्खन में पल्लव वैभव पूर्ण शासन कर रहे थे। राजा महेन्द्रवर्मा पुलिकेशी के परमाधिकार को ना-मानने के कारण पुलिकेशी ने उसे परास्त कर दिया। उत्तर भारत के हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे परास्त कर दिया। इससे 'दक्षिण पथेश्वर' "त्रिसागर गर्लिदा आवृतवाद प्रदेश के अधिपति" नामक उपाधि पाई।

इम्मडि पुलिकेशी को अपने पूरे देश पर एक ही केन्द्र से शासन करना पुलिकेशी से न हो सका। इसलिए अपने छोटा भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को वेंगी और जयसिंह को गुजरात प्रांत्य के अधिकारी बनाया। वे अगले वर्षों में वेंगी चालुक्य के नाम से करीब 5 (पाँच) सदियों तक प्रशासन किया।

ह्यूयनत्सांग चालुक्य की राजधानी को भेंट किया था। इम्मडि पुलिकेशी और चालुक्य राजाओं के बारे में विवरण दिया गया है। राजा न्यायपालक (खाजी) तथा करुणा के व्यक्ति थे। सेना में अनुशासन था। सैनिक मरने से न-डरते थे। वे वीर योद्धा थे। प्रजा सत्यप्रिय थी। वेसंतोषी, स्वाभिमाथी समृद्ध थे (अमीरी) मान प्रिय थे। राजनिष्ठ थे। राजाओं को भी प्रजा से ज्यादा प्रेम था।


अरब इतिहासकारों का मानना है कि इम्मडि पुलिकेशी महत्वाकांक्षी राजा थे। विदेशी राजाओं के साथ स्नेह-संबंध का बर्ताव रखे थे। फारसी राजा ने इम्मडि खुम्र के साथ दूत संबंध भी रखा था।

कुछ वर्षों के बाद पल्लव राजा प्रथम नरसिंहवर्मा अपने पिता महेन्द्रवर्मा के पराजय का बदला लेने के लिए चालुक्यों से युद्ध किया। चालुक्य राज्य को घेर कर वातापि को अपने वश में ले लिया। चालुक्य के आखिरी राजा कीर्तिवर्मा के काल में राष्ट्रकूटों ने इस साम्राज्य को अपने वश में कर लिया।

चालुक्यों की देन

कन्नड राज्य, भाषा, संस्कृति को प्रोत्साहन देकर, उनकी रक्षा

करते हुए धर्म, साहित्य, कला वास्तुशिल्प को बहुत देन दी है। इन्होंने ही इस राज्य का 'कर्नाटक' नाम रखा। कर्नाटक इतिहास में बादामी चालुक्य का प्रशासन बहुत श्रेष्ठ, वैभवयुत युग है। इस युग में सैनिक क्षेत्र, कला और साहित्य के क्षेत्र में भी अभिवृद्धि हुई।



बादामी चालुक्यों का साम्राज्य

करीब 200 साल तक प्रशासन किया। राजा खुद राजकाज में भाग लेते थे। राज्य को विषया (जिला) में विभाजित कर विषयाधिपति देख-भाल करते थे ग्राम ही शासन अंशो में बहुत छोटा था। ग्राम का मुखिया, जमा-खर्च व्यवहार की देख भाल करता था।

चालुक्य शैव, वैष्णव, जैन आदि सब संप्रदायों को प्रोत्साहन दिया। जैन मंदिरों के निर्माण, बौद्ध मत के विहारों को भी प्रोत्साहन दिया।

बादामी चालुक्य, साहित्य को प्रोत्साहन दिया गया। कन्नड तथा संस्कृत भाषा विकसित हुई। कन्नड इनकी देशीभाषा था। इस काल के काव्य में त्रिपदी शैली को इस्तेमाल किया गया। कन्नड में केवल कृतियाँ ही नहीं कई शिलालेख भी लिखे गये। बादामी के 'कप्पे अरभट्ट' के शासन का एक पद्य त्रिपदी शैली में है।

इस काल के संस्कृत पंडित रविकीर्ति विज्रिका और अकलंक थे। पुलकेशी द्वितीय की बड़ू विज्रिक नाम की रचना कौमुदी महोत्सव शिवभट्टारक को 'हर पार्वतीय' प्रमुख संस्कृत नाटक है।

बादामी चालुक्य महान निर्माता तथा कलाप्रेमी थे। बादामी, ऐहोले, पट्टदकल में सुन्दर, उच्चतम मंदिरों का निर्माण किया। इन्होंने 'चालुक्य शैली' नामक विशिष्ट शिल्पकला की शैली को भारतीय वास्तुशिल्प में प्रारंभ किया। बादामी के चट्टानों में खुदे गुफांतरदेवालय का निर्माण किया। कई कलाकार तथा शिल्पियों को प्रोत्साहन दिया।

चालुक्य शैली के उत्तम मंदिर ऐहोले और पट्टदकल में है। मंदिर निर्माण शैली के कई उदहरणों में ऐहोले भी एक है।

यहाँ, मंदिर के वास्तु शिल्प के विकास का प्रयोग किया है। यह शैली पट्टदकल में संपूर्ण रूप से विकसित हुई। यहाँ लोकेश्वर (विरुपाक्ष) और त्रैलोकेश्वर (मल्लिकार्जुन) आदि प्रसिद्ध मंदिरों को देखा जा सकता है। बादामी की गुफाओं में विष्णु, वराह, हरिहर, अर्धनारीश्वर

कप्पे अरभट्ट शासन का त्रिपदी पद्य

ಶಾಧುಗಾಧುಶಾಧುಷ್ಣುಶಿಶಾಧುಷ್ಣುಂ
ದಾ ದ ಬ್ಬು ಕ್ಷಿತಿಗ್ಗಕ್ಷಿತಿಷ್ಣುಗವಿಬ್ಬಿತಿ
ಕೂವನಂತ ಶ್ರೀಕುತಂ

शाधुगं शाधु

माधुयानं माधुयानं

बाधिष्णु-कलि

कलियुगं विपरितन् :

माधवनेतन् परिल्ल ॥

बल्लियवर्गं बल्लियवन्नु. माधुरगुण
लुक्कवर्गं माधुरवागि वर्त्तसुववन्नु.
तुण्णदरिपडिसुव दुष्परिगं दुष्परुणं
कालिसुववन्नु. एतन्नु असामान्यनाद
माधवने एगिरुवन्नु.

की ऊँची मूर्तियाँ चालुक्यों की कलात्मक साधना का उत्तम उदाहरण है। चित्रकला को भी प्रोत्साहन मिला। इनके काल की अजंता कला विश्व प्रसिद्ध है।



विरुपाक्ष मंदिर, पट्टदकल्ल

कंचि के पल्लव (सा.श. 350 - सा.श 895)

पल्लव तमिलनाडु के सर्वप्रथम राजा हैं। दक्षिण भारत के राजाओं में विशेष स्थान है। इन्होंने ई.श. 4 वीं सदी ई.श 9 वीं सदी तक प्रशासन किया। प्रारंभ में ये शातवाहन के अधिकारी थे। शातवाहन राज्य की अवनति के बाद पल्लवों ने स्वयं को स्थानिक राजा के नाम से घोषित किया।

शिवस्कंदवर्मा इस वंश का पहला राजा है। पल्लवों और कदंबों के बीच निरंतर दुश्मनी थी। इसके बाद चालुक्य वंश के इम्मडी पुलिकेशी पल्लव के महेन्द्रवर्मा को पराजित किया। प्रथम नरसिंहवर्मा पल्लव राजाओं में बहुत प्रसिद्ध थे। चालुक्यों से बदला लेकर इम्मडी पुलिकेशी को हराकर वातापी को वश में कर लिया। इससे उन्हें 'महामल्ल' और 'वातापिकोंड' नामक उपाधि मिली। इसके शासन काल में ह्यूनत्सांग कंचि आया था। कंचि के नज़दीक समुद्रतट में नरसिंह वर्मा ने एक नगर का निर्माण करवाया। उसका नाम 'महाबलिपुरम' रखा। कई एकशिला मंदिर इन्होंने निर्मित करवाए। अपराजित पल्लव के शासन काल में पल्लव साम्राज्य चोल के 'आदित्य' से अंत हुआ।

पल्लवों की देन

तमिलुनाडु में शासन की ठीक व्यवस्था थी। साहित्य, धर्म, कला और वास्तुशिल्प तथा शिक्षण में इनकी देन बहुत प्रमुख है। वातापी में चालुक्यों, कंचि में पल्लवों के शासनकाल ही दक्षिण में वीर युग है। इनके राज्य सदृढ़ और सुव्यवस्थित था। मंत्रि प्रांत्याधिकारी थे। राज्य को मंडल, नाडु, ग्राम - विभाजित किया था। ग्राम सभा ग्राम की समस्या पर ध्यान देती थी। 'ग्राम भोजक' ग्राम के शासन की देख रेख करते थे।

पल्लवों ने संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं को प्रोत्साहन दिया। कंचि संस्कृत साहित्य का केन्द्र था। पल्लव के दरबारी कवियों में भारवि (किरातार्जुनीय) तथा दंडि के 'दशकुमार चरित', प्रसिद्ध कृतियाँ हैं।

राजा महेन्द्रवर्मा ने खुद, 'मत्त विलास प्रहसन' नामक सामाजिक नाटक तथा 'भागवदुजुक' ग्रंथों को रचना की है। पल्लवों ने सब धर्मों को प्रोत्साह दिये। पहले पल्लव राजाओं बौद्धधर्मीय थे। नालंदा विश्वविद्यालय के महान विद्वान धर्मपाल कंचि में जन्में थे। महेन्द्रवर्मा जैनधर्मवाले होने से देश में कई जैन थे।

सातवी सदी में शैव, वैष्णव भक्तिपंथ, जनप्रिय बनगये। नायन्मार नामक 63 यति श्रेष्ठ शैवधर्म को प्रचार - प्रसार किये। 12 आलवारों ने वैष्णवधर्म को प्रचार किये।



महाबलिपुरम के पंचरथ

यह युग में भक्ति आंदोलन आरंभ हुई। वैदिक धर्म का पुनरुज्जीवन में मदद किये। तमिल में श्लोक रचना हुए। यही तमिल साहित्य की निधि है। पल्लव कला और वास्तुशिल्प के प्रेमी रहे हैं। उन्होंने अपने राज्य में कई मंदिरों का निर्माण किया। इन मंदिरों में उत्तम कला - कुशलता देख सकते हैं। पल्लव वास्तुशिल्प को पत्थरों को टाँककर मंदिर और रचना विन्यास पूर्ण

मंदिर नाम से विभाजित कर सकते हैं।

महाबलिपुरम में पत्थरों को टाँककर जो मंदिर बनाये उनको देखा जा सकता है। एकशिला की अद्भुत मूर्तियाँ हैं। इन में महाभारत तथा भागवत कथाएँ हैं। यहाँ के पंचरथ, प्रसिद्ध एकशिला मंदिर 'अर्जुनन तपस्सु' नामक खुदे दृश्य उत्तम कलाकृति हैं।

कंचि के कैलासनाथ, एकांबर नाथ, वैकुंठ पेरुमालों के मंदिर और महाबलिपुरम के समुद्रतट के मंदिर प्राचीन भारत के वास्तुशिल्प का उत्तम निदर्शन हैं।

धार्मिक तथा कलात्मक कौशल का केंद्र मंदिर के आंगन में शाम के वक्त ग्रामीण लोग कई विषयों को चर्चा करते थे। आराम के समय में लोग यहाँ एकत्र होकर, पुराण श्रवण तथा नीति गीतों को गाते थे। इस से मंदिर सामाजिक तथा शैक्षणिक केंद्र बन गये थे।

पल्लवों के पास अच्छा नौकाबल था। व्यापारियों में मलाया, इंडोनेशिया, आग्नेय एशियाई राष्ट्रों के साथ वाणिज्य संबंध थे। भारतीय भाषा, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति का इन देशों पर प्रभाव रहा है।

अभ्यास

I. खाली जगह भरिए

1. पुलिकेश से पराजित पल्लव राजा _____ थे।
2. कर्नाटक नाम _____ वंश ने दिया।
3. 'हरपार्वती' संस्कृत नाटक का कर्ता _____ था।
4. वातापीकोड उपधि के पल्लव राजा _____ थे।
5. 'अर्जुनन तपस्सु' नामक कलाकृति _____ में है।

II. संक्षेप में उत्तर लिखिए

1. इम्मडि पुलिकेशी ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया ?
2. चालुक्यों की शासन व्यवस्था कैसी थी ?
3. चालुक्य साहित्य प्रिय है। उदाहरणों के साथ समझाइए।
4. कंचि पर शासन करने वाले पल्लव राजाओं के नाम लिखिए।
5. संस्कृत और तमिल को पल्लवों ने किस प्रकार प्रोत्साहित किया ?

III. क्रिया - कलाप

1. कन्नड भाषा को चालुक्यों की देन के बारे में चर्चा कीजिए।
2. त्रिपदि के बारे में अध्यापकों से चर्चा कीजिए।
3. कंचिपुर-महाबलिपुरम को प्रवास कीजिए।

IV. योजना :

1. किसी एक ऐतिहासिक केंद्र जाकर विषय संग्रह कीजिए।
2. देवालियों का चित्र खींचकर संग्रहण करके एक अलबम् तैयार कीजिए।



मान्यखेट के राष्ट्रकूट और कल्याण के चालुक्य

इस अध्याय के अध्ययन के बाद निम्नलिखित अंशों को समझेंगे।

- राष्ट्रकूट वंश स्थापक दंतिदुर्ग प्रसिद्ध राजा अमोघवर्ष के बारे में समझाना।
- प्रशासन, साहित्य और वास्तुशिल्प क्षेत्र को राष्ट्रकूटों के योगदान के बारे में समझाना।
- कल्याण चालुक्यों की अभिवृद्धि और प्रशासन साहित्य क्षेत्र को देन के बारे में समझाना।
- राष्ट्रकूट साम्राज्य की व्याप्ति को भारत के मानचित्र में पहचानना।

राष्ट्रकूट (सा.श. 753 - सा.श. 973)

राष्ट्रकूट कन्नड के लोग हैं। पहले वे चालुक्य के सामंत थे। बाद में स्वतंत्र होकर दक्षिण के विशाल साम्राज्य के राजा बने। कन्नड राज्य के इतिहास में राष्ट्रकूट युग एक श्रेष्ठ युग है। कर्नाटक राज्य के वैभव को उच्च स्थान दिलाने की कीर्ति इन्हें मिली है। उत्तर के नर्मदा नदी से दक्षिण कावेरी तक फैला साम्राज्य एल्लोरा, कैलासनाथ मंदिर, कन्नड का पहला ग्रंथ कविराजमार्ग ये सभी इन की ख्याति के कारण हैं।

दंतिदुर्ग से प्रारंभ होकर कृष्ण, इम्मडि गोविंद, ध्रुव, मुम्मडि गोविंद अमोघवर्ष आदि से आगे बढ़कर ऊँची-चोटी पर पहुँचे। अमोघवर्ष के आरंभिक शासन में कई अडचनें थीं। इसे लड़ाई में इच्छा नहीं थी। गंगों के साथ तथा पल्लवों के साथ विवाह संबंध बनाकर दुश्मनी को समाप्त किया। शांति प्रिय थे। उत्तर के कुछ साम्राज्यों को खो दिया। पश्चिम के बंदरगाह को महान वाणिज्य केन्द्र होने के नाते फारस, अरेबिया के साथ व्यापार संबंध बनाकर समृद्ध राष्ट्र बनाया। कई यात्रिक, व्यापारियाँ इस साम्राज्यों को संदर्शन किया। इनमें अरब यात्रिक सुलेमान प्रमुख थे। इसने कहा है कि अमोघवर्ष विश्व के चार श्रेष्ठ राजाओं में एक है।

अमोघवर्ष शूर और शांतिप्रिय थे। सब धर्मों को प्रोत्साहन दिया। इसके बाद इम्मडी कृष्ण ने प्रशासन किया। कल्याण चालुक्य द्वितीय तैलप राष्ट्रकूट साम्राज्य, दूसरे कर्क के काल में अवनति को प्राप्त हुआ।

राष्ट्रकूटों की देन

राष्ट्रकूट के राजत्व वंश परंपरा के साथ साथ आये थे। राजाओं की सहायता करने का मंत्रिमंडल था। मंत्रिमंडलों में विदेशी व्यवहार देखनेवाला महासंधि वेग्रह नामक गव्य था। शासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को राष्ट्र (मण्डल) विषया, नाडु, ग्राम आदि विभाजन किया था।




ग्राम के मुखिया को ग्रामपति अथवा प्रभुगावुंडा कहते थे। ग्राम सेना की मुखिया थे। ग्राम लेखक इसके सहायक थे। ग्राम सभाएँ थी। देश में 'नाडगावुंडा' नामक अधिकारी था। विषय और राष्ट्र पर भी अधिकारी थे।

भूमिकर, सामग्री पर कर, घर, दुकान, नदी पार करने की, वृत्ति पर लगान आदि राज्य का वित्तीय आधार था। विदेशी व्यापार से ज्यादा आमदनी थी।

आदिकवि पंप के नाम में हंपि कन्नड विश्वविद्यालय, 'नाडोज' नामक पुरस्कार कर्नाटक के बड़े साधकों को देते आ रहे हैं।

राष्ट्रकूट काल के और श्रेष्ठ गद्य कृति शिवकोट्टाचार्य के वड्डाराधना है। यह जैन धार्मिक कथाओं का सारांश है। यहाँ कन्नड प्रादेशिक भाषा को विशेष प्राधान्यता मिली है। संदर्भ रचना, पात्रसृष्टि, संवादों में सजीवता है। पंप पूर्व युग का श्रेष्ठ गद्य ग्रंथ है। संपूर्ण कन्नड साहित्य में चिंतन कृति है।



नाडोज पंप



केलासनाथ मंदिर, एल्लोरा

राष्ट्रकूटों के काल में कन्नड और संस्कृत दोनों को प्रोत्साहन मिला। संस्कृत में श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना हुई। त्रिविक्रम ने 'नलचंपु' नामक संस्कृत साहित्य के प्रथम चंपूकृति रचना की। हलायुध ने 'कविरहस्य' लिखा। जिनसेन, गणितज्ञ महावीराचार्य, व्याकरण शास्त्रज्ञ शाकटायन,

गुणभद्र, वीरसेन, अमोघवर्ष के दरबार में थे। आदिकवि पंप ने 'आदि पुराण', 'विक्रमार्जुन विजय' को कन्नड में लिखा। उभय कविचक्रवर्ति 'पोन्न' ने शांतिपुराण लिखा। अमोघवर्ष के दरबारी कवि श्री विजय ने कविराज मार्ग रचना की। यह कन्नड की श्रेष्ठकृति है। इनसे कन्नड साहित्य प्राचीनकाल से फूले - फले।

अग्रहारों, मठों उस काल के प्रमुख शैक्षणिक केंद्र थे। ज्योतिष्य, तर्कशास्त्र, पुराणों में शिक्षण देते थे। विजायपुरा जिले के "इंडि" तालोक का सालोटगि प्रमुख विद्या केंद्रों में एक था।

राष्ट्रकूट राजा शिव और विष्णु के आराधक थे। जैनमत राजाश्रय पाया था। फिर भी सब मतों को प्रोत्साहन दिया था। कई शिव, विष्णु मंदिरों का निर्माण किया है।

राष्ट्रकूट राजा कलापोषक थे। एल्लोरा और एलिफेंटा में निर्मित (उकेरे) मंदिर भारतीय कला को महान देन हैं। पहला कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया एल्लोर का कैलासनाथ मंदिर एकशिला की श्रेष्ठ रचना है। 100 फूट ऊंचा, 276 फूट लंबा, तथा 154 फूट चौड़ा है। महान चट्टान को काटकर बनाये है। यहाँ प्रसिद्ध दशावतार गुफालय है। मुंबई के पास एलिफेंटा की गुफाओं की शिल्पकला राष्ट्रकूट काल की शिल्पकला के मुकुट है। अर्धनारीश्वर, महेशमूर्ति लिमुख की मूर्तियाँ, खूब खुदवार्याँ। रायचुर जिला के 'शिखाल' में इनके मंदिर है। पट्टदकल्ल में सुंदर जिन मंदिर है।

कल्याण के चालुक्य (सा.श. 973 -सा.श. 1189)

कल्याण चालुक्य के काल, भारत के इतिहास में गौरव पूर्ण स्थान है। इन्होंने कला, शिक्षण, सहित्य को विशेष प्रोत्साहन दिया। कन्नड और संस्कृतभाषा पनपने को विशेष प्रोत्साहन देकर मौका प्रबंध किया है। प्रसिद्ध कन्नड के कवियाँ दुर्गसिंह, रन्न, नागचंद्र आदि को आश्रय दिये है। इसी काल में वचन साहित्य प्रकाश में आये। कल्याण नामक नया नगर बनाकर, राजाधानी बनाने की कीर्ति सर्वप्रथम सोमेश्वर को मिलता है।

राष्ट्रकूट का सामंत दूसरा तैलप, राष्ट्रकूट के राजा ने दूसरा कर्क को पराजित कर मान्यखेट को वशमें लेकर कल्याण चालुक्य के साम्राज्य स्थापना की। करीब 24 साल तक शासन किये। इस वंश के प्रमुख राजाओं में पहला सोमेश्वर प्रमुख है। कल्याण नामक नया नगर बनवाकर राजधानी बनायी। यही बीदर जिले का बसवकल्याण है। इसे अनेक युद्ध करने पडे फिर भी साम्राज्य के विस्तार कमी न रही। चोल के राजाधिराज को कोप्पम् में हराया।

क्रि.श. 1076 में पहला सोमेश्वर का पुत्र 6 वी विक्रमादित्य इस वंश के श्रेष्ठ राजा है। वह (असाधारण) अप्रतिम वीर, उत्तम शासक थे। यह ई.श. 1076 में चालुक्य विक्रम

शक आरंभ हुआ। इसने होय्सल के विष्णुवर्धन के दंगे को दबाया। इनका श्रीलंका के राजा विजयबाहु के साथ संपर्क था।

छठे विक्रमादित्य तथा तीसरे सोमेश्वर के बाद आये राजाओं के काल में, चौथा सोमेश्वर के काल में राज्य क्षीण होकर, कलचुरि के बिज्जल, कल्याण को हमलाकर स्वतंत्र शासन करने लगे। इसी काल में सामाजिक, धार्मिक क्रांति से जगज्योति बसवेश्वर समाज को विकसित किया। ये वीरशैव पंथ के मूल्यों को जनसाधारण को पहुँचाने के काम में लगे रहे।

इसके काल के विज्ञानेश्वर मिताक्षर के कतु ने कहा है कि पृथ्वी में कल्याण जैसा नगर पहले किसी ने नहीं देखा, न आगे देख सकेगा। विक्रमादित्य के जैसा राजा न किसी ने देखा है, न सुना है।

बसवेश्वर के बोधप्रद उपदेश, कटु व्याख्या (विडंबन), कडी चेतावनी नामक तीन प्रकार के उपदेश दिये। शिव में अनन्य भक्ति से शरण पाना ही मुक्ति का मार्ग है। ई.श. 1162 में अनुभवमण्डप स्थापना की लोगों की बोलचाल की भाषा कन्नड में गद्य और वचनों की रचना से मन बहलाया।



जगज्योति बसवेश्वर

कल्याण चालुक्यों की देन



कल्याण चालुक्य बादामी चालुक्य की तरह विशिष्ट देन है। राजात्व वंश परंपरा से होता था। राज्य को प्रांत्यों (मण्डल) और छोटे प्रांत्यों में (नाडुगलु) विभाग किया था। इसके अलावा कंपणों (होबली) ग्रामों के शासन के सहायक थे।

‘भूमिकर’ राज्य की मूल आमदनी थी। आमदनी कई मूलों में सौदा (व्यापार) कर वृत्ति कर आदि थे। भूमि कर की व्यवस्था के लिए ‘कडितवेगडि’ नामक अधिकारी को नियुक्त किया था। व्यापार में तथा हथकरघा (उद्यम) में विविध श्रेणी थी।

चालुक्य के काल में साहित्य को प्रोत्साहन मिला। जैन विद्वान की मदद से कन्नड साहित्य की अभिवृद्धि हुई। रत्न के 'गदायुद्ध' (साहस भीम विजय), दुर्गसिंह के पंचतंत्र बिल्हण के 'विक्रमांक चरित' नयसेन का 'धर्मामृत' तथा विज्ञानेश्वर के कानून ग्रंथ, मिताक्षर मुख्य ग्रंथ प्रसिद्ध है। तृतीय राजा सोमेश्वर द्वारा लिखित 'मानसोल्लास', संस्कृत विश्वकोश कहलाता है। चालुक्य के काल की विशिष्ट देन वचन साहित्य है। बसवण्ण, अक्कमहादेवी अल्लमप्रभु, माचय्या आदि गण्य वचनकार थे।

गद्याण, पण, दुम्य, पोन्न, सुवर्ण नामक अशर्फियों को मुद्रित करने के लिए लकुंडि तथा सूडि में टंकणशाला स्थापित की गई।

साहित्यभिमानी चालुक्य कलाराधक थे। कला के क्षेत्र में उनकी देन बहुत है। लकुंडि के काशी विश्वेश्वर, इटगि के महादेव मंदिर, कुरुवत्ति के मल्लिकार्जुन मंदिर, गदा के त्रिकूटेश्वर आदि प्रसिद्ध मंदिर इनकी देन है। इस वंश के राजाओं द्वारा हजारों मंदिर बनवाए गए हैं। मंदिरों का निर्माण करते कन्नड देश को कला के शिबिर के रूप में परिवर्तन करना इनकी अमूल्य देन है।



काशी विश्वेश्वर मंदिर, लकुंडी

संगीत, नृत्य की अभिवृद्धि हुई। इनकी सेवा के लिए वे कलाकारों को नियुक्त करते थे। महाराणी चंद्रलेखा अनेक संगीत विद्वानों को और नृत्यकारिणों को आश्रय दिया जाता था। संगीत, नृत्य, कला, पछुआ (आभरण) आदि विषयों के 'मानसोल्लास' तथा दूसरा जगदेकमल्ल के संगीत चूडामणिग्रंथ भी था।

अभ्यास

I. खाली जगह भरिए :

1. राष्ट्रकूट का प्रारंभिक राजा _____ था ।
2. राष्ट्रकूटों की अवनति के कारण बने कल्याण चालुक्य के राजा _____ थे।
3. कवि रहस्य _____ ने लिखे ।
4. पोन्न का प्रसिद्ध काव्य _____ था ।
5. कल्याण चालुक्य का प्रसिद्ध राजा _____ था ।
6. सामाजिक क्रांति का प्रारंभकर्ता _____ को कहते हैं।

II. निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए :-

1. राष्ट्रकूट के शासन व्यवस्था कैसी थी ?
2. राष्ट्रकूट की शिक्षण व्यवस्था के बारे में लिखिए ।
3. एल्लोरा मंदिर के बारे में लिखिए ।
4. कल्याण चालुक्यों ने साहित्य को कैसे प्रोत्साहित किया ?

III. क्रिया - कलाप :

1. राष्ट्रकूट काल के मंदिरों के देखे गए किसी विद्यार्थी या शिक्षकों के साथ विचार विमर्श कीजिए ।
2. मान्यखेट, एल्लोरा किसी एक केन्द्र का प्रवास कीजिए ।

IV. योजनाएं :

1. चार समूह बनाकर एल्लोरा के बारे में परियोजना तैयार कीजिए ।
2. मान्यखेट के चित्रों का संग्रहण कीजिए ।
3. बसवेश्वर की जीवन गाथा के बारे में परियोजना तैयार कीजिए ।



चोल और द्वार समुद्र के होयसल

इस अध्याय के अध्ययन के बाद निम्नलिखित अंशों को समझेंगे।

- चोल साम्राज्य का विस्तरण, विविध क्षेत्रों को प्राप्त योगदानों को समझना।
- होयसल साम्राज्य की स्थापना और धार्मिक, साहित्य तथा कला, वास्तुशिल्प क्षेत्रों को प्राप्त योगदानों को समझना।

चोल (सा.श. 850 से सा.श. 1279)

ये तमिलनाडु के पल्लव के बाद दक्षिण में 9 वीं सदी से 13 वीं सदी तक तमिलनाडु, आन्ध्र और कर्नाटक के अनेक प्रदेशों को कब्जे में लेकर, भारतीय संस्कृति को विदेशों में प्रसार करने का कारण बने। भव्य मंदिरों की निर्माण किया। 'बृहदीश्वर' देवालय इनकी देन है। ये तमिल साहित्यन को प्रोत्साहन देकर प्रसिद्ध हुए।



बृहदीश्वर देवालय

चोल पल्लवों के आश्रय में रहकर, तदुपरांत स्वतंत्र हुए। संगम साहित्य के करिकाल चोल इस वंश का मूलपुरुष था। कहते हैं विजयालय चोल राज्य को पुनश्चेतन करके तंजावूर को राजधानी बनाया गया।

चोल के प्रमुख राजा प्रथम राजा शूर, श्रेष्ठ योद्धा तथा समर्थ शासक था। चोल ने राज्य के शिल्पी बनकर उसकी नींव मजबूत कर अपने राज्य का विस्तार किया। चेरों गंगों और पाण्ड्यों को हराया। नौका सेना से श्रीलंका को वश में ले लिया। मलेशिया, सिंगपुर में आज भी तमिलों का आधिक्य देखा जा सकता है। वे राजनैतिक आर्थिक, सांस्कृतिक कौशलों में प्रभावशाली थे। इसके द्वारा सागरोत्तर वाणिज्य व्यवहार प्रारंभ करके अभिवृद्धि करते गए। तंजावूर का प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर इनके द्वारा निर्मित है। तीसरे राजेन्द्र के काल में चोल राज्य क्षीण हुआ और पाण्ड्य लोग उन्नति करने लगे।

चोलों की देन

राज्य में अत्यंत समर्थ शासन चोलों का था। राज्य मंडलम्, कोटवंगि, नाडू कुरम अथवा ग्राम समुदाय तथा तर-कुरं नाम से विभाजित थे। हर ग्राम में 'ऊर' नामक प्रजा की सभा थी।

ग्राम सभाएँ प्रथम सभा थी। तर-कुरम एक गाँव था। हर एक कुरम् को महासभा नामक ग्राम सभा थी। इसे पेरुगुरि यानी, उनके सदस्यों को 'पेरुमक्कल' कहते हैं। सदस्यों को चुनाव के द्वारा चुनते थे। केवल संस्कृत विद्वान तथा अमीर लोग चुनाव के योग्य थे।

भूमि कर भाग को लगान के रूप में वसूल करते थे। सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कई तालाब बनाये। बेंगलूर के पास बेल्लेंदूर तालाब भी बनाये। गंगैकोंड चोलपुरम में एक विशाल सरोवर को बनवाये।


चोल शैवमत के थे। इन्होंने अनेक शिवालयों का निर्माण किया। तंजाऊर का बृहदीश्वर मंदिर 500 फुट लंबा 250 फुट चौड़ा, विशाल प्राकार में है। उसका शिखर/गोपुर 200 फुट ऊँचा है। चन्नपट्टण के पास, राजेन्द्र चोल द्वारा निर्मित चोलेश्वर (गंगैकोंड चोलपुर) अप्रमेय बेंगलूर के पास बेगूर का चोलेश्वर, बिन्नमंगल का मुक्तेश्वर कर्नाटक में इनके मंदिर थे। ये मंदिर आर्थिक, सांस्कृतिक, केन्द्र के रूप में काम कर रहे थे। इस काल में शिव, गणपति, विष्णु, दुर्गा, कार्तिकेय की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हुईं।

चोल विद्या को प्रोत्साहन देते थे। इन्होंने कई अग्रहारों की स्थापना की। इनमें उत्तर मेंरुर का अग्रहार बहुत प्रसिद्ध है। मंदिर विद्या के केंद्र थे। और धार्मिक कार्यों के केंद्र भी थे। यह


तमिल साहित्य की सर्वतोमुखी प्रगति का काल है। कंब रामायण, सेक्किलर के पेरिया पुराण, तिरुक्कादेव के जीवक चिंतामणि आदि प्रमुख हैं।

द्वारसमुद्र के होयसल (सा.श 984 - सा.श. 1346)

चालुक्यों की अवनति के बाद कर्नाटक में हायसलोण अपने राज्य की स्थापना की। चिक्कम गलूर जिले के मूडिगेरे तालुक सोसेऊर (आज के अंगडी) नामक ग्राम के पास इस कुल का मूल पुरुष 'सल' जैन मुनि सुदत्त मुनि के आदेश से बाघ से भिंडा और उसे मारकर 'होयसल' नाम से इस वंश का स्थापक बना। साहित्य, शिक्षण कला और वास्तुशिल्प, सिंचाई आदि को इनकी विशिष्ट देन है।



होयसलों का प्रतीक



श्री रामानुजाचार्य

नृपकामा, एरेयंग, बल्लाल के बाद विष्णुवर्धन होयसल के प्रमुख राजा बने। ये इस कुल के श्रेष्ठ राजा थे। इन्होंने चोल से गंगवाडी को जीतकर "तलकाडुगौडा" नामक उपाधि पायी। कीर्तिनारायाण मंदिर तथा बेलूर के चैन्नकेशव (विजय नारायण) मंदिर का निर्माण किया। राज्य का विस्तार करने के प्रयास में चालुक्य के 6 वें शासक विक्रमादित्य से हार गये। रामानुजाचार्य अपना विशिष्टाद्वैत तत्व चोल राज्य में प्रचार कर नहीं पाये तो बिट्टिदेव (विष्णुवर्धन) के आश्रय में रहकर इन्होंने सारे कर्नाटक में प्रचार किया। तीसरे बल्लाल के काल में यह राज्य क्षीण हुआ। इसी समय विजयनगर साम्राज्य अधिकार में आया।

होयसलों की देन

होयसलों ने प्रांतीय शासन व्यवस्था जारी की। शासन युवराज, रानी और राजकुल की देख रेख में था। नाडू और विषय संबंधी शासन अधिकारियों के हाथ में था। गाँवों में गौडा, शानभोग, तलवार आदि सरकार के प्रतिनिधि थे।

होयसल खेतीबाडी को प्रोत्साहन देते थे। अतः शांतिसागर, बल्लालराय समुद्र, विष्णुसमुद्र आदि कई तालाबों का निर्माण करवाया। नगरों में शिल्पकार, वैणिक श्रेणियाँ थीं।

भूमिकर राज्य की प्रमुख आय थी। समाज की विशिष्टता यह थी कि राजा के लिए 'गरुड' नामक विशेष अंगरक्षक दल होते थे। वे राजा की मृत्यु पर स्वयं भी प्राण त्याग करते थे।

होय्सल के काल में जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव, वीरशैव, श्री वैष्णव मत प्रचलित थे। सर्वधर्म समन्वय की भावना बेलूर मंदिर में है। अग्रहार, मठ, मंदिर शिक्षा का केंद्र था मेलुकोटे, सालगामें, अरसीकेरे आदि प्रमुख शिक्षा केंद्र थे यहाँ वेद, वेदशास्त्र, कन्नड, संस्कृत का अध्ययन होता था।


कन्नड साहित्य की अभिवृद्धि हुई। रुद्रभट्ट के 'जगन्नाथ विजय' कवि चक्रवर्ती जन्न के 'यशोधर-चरित', हरिहर के गिरिजा कल्याण नामक चंपू काव्य, राघवांक के 'हरिश्चंद्र काव्य' तथा केशिराज के 'शब्दमणि दर्पण' की रचना हुई। संस्कृत में रामानुजाचार्य का श्रीभाष्य पराशर भट्ट का श्री गुण रत्नकोश आदि ग्रंथ रचा गया।

होय्सल की शिल्पकला जगत् प्रसिद्ध है। सिलखडी से होय्सल के बहुत से मंदिर बनवाये गए। इनके मंदिर में नक्षत्राकार गर्भगृह, उपपीठ, भित्ति अलंकरण, शिखर तथा स्तंभ नामक पांच लक्षणों को देखा जा सकता है।



चेन्नकेशव मंदिर, बेलूर

बेलूर का चैन्नकेशव मंदिर स्तंभों, तहखाने पीठों में सुंदर मदनिका की मूर्तियों से युक्त है। हलेबीडु के होयसलेश्वर मंदिर को सेनानायक केतमल्ल ने बनवाया। सोम सेनानायक द्वारा बनवाया गया सोमनाथपुर का केशव मंदिर प्रसिद्ध है। अरसीकेरे, गोविन्दन हल्ली आदि स्थलों में कई मंदिर और विहार भी हैं। ये सब बहुत सूक्ष्मता से उत्कीर्ण हैं और प्रसिद्ध हैं। वास्तुशिल्प में प्रभाव डालने वाले दासोजा, चावण, जकण, डंकण आदि शिल्पियों की कला बहुत प्रसिद्ध है।



शिलाबालिका

सर्व धर्म समन्वय की भावना को बेलूर देवालय में स्थित निम्नलिखित पद्य समझाता है।

ಯಂತ್ರೈವಾಸ್ತಮುಪಾಸತೇ ಶಿವ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನೇದಾಂತಿನೋ
 ಬೌದ್ಧಾ ಬುದ್ಧ ಇತಿ ಪ್ರಮಾಣಪಟಿನಃ ಕರ್ತೇತಿ ನೈಯಾಯಿಕಾಃ
 ಅರ್ಹಶ್ಚೇತಿ ಹ ಜೈನಶಾಸನಮತಿಃ ಕರ್ಮೇತಿ ಮೀಮಾಂಸಕಾಃ
 ಸೋಸಯಂ ವೋ ವಿದಧಾತು ವಾಂಛಿತಫಲಂ ಶ್ರೀ ಕೇಶವೇಶಸ್ವದಾ ॥

ಯಂ ಶೈವಾಸ್ತಮುಪಾಸತೇ ಶಿವ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನೇದಾಂತಿನೋ
 ಬೌದ್ಧಾ ಬುದ್ಧ ಇತಿ ಪ್ರಮಾಣಪಟಿನಃ ಕರ್ತೇತಿ ನೈಯಾಯಿಕಾಃ
 ಅರ್ಹಶ್ಚೇತಿ ಹ ಜೈನಶಾಸನಮತಿಃ ಕರ್ಮೇತಿ ಮೀಮಾಂಸಕಾಃ
 ಸೋಸಯಂ ವೋ ವಿದಧಾತು ವಾಂಛಿತಫಲಂ ಶ್ರೀ ಕೇಶವೇಶಸ್ವದಾ ॥

ಶೈವರು ಶिवನೆಂದು, ವೇದಾಂತಿಗಳು ब्रह्मवेಂದು, बौद्धರು बुद्ध
 नेंदु, प्रमाणदल्लि समर्थराद नैयययिकरु कर्तृवेन्दु,
 जैनरु अर्हनेन्दु, मीमोंसकरु कर्मवेन्दु योवनेन्नु
 लुपासने माडुवरुओ अवने अव—क श्रि केशवनेंब कशनु
 निमगे इस्वार्थवेन्नु पालिसल।

अभ्यास

I. खाली जगह भरिए

1. चोलों की राजधानी _____ थी ।
2. चोल काल में हर ग्राम के प्रजाप्रतिनिधि सभा को _____ कहा जाता था ।
3. बहुत प्रसिद्ध चोल विद्या केंद्र अथवा अग्रहार _____ था ।
4. बेंगलूर के पास चोल द्वारा निर्मित बेगूर मंदिर _____ देवता को समर्पित है ।
5. होय्सलों की अंगरक्षक सेना _____ कहताती थी।
6. राघवांक द्वारा रचित काव्य _____ था ।

II. निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए :

1. चोल साम्राज्य के शिल्पी कौन थे ?
2. चोल शासन की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए ।
3. होय्सलों ने, साहित्य को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया ?

III. क्रियाकलाप :

1. अपने नजदीक किसी एक मंदिर को देखकर कक्षा में उसकी चर्चा कीजिए ।
2. बेलूर शिलाबालिका के बारे में अपने अध्यापक से और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए ।

IV. परियोजना :

1. बेलूर हलेबीडु जाकर एक परियोजना तैयार कीजिए ।
2. होय्सल की कला के बारे में पढकर एक परियोजना तैयार कीजिए ।



मानवाधिकार

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों के बारे जानकारी पायेंगे।

- मानवाधिकार का अर्थ और विकास
- मानवाधिकार और संविधान
- मानवाधिकार की घोषणा
- मानवाधिकार के कार्यान्वयन मार्ग

मानवाधिकार की परिकल्पना सत्यता के साथ-साथ उदित हुई है यह मानव की अभिवृद्धि, शांति पूर्ण जीवनयापन के लिए आवश्यक है। अधिकार जनतंत्र राष्ट्र के आधार स्तंभ है। श्रेष्ठ राजनीति विशेषज्ञ एच.जे की पहचान वहाँ के मानवाधिकार से होती है। मानव अधिकार से उत्तम समाज निर्माण संभव है। विश्वसंस्था भी मानवाधिकार की सुरक्षा पर जोर देती है।

मानवाधिकार का अर्थ और विकास:

प्रत्येक मानव के लिए मानवाधिकार अत्यंत आवश्यक है इनसे मानव का सर्वतोमुखी विकास संभव है। मानवाधिकार के मूल को प्राचीन ग्रीक रोमन नगर राजनीति एथेन्स और स्पार्टा में पहचाना गयी है। सुकुरात, प्लेटो और अरस्तू के दर्शन में भी मानवाधिकार का उल्लेख मिलता है।

मैग्नाकार्ट (ई. 1215)

मैग्नाकार्ट अथवा महासंविद (सनद) अंग्रेजी कानूनी बुनियाद पर प्रभाव डालता है। ई. 1215 में इंग्लैंड के राजा जान ने पुराने नियमों का उल्लंघन किया। नागरिकों ने अपने अधिकारों की माँग के लिए संघर्ष किया। इसका नतीजा यह हुआ कि महासनद (संविद) पर राजा ने हस्ताक्षर किये। सरकार के मध्य प्रवेश से चर्चा स्वतंत्र हुयी। सब लोगों को अपनी जायदाद (पितृार्जित) पाने का अधिकार मिला। समानता का तत्व प्रतिपादित हुआ। महासनद या महा संविद आधुनिक प्रजा प्रभुत्व का कानूनी दस्तावेज हुआ।

जानलॉक ने सबसे पहले व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के बारे में चिंतन किया । उनके अनुसार व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं देता बल्कि वे जन्म से ही उसे प्राप्त होते हैं। इससे व्यक्ति के अधिकार को अधिक महत्व मिला। इसके पूरक 1688 में इंग्लैंड में रक्तरहित क्रांति के कारण 1689 में अधिकार विधेयक (Bill of Rights) जारी किया गया इसमे सबसे पहले मानवाधिकार को शासन की सुरक्षा मिली।

जॉनलाक, रूसो, मांटेस्को आदि दार्शनिकों के प्रभाव के कारण अमेरिका और फ्रान्स में क्रांति हुई। इस क्रांति के फलस्वरूप अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा हुई। अमेरिका संविधान के प्रथम परिष्करण के बाद 15 दिसंबर 1791 में मानव अधिकार शामिल हुए। 1789 में फ्रान्स मानवाधिकार की घोषणा एक बड़ा इतिहास है। इससे फ्रान्स में निरंकुश प्रभुत्व को हटाया गया। फ्रेंच गणराजनीति की स्थापना हुई। इस घोषणा के बाद लोगों को स्वतंत्रता, समानता, जायदाद और सुरक्षा आदि का विश्वास दिलाया गया।

मानवाधिकार का विकास किसी एक प्रदेश की सीमा में न रहकर विश्वरूपी है। प्रथम महायुद्ध के बाद स्थापित राष्ट्र संघ में (लीग ऑफ नेशन्स) मानवाधिकारों के बारे में पूरक कार्यसूची बनायी गयी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानवाधिकार की सुरक्षा की दृष्टिकोण से रूसवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल के प्रयास से विश्वसंस्था की स्थापना हुई।

विश्वसंस्था की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम विश्व के लोग विनाशकारी युद्ध से अपनी आगे की पीढ़ी को बचायेंगे। युद्ध ने हमारे जीवन को दो बार दुख दिया है। इसलिए विश्व संस्था की स्थापना का उद्देश्य विश्व के किसी भी भाग में मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकना है। इस कार्य के लिए विश्व संस्था 1948 दिसंबर 10 को प्रत्येक राष्ट्र में मानवाधिकार की सुरक्षा के बारे में निदेशित किया।

मानवाधिकार और भारत संविधान

विश्वसंस्था द्वारा घोषित मानवाधिकार के अंशों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और भ्रातृत्व के बारे में कहा गया है। संविधान के तीसरे भाग के मूलभूत अधिकारों में अधिनियम 12 से 35 तक बताया गया है। मूल संविधान में 7 मूलभूत अधिकार को दिया गया था। 1978 में संविधान के 44वाँ परिष्करण कायदे के द्वारा जायदाद के अधिकार को मूलभूत अधिनियम के भाग से निकालकर 300 के अंतर्गत शासनीय अधिकार के रूप में मिलाया गया है। प्रस्तुत 6 मूलभूत अधिकार हैं।



ध्यान दें

संविधान का 86वाँ परिष्करण करके 21 'ए' अधिनियम अनुसार 2002 में शिक्षा को एक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार 6 से 14 आयु तक के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए।

इनके बारे में पिछली कक्षा में समझ चुके हैं ।

मानव अधिकार और मूलभूत अधिकार के बीच अंतर

मानव अधिकार व्यक्ति की सर्वांगीण अभिवृद्धि के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक रूप से ये मानव को प्राप्त है। मानव के व्यक्तित्व को ये ऊँचा करते हैं। इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय की निश्चित सुरक्षा नहीं मिलती। मूलभूत अधिकार व्यक्ति के उन्नति के लिए आवश्यक है। संविधान द्वारा ये सुरक्षित है। इनके उल्लंघन होने पर सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय 'रिट' द्वारा इनकी रक्षा करते हैं। ये निर्दिष्ट होते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं।

मानवाधिकार की सुरक्षा संस्था

मानवाधिकार की सुरक्षा से संबंधित 1966 में विश्व संस्था में सदस्य राष्ट्रों के साथ बैठक करके मानवाधिकार की सुरक्षा के बारे में कहा गया है। मानव अधिकार की सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रचना की गयी। इसके पूरक के रूप में राष्ट्र स्तर में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गयी है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्राविधिक संस्था है 1993 में संसद के कानून द्वारा इसकी रचना हुई है। इसमें अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं अथवा उच्च न्यायालय में कार्यरत अथवा निवृत्ता न्यायाधीश होते हैं। दो सदस्य मानवाधिकार के संरक्षण प्रायोगिक अथवा विशेष ज्ञान प्राप्त व्यक्ति होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इनकी अधिकार अवधि 5 वर्ष होती है। अथवा 70 साल की आयु होती है इनमें से किसी एक की गणना की जाती है। ये केंद्र सरकार द्वारा निश्चित वेतन भत्ता इत्यादि पाते हैं।

राजनीति मानवाधिकार आयोग: मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अनुसार इसकी स्थापना हुई। यह मानवाधिकार के उल्लंघन की कारवाई करता है। इसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं सदस्य सेवारत न्यायाधीश अथवा निवृत्त होते हैं। अथवा जिला स्तर के न्यायालय में 7 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हों।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग: संविधान के 338 अधिनियम को 89 वें परिष्करण के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग को अलग किया गया। दोनों अलग अलग आयोग बने। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में 1 अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर के अत्याचार की रोक के लिए अग्रिम कार्य करना और मानव अधिकार के उल्लंघन के संदर्भों को पहचानकर उन्हें आवश्यक सुरक्षा देना, यह आयोग अनुसूचित जाति की अभिवृद्धि के लिए केंद्र तथा राज्य की योजना बनाने के विषय में मार्गदर्शन करता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग: संविधान के 89 वें परिष्करण अधिनियम द्वारा 2003 में इस आयोग की स्थापना हुई। इसमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

पिछडे वर्गों का राष्ट्रीय आयोग: 1993 में इसकी स्थापना हुई। इसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। पिछडे वर्गों की लोगों की रक्षा का भार यह संभालता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग: महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु 1990 में इस आयोग अधिनियम की स्थापना हुई। इसमें 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। संविधान में निहित महिला अधिकारों को सुरक्षित करने से संबंधित विचारों से महिलाओं में जागरूकता लाना और महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, और शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा का कार्य यह करता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग: अल्प संख्यकों की सुरक्षा की दृष्टि से 1992 में इस आयोग का अधिनियम बनाया गया। इसमें 1 अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। 6 धार्मिक समुदाय जो, मुसलमान, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी, और जैन लोगों को अल्प संख्यक माना गया है। इन समुदाय की अभिवृद्धि का मूल्यांकन करना उनकी रक्षा के लिए आवश्यक कार्य करता है।

ध्यान दें

शोषण पर रोक लगाने के लिए निम्नलिखित अधिनियम जारी किये गए हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948

अनैतिक व्यवहार अधिनियम-1956

दहेज निषेध अधिनियम-1961

गुलामी निर्मूलन अधिनियम-1976

सती निषेध अधिनियम-1987

मानव अधिकार अधिनियम-1993

सूचना अधिकार अधिनियम-2005

पारिवारिक अत्याचार रोक अधिनियम-2005

सूचना अधिनियम: भारत देश में सूचना अधिनियम 2005 में जारी किया गया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का निर्मूलन करके प्रशासन को पारदर्शी बनाना है। इसके अनुसार एक आवेदन द्वारा व्यक्ति सरकार से किसी भी विभाग से कोई भी जानकारी लेने का अधिकार रखता है। तीस दिन के भीतर संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना देनी पड़ती है। जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 घंटों के भीतर देनी पड़ती है। फिर भी वैयक्तिक रूप से यदि चाहे तो भी राष्ट्र की सुरक्षा, एकता से संबंधित सूचना देने से रोका जा सकता है। अथवा सूचना देने से इनकार कर सकता है।

अभ्यास

I. निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही उत्तर भरिए:

1. मानवाधिकार की घोषणा..... में हुई।
2. मैग्नाकार्टा पर राजा ने हस्ताक्षर किया।
3. प्रस्तुत मूलभूत अधिकारों की संख्या..... है।
4. जायदाद सुरक्षा अधिकार.... प्रकार का अधिकार है।
5. मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति..... करते हैं।

II. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर समूह में चर्चा करके लिखिए:

1. मानवाधिकार के विकास का विवरण दीजिए।
2. मानवाधिकार मानव के सर्वांगीण अभिवृद्धि में सहायक हैं । समझाइए।
3. सर्वोच्च न्यायालय मूलभूत अधिकारों का संरक्षक है । विचार कीजिए।
4. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार का संरक्षक है । कैसे ?
5. राजनीति मानवाधिकार के बारे में लिखिए।

III. कार्य-कलाप:

1. मानवाधिकार की सुरक्षा से संबंधित भाषण प्रतियोगिता आयोजित कीजिए।
2. मानवाधिकार और मूलभूत अधिकार के बीच के अंतर की तालिका बनाइए।



स्थानीय सरकार

इस अध्याय के अध्ययन के बाद इन निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

- स्थानीय स्वयं सरकार की रचना के पूर्वोत्तर जानकारी समझाना।
- स्थानीय स्वयं सरकार के उद्देश्य एवं कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
- विविध स्थानीय संस्था की रचना प्रशासन, जिम्मेदारी (उत्तरदायित्व) और कर्तव्यों को समझना।

भारत में स्थानीय सरकार की परिकल्पना बहुत पुरानी है। अनेक राजा महाराजाओं ने स्थानीय स्वयं सरकारों की रचना करके उनकी अभिवृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्थानीय स्वयं सरकार समुदाय और सरकार के बीच संबंध स्थापित करने के साथ साथ स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को मुक्त रूप से चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। स्थानीय सरकार लोगों की जरूरतों को उनकी सहायता से आसानी से हल करता है। स्थानीय सरकार के प्रशासन में लोगों के भाग लेने से प्रजाप्रभुत्व जैसी संस्थाएँ बुनियादी रूप से सुरक्षा प्रदान करती हैं। स्थानीय प्रशासन में जनता प्रशासन मंडली में प्रतिनिधियों का चयन करके अधिकार दिलाने का हक रखती हैं। इसी प्रकार स्वयं प्रशासन करनेवाले मंडलियाँ स्थानीय स्वयं सरकार के नाम से जानी जाती हैं। अधिकार विकेंद्रीकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में 1910 में और 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी की गयी संहिता में इस प्रकार के स्थानीय सरकारों को ज्यादा महत्व मिल चुका है। गाँधीजी के मस्तिष्क में भारत में साम्राज्य लाने की परिकल्पना थी। गाँधीजी की सपने को पूरा करने के लिए ग्रामराजनीति की सृष्टि हुयी। राष्ट्रपिता के इस सपने को पूरा करके के लिए स्वतंत्रता के बाद भारत में अनेक समिति और आयोग बनाकर संहिताओं को जारी किया गया। इसके साथ भारतीय संविधान में निहित राजनीति निदेशक तत्व के अंतर्गत अधिनियम 40 में पंचायत संघटन के बारे में समझाया गया है।

1992 में संविधान 73 वें और 74 वें परिष्करण अधिनियम के अनुसार स्थानीय सरकार को अधिक महत्व दिया गया। 73 वें परिष्करण कानून के रूप में 1993 अप्रैल 24 को जारी किया गया। इस परिष्करण के अनुसार भाग IX में 243 से 243 '0' तक के अधिनियम के

अंतर्गत पंचायत व्यवस्था के बारे में कहा गया है। 74 वें परिष्करण अधिनियम के अनुसार स्थान दिया गया है। भाग IX 'A' में 243 'P' से 243 'ZG' तक के अधिनियम के अंतर्गत नागरिक प्रशासन के बारे में बताया गया है।

कर्नाटक में स्वतंत्र पूर्व में ही अनेक स्थानीय स्वयं सरकार कार्य कर चुके थे। स्वतंत्रता के बाद स्थानीय स्वयं सरकारों की स्थापना के लिए हमारा राज्य समितियों की रचना करके सलाहों का अनुसरण किया है। राज्य सरकार ने 1983 पंचायतराज संहिता का परिचय कराके 1985 से इस संहिता को जारी किया है।

इस संहिता के अनुसार जिलास्तर में जिला पंचायत तालुक स्तर में तालुक पंचायत ग्रामस्तर में ग्रामपंचायत प्रत्यक्ष निर्वाचनों द्वारा रचना करलेने की सूचना दी गयी है। 1983 की संहिता को और भी सबल बनाने के लिए 1993 में पंचायत राज संहिता का परिष्करण किया गया। इस परिष्करण में ग्राम सभा की रचना के लिए भी अवसर प्रदान किया गया। पंचायतराज संहिता में ग्राम अभिवृद्धि के उपयोगी परिष्करणों को किया गया है।

स्थानीय स्वयं सरकार के उद्देश्य

1. स्थानीय समस्याओं को हल करने में स्थानीय लोगों की सहायता लेना।
2. आम जनता को प्रशासनीय ज्ञान प्रदान करना।
3. अधिकार विकेंद्रीकरण करके प्रशासन को अधिक परिणामकारी बनाना।
4. बुनियादी स्तर में नायकत्व के गुणों की अभिवृद्धि कर लेने से संबंधित प्रशिक्षण देना।

स्थानीय स्वयं सरकार के कार्य: स्थानीय स्वयं सरकार जैसे जिला पंचायत, तालुक पंचायत और ग्रामपंचायत के कार्य अलग अलग होते हैं उनके सामान्य और प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं।

1. पंचायत की जायदाद की रक्षा करना।
2. स्थानीय मंडलियों की वार्षिक आय-व्यय का बजट तैयार करना।
3. स्वास्थ्य और कुटुंब कल्याण की योजना बनाना।
4. मार्ग निर्माण, बिजली, गृह निर्माण और पीने के पानी, आदि की अभिवृद्धि के

लिए योजना बनाकर कार्य करना ।

5. प्राथमिक, प्रौढ़, वयस्क और अनौपचारिक शैक्षणिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना ।
6. अपने प्रदेशों में स्वच्छता और नैर्मल्यीकरण की रक्षा करना ।
7. सब प्रकार के प्रदूषणों पर रोक लगाकर स्वस्थ सुविधाएँ दिलाना ।
8. आवश्यक खाद्य मिट्टी का तेल आदि के वितरण की व्यवस्था करना ।
9. जनन और मरणों के सही पंजीकरण की जानकारी प्राप्त करना ।
10. खेतीबाड़ी, पशुपालन, खादी और कर कुशल व्यवसायों को प्रोत्साहित करना ।
11. मिट्टी, पानी और जंगलों की रक्षा से संबंधित कार्यक्रम बनाना ।
12. किसानों की सहायता करनेवाले खेतीबाड़ी से संबंधित कार्य बनाना ।
13. परिशिष्ट जाति/अनुसूचित जाति/वर्ग, दुर्बलवर्ग, महिलाएँ और बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का निरूपण करना ।
14. वाचनालय, सड़कों की बिजली और मार्केट से संबंधित सुविधाओं का आयोजन करना ।
15. शुल्क/जुर्माना और करों का संग्रह करना ।
16. सरकार की कल्याण योजनाओं के उपयोग कर्ताओं को मुक्त रूप से पहचानना ।

आमदनी के आधार: स्थानीय स्वयं सरकार के द्वारा विविध योजनाओं की जारी के लिए आर्थिक निधि और पूंजी की आवश्यकता रहती है । इस संस्था के आमदनी के मूलाधार निम्न है:

1. पानी, सेहत (स्वास्थ्य) शिक्षा, ग्रंथालय और वाचनालय के उपकरणों से प्राप्त कर । (संग्रह की जानेवाली धनराशि)
2. भवनों का कर खाली जगहों का कर व्यावहारिक संस्थाओं का कर, मार्केट, मनोरंजनों का कर और विज्ञापनों से वसूल किया जानेवाले कर की धनराशि ।

3. प्रवासी स्थानों से संग्रह किया जानेवाला कर ।
4. पंचायत जायदाद से प्राप्त धन सहाय और अनुदान की धनराशि आदि ।
5. राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान धनराशि ।

स्थानीय स्वयं प्रशासन मंडलियों की रचना (Composition of Local Governing Bodies)

ग्राम सभा : ग्राम सभा एक प्रकार की ग्राम मंडली कहलाती है। इसकी रचना के लिए चुनाव (निर्वाचन) की आवश्यकता नहीं होती। 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी पुरुष महिलाएँ ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य भी इसमें भाग ले सकते हैं। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम सभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ग्राम सभा की रचना करता है। ग्राम सभा हर 6 महीने में नियमित रूप से चलती है। सभा में गाँव के लोग अपने गाँव की समस्या और उनके हल के बारे में किये जानेवाले कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं। सरकार की विविध योजनाओं के लिए उपभोक्ताओं को पहचानने की जिम्मेदारी भी इसी सभा की होती है।



ग्राम सभा

ग्राम पंचायत : इसकी रचना जनसंख्या के आधार पर होती है। कुल 5000 से 7000 तक की जनसंख्या का एक गाँव अथवा दो तीन गाँवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत की रचना होती है। उत्तर कन्नड, दक्षिण कन्नड पहाड़ी प्रदेशों में सिर्फ 2000 जनसंख्या के गाँव भी ग्रामपंचायत की रचना कर सकते हैं। ऐसा अवसर उन्हें प्रदान किया गया है। ग्राम पंचायत के सदस्य अपनी सीमा में आनेवाले प्रदेशों के वयस्क मतदाताओं से चुने जाते हैं। हर 400 मतदाताओं का एक प्रतिनिधि होता है। इन ग्राम पंचायतों में भी अनुसूचित जाति/वर्ग पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान होते हैं। ग्राम पंचायत की प्रशासन अवधि प्रथम बैठक से लेकर पूरे पाँच वर्ष तक की होती है।

पंचायत की सभा निम्नतम हर दो महीने में एक बार होती चाहिए। ऐसी सभाओं में प्रतिशत सदस्य हाजिर होने पर ही निर्णयों को सम्मति मिलती है। ग्राम पंचायत के सभी सदस्य एकत्रित होकर अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को 30 महीने की अवधि के लिए चयन करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभा कलापों का निर्वहण करना पड़ता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्थानों के लिए आरक्षित नियम लागू होता है। ग्राम पंचायत परिणामकारी प्रशासन के लिए स्थायी समितियों की रचना कर सकते हैं।

ग्राम पंचायत के कार्यपालन के लिए पूर्णावधि का सचिव नियुक्त होता है। आजकल कर्नाटक लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रत्येक पंचायत में पंचायत अभिवृद्धि अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है।

तालुक पंचायत : 1993 के पंचायत राज अधिनियम तालुकों में तालुक पंचायतों की रचना का अवसर प्रदान किया है। तालुक पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। ये लोग निर्वाचन द्वारा योग्य मतदाताओं से चुने जाते हैं। तालुक पंचायत में सदस्यों की संख्या वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर होती है। हर 10000 मतदाताओं का एक सदस्य बनता है। सदस्य स्थानों के बटवारे में अनुसूचित जाति/वर्ग, पिछड़े वर्ग और महिला आरक्षणों के नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके साथ उस तालुक की व्याप्ति में आनेवाले अध्यक्ष तालुक पंचायत के सदस्य के रूप में काम करने का अवसर भी पाते हैं। ऐसे सदस्यों को लाटरी द्वारा चयन किया जाता है। इनकी अवधि 1 वर्ष होती है। इनका चयन पर्यानुक्रम के अनुसार चलता है। तालुक पंचायत के सदस्यों की अवधि 5 वर्ष होती है। कुछ संदर्भों में इस्तीफा देने या सरकार द्वारा उन्हें पद से हटाना पदच्युति करने का अवसर भी प्रदान किया गया है। विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के सदस्य अपने क्षेत्र की व्याप्ति में आनेवाले तालुक पंचायतों में भाग ले सकते हैं।

तालुक पंचायत के बैठक निम्नतम हर 2 महीने में एक बार होना चाहिए। विशेष संदर्भों में आपतकालीन बैठक कर सकते हैं। तालुक पंचायत के अध्यक्ष इस प्रकार की सभा में (बैठक) अध्यक्ष स्थान ग्रहण करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य कर सकते हैं। तालुक पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को तालुक पंचायत के सदस्य 20 महीने की अवधि के लिए चुनते हैं। परिणामकारी प्रशासन के लिए स्थायी समितियों की रचना कर सकते हैं। प्रशासन कार्य सुगम बनाने सकरकार कार्यनिर्वाहक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तालुक पंचायत स्थानीय संस्था के कार्य के साथ और कुछ कार्यों का निर्वहण करना पड़ता है। वे हैं-

- ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं और प्रस्तावनों का समेकन (Consolidate) करके जिला पंचायतों को भेजना ।
- राज्य सरकार और जिला पंचायत की सूचनानुसार सभी जनकल्याण योजनाओं को जारी करना (कार्यगत करना) ।

जिलापंचायत : जिला प्रशासन की देखभाल के लिए प्रत्येक जिले में जिला पंचायत की स्थापना की जाती है। इसके पहले इन्हें जिला मंडली या जिला समिति के नाम से जाना जाता था। जिला पंचायत के सदस्य प्रत्यक्ष पद्धति द्वारा लोगों से निर्वाचित होते हैं। जनसंख्या के आधार पर सदस्यों की संख्या निर्भर रहती है। कुछ जिला पंचायतों में सदस्यों की संख्या में अंतर दिखायी देता है। दक्षिण कन्नड जिला में 30000 जनसंख्या के लिए एक प्रतिनिधि रहता है। कोडगू (कूर्ग) में 18000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि रहता है। और कुछ जिलों में 40000 जनसंख्या के लिए एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। निर्वाचित जिला पंचायत के सदस्यों के साथ उस जिले के सभी तालुक पंचायत के अध्यक्ष विधानसभा और विधान परिषद के शासक और उस जिले के लोकसभा सदस्य, जिला पंचायत की बैठक में भागलेने और मतदान करने का अधिकार पाते हैं। जिला पंचायत में नियमानुसार अनुसूचित जाति/वर्ग, पिछड़े वर्ग और महिला आरक्षण लागू होता है। जिला पंचायत के सदस्यों की अधिकार अथवा प्रशासन अवधि 5 वर्ष होती है।

जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अधिकार अवधि 5 वर्ष अथवा जिला पंचायत की सदस्यता की समाप्ति तक होती है। इसमें जो प्रथम है उस की गणना की जाती है। जिला पंचायत दो महीनों में एक बार बैठक चलाता है। इसकी अध्यक्षता जिला पंचायत के अध्यक्ष संभालते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संभालते हैं। इन दोनों की अनुपस्थिति में कोई एक सदस्य संभालते हैं। वार्षिक विकोप होने पर अध्यक्ष 5 लाख रुपये तक खर्च करने का अधिकार रखते हैं। सक्षम प्रशासन की दृष्टि से पाँच स्थाई समिति की रचना की गयी है। जिला अधिकारी के समकक्ष अधिकारी को जिला पंचायत के मुख्य कार्यनिर्वहण अधिकारी(CEO) की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। जिला पंचायत की सभा चर्चा में ये भाग ले सकते हैं। मतदान का अधिकार इन्हें नहीं रहता। जिला पंचायत का कार्य निर्वहण अधिकारी भी इसका संचालन करते हैं।

जिला पंचायत के अभिवृद्धि कार्य और लोकप्रिय कल्याण योजनाओं को जारी करने का अधिकार जिला पंचायत को है। जिला पंचायत द्वारा ही जनप्रिय कार्य अनुमोदित होते हैं।

सरकार की योजना एवं कार्यक्रमों की सफलता के लिए तालुक पंचायत. ग्राम पंचायत के बीच पारस्परिक समानता, विश्वास और सहकारिता की भावना को बनाये रखना पड़ता है।

- सरकार की योजना और कार्यक्रमों के सफल अनुष्ठान के लिए जिला, तालुक और ग्राम पंचायतों के बीच में पारस्परिक विश्वास, सहकार मनोभावना का वातावरण निर्माण करना।
- योजना और अभिवृद्धि कार्यों की सफलता के लिए जिलाधीन सभी दफ्तरों (कार्यालयों) के साथ समन्वय स्थापित करना।
- जिला सहकारी संघ, सहकारी बैंक और कई सहकारी संस्थाओं की स्थापना करके उनको प्रोत्साहित करना।
- राजनीति सरकार के निर्देशानुसार कार्य निर्वहण करना।

1993 के पंचायत राज अधिनियम के अनुसार स्थानीय संस्थाओं के लिए निर्वाचन (चुनाव) चलाने राजनीतिस्तर में प्रत्येक निर्वाचन आयोग की स्थापना की गयी है। इस प्रकार स्थापित निर्वाचन आयोग कर्नाटक में जिला पंचायत, तालुक पंचायत और ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव चलाता है।

नगर स्थानीय संस्था : राजनीति में अनेक प्रकार के गाँव और शहर (नगर) होते हैं। नगर के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था, पीने का पानी, स्वच्छता मनोरंजन आदि सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। ऐसे नगरवासियों की समस्याओं की पूर्ति के लिए स्थानीय नगर संस्था अथवा नगर स्थानीय संस्था की रचना सरकार ने की है।

नगर स्थानीय संस्थाओं के तीन प्रकार हैं, वे हैं। -

1. नगर निगम (महानगर पालिका) - प्रमुख नगर)
2. नगर पालिका (शहर, गाँव)
3. लष्कर वास प्रदेश (सुरक्षित सेनाधीन प्रदेश)

जनसंख्या, आमदनी, सामाजिक स्थितिगतियों के आधार पर किसी एक प्रदेश को राजनीति सरकार नगर या शहर के रूप में घोषण करती है। नगर स्थानीय संस्था के अनेक कार्य होते हैं। उनमें से मुख्य निम्नलिखित है। -

- आय-व्यय की सूची तैयार करके मंडलियों से अनुमोदन लेना।

- नगर अथवा शहर का पूर्ण प्रशासन चलाना ।
- उत्तम नागरिक योजना तैयार करके कार्यनिर्वहण करना ।
- सडकों का निर्माण संचार व्यवस्था पानी की व्यवस्था शिक्षा बिजिली, बाजार स्वास्थ्य आदि सुविधाएँ देना ।
- नालों की व्यवस्था, स्वच्छता, कचरा आदि को निकालकर स्वच्छ नगर बनाना ।
- भवन निर्माण की अनुमति देकर नगर सभा के जायदाद की रक्षा करना ।
- जनन-निधनों का पंजीकरण करना ।
- खेल के मैदान, सिनेमाघर, उद्यानों का निर्माण करके निर्वहण करना ।
- निम्न स्तर के लोगों को अनेक सुविधाएँ को देना और उनके जीवन स्तर को उत्तम बनाना ।
- बालभवन (शिशुकल्याण केंद्र), बालपराधी गृह, भिक्षुकों की कालोनी अना-थाश्रम आदि सहायता केंद्रों की स्थापना करके निर्वहण करना ।
- तरनताल, (Swimming pool) खेल के मैदान, संग्रहालय, वाहन स्टेशन, वाचानालय, सार्वजनिक ग्रंथालय, पशुवैद्यालय, सिनेमाघर, बाजार प्रांगण, शवागारों के लिए भवन निर्माण करके उनका निर्वहण करना ।
- बरसात के पानी के ठहरने की व्यवस्था करना ।
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना ।
- नगर के पिछड़े वर्ग के लोग दुर्बल वर्ग के लोगों की जीवन सुधार और प्रगती के लिए योजनाओं का आयोजन करना ।
- नगर को स्वच्छ, सुंदर, हरा-भरा रखने के लिए अनेक कार्यक्रमों का निर्वहण करना ।

आमदनी के मूलाधार : नगर प्रदेशों की अभिवृद्धि और प्रगति के लिए आमदनी की आवश्यकता होती है। नगर पालिका की आमदनी के मूलाधार हैं - भवनों का कर, खाली जगहों का कर, दुकान, संचारी दुकान (ठेला गाडियों) का कर, पानी का कर इनके साथ नगर पालिका के अधीन भवन वाणिज्य संकीर्ण से प्राप्त किराया, तथा विक्रय के उपकरण, मनोरंजन के कर, इत्यादि राजनीति सरकार द्वारा प्राप्त अनुदानों से नगर संस्था जनकल्याण कार्य करती हैं।

नगर स्थानीय संस्थाओं की संरचना

नगर पालिका: नगर प्रदशों को जनसंख्या के आधार पर नगर/शहर बड़े नगर आदि रूपों में वर्गीकरण किया जाता है। 20 हजार से 50 हजार तक की जनसंख्या के प्रदेशों को शहर के नाम से और 50 हजार से 3 लाख जनसंख्या के प्रदेशों को नगर के नाम से वर्गीकृत किया गया है। शहरों में प्रशासन चलानेवाली संस्था को नगरपालिका और नगर के प्रशासन मंडली को नगर महा पालिका कहते हैं। नगरपालिका और नगर महा पालिका के सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होते हैं। जिनको 'कौन्सिलर' (Councillor) कहते हैं। इन सदस्यों की संख्या वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर होती है। नगरपालिका में साधारणतः 23 से 27 सदस्य होते हैं तो नगर महा पालिका में सदस्यों की संख्या 31 से 37 तक होती है। इसके साथ राजनीति सरकार के द्वारा नगरपालिका और नगर महा पालिकाओं के लिए 5 (पाँच) नामनिर्देशित सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इन नाम निर्देशित सदस्यों को बैठक और चर्चा में भागलेने का अधिकार रहता है। लेकिन मतदान का अधिकार नहीं रहता। स्थानीय विधान सभा, विधान परिषद के शासक लोकसभा के सदस्य बैठकों में भाग लेने और मत चलाने का अधिकार रखते हैं। नगर स्थानीय संस्थाओं में भी नियमानुसार अनुसूचित जन, वर्ग, पिछड़े वर्ग, महिलाओं के आरक्षण का पालन होता है। स्थानीय संस्था के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही वहाँ के मुखिया होते हैं। पूरे कार्य कलाप अध्यक्ष के नेतृत्व में होते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की देखरेख में बैठक चलायी जाती है। नगर स्थानीय संस्थाओं की अधिकार अवधि 5 वर्ष की होती है। कुछ विशेष संदर्भों में अवधि को आगे बढ़ाने का अधिकार राजनीति सरकार को रहता है। सशक्त प्रशासन के निर्वहण के लिए चार स्थायी समितियों की रचना की जाती है। राजनीति सरकार के द्वारा नियुक्त मुख्य अधिकारी (चीफ आफिसर) अथवा प्रशासनाधिकारी के रूप में कार्य करता है।

नगर निगम (City Corporation)

1976 के कर्नाटक मुनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट (स्थानीय नगर संस्था अधिनियम 1976) के अनुसार नगर निगमों की स्थापना की गयी है। दो लाख (200000) से अधिक जनसंख्या और एक करोड़ से ज्यादा आमदनी के नगर प्रदेशों में नगर निगम की रचना की गयी है। नगर निगम के सदस्य चुनाव (निर्वाचन) के द्वारा निर्वाचित होकर सदस्य बनते हैं। इन सदस्यों की संख्या जनसंख्या पर आधारित होती है। साधारणतः 30 से 100 तक इनकी संख्या होती है। नगर निगमों के सदस्यों की संख्या सरकार द्वारा तय की जाती है।

कर्नाटक में सात (seven) नगर निगम तथा एक बृहत नगर निगम है। वे हैं -

1. मैसूर
2. हुब्बल्लि-धारवाड
3. बल्लारि
4. बेलगावि
5. कलबुरगि
6. दावणगेरे
7. बेंगलूरु नगर निगम को बृहत् बेंगलूरु महा नगर निगम (B.B.M.P.) कहा जाता है। BBMP में कुल 198 सदस्य होते हैं।

नगर छोटे - छोटे निर्वाचन विभागों में वर्गीकृत होकर (मोहल्ला) इलाका अथवा वार्ड (WARD) के नाम से जाने जाते हैं।

प्रत्येक मोहल्ले से (वार्ड) एक निर्वाचित सदस्य होता है। ये सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होते हैं। नगर निगमों में भी अनुसूचित जाति, वर्ग, (SC & ST) पिछड़े वर्ग, (OBC) महिला आरक्षण के नियम पालन होता है। निर्वाचित सदस्यों के साथ राज्य सरकार द्वारा नगर योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रशासन में अनुभवप्राप्त 5 लोगों की सदस्यों के रूप में नियुक्ति की जाती है। सरकार के द्वारा नियुक्त सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता। लेकिन वे बैठकों में हाजिर रहकर कार्यकलापों में भाग ले सकते हैं। निगम की व्याप्ति में आनेवाले शासक, लोकसभा सदस्य को भाग लेने का और मत चलाने का अधिकार रहता है। निगमों की अधिकार अवधि पाँच वर्ष होती है। विशेष संदर्भों में सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए विस्तृत भी किया जा सकता है।

महापौर तथा उपमहापौर निगम के नायक कहलाते हैं। इनका चयन निगम के सदस्यों के द्वारा होता है। इनकी अधिकार अवधि (एक) वर्ष होती है। महापौर निगमों की अध्यक्षता ग्रहण कर बैठक के फैसले को कार्यगत करता है। निगम के कार्य निर्वहण का नियंत्रण भी महा पौर करते हैं। परिणामकारी प्रशासन के लिए स्थायी समितियों की रचना की जाती है।

निगम का कार्यनिर्वहण निगम के आयुक्त करते हैं। सामान्यतः IAS अधिकारी इस पद को ग्रहण करता है। इसकी अधिकार अवधि 3 वर्ष होती है। यह व्यक्ति सरकार द्वारा नियुक्त होता है। निगम के क्रियाकलापों में भाग लेकर सूचना देता है। महा पौर के साथ सहकारिता से सहकार निगम के निर्णयों को पारित करने में मदद करता है।

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

1. ग्रामसभा के अध्यक्ष पद का निर्वहण करते हैं।
2. ग्राम पंचायत के अध्यक्ष की अधिकार अवधि वर्ष होती है।
3. ग्राम पंचायत में जनसंख्या पर एक सदस्य को चुनते हैं।
4. बेंगलूर नगर जिले में जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता है।
5. कर्नाटक में कुल नगर निगम हैं।

II. निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए :

1. स्थानीय सरकार के कार्य क्या हैं ?
2. ग्राम पंचायत की रचना कैसे होती है ?
3. स्थानीय सरकार की आमदनी के मूल स्रोत क्या हैं ?
4. नगर स्थानीय संस्था के कार्यों के बारे में टिप्पणी लिखिए ?
5. नगर निगम के बारे में लिखिए ।

III. क्रिया कलाप :

1. आप स्थानीय संस्था के सदस्य होंगे तो समस्याओं के समाधान के लिए क्या करेंगे ?
2. स्थानीय संस्था के आरक्षण के बारे में जानकारी संग्रह कीजिए।

✦ ✦ ✦ ✦ ✦

अध्याय-3

सामाजिक संस्थाएँ

इस अध्याय में इन अंशों की जानकारी प्राप्त करते हैं ।

- सामाजिक संस्थाओं का अर्थ, स्वरूप तथा महत्व
- मानव और सामाजिक संस्थाओं का संबंध
- सामाजिक संस्थाओं की भूमिका और कार्य (परिवार, विवाह, धर्म)

सामाजिक संस्थाओं का अर्थ

समाज को समझने के लिए हमें सामाजिक संस्थाओं की आवश्यकता है । हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सामाजिक संस्थाएँ अभिन्न अंग हैं। सामाजिक आवश्यकताओं के साथ संरचित नैतिक नियम, मूल्य, सामाजिक स्थिति-आदि निभानेवाली सुरक्षित समष्टि को सामाजिक संस्था कह सकते हैं । इसमें पद्धतियाँ, विधियाँ, प्रक्रियाएँ, विश्वास संघटित रूप से होती हैं ।

समूह में लोग जब अपनी अभिरुचि और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एकत्रित होते हैं तो वह संस्था का रूप धारण कर लेती है । इस के लिए अनेक नियम और विधि-विधानों की आवश्यकता है । सामाजिक नियमों और आचरणों के निरंतर रूप से कार्यरत होने के कारण ही संस्थाएँ जन्म लेती हैं।

सम्पर का कहना है कि हमारी इच्छाओं - आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए शाश्वत रूप से जो स्थापित है वही संस्था है । परम्पराएँ, कानून, पारिवारिक व्यवस्था, विवाहप्रथा, राज्य-व्यवस्था आदि सामाजिक संस्थाएँ हैं ।

मैकाइवर और पेज के अनुसार एक समूह के कार्य-कलाप के लिए संरचित एक व्यवस्था सामाजिक संस्थाएँ हैं । ये समाज की आवश्यकतानुसार रचित हैं और समाज से ही मान्यता प्राप्त हैं ।

पहले हम सामाजिक संस्थाओं की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। बाद में संस्थाओं और उसके कार्य के संबंध में ।

सामाजिक संस्थाओं की लक्षण

1) सार्वभौमिकता : सामाजिक संस्थाएँ सभी समाज में दिखाई देती हैं । मानव का विकास जितना पुराना है, सामाजिक संस्थाएँ भी उतनी ही पुरानी है । अर्थात् मानव समाज के आरंभ से लेकर एक स्थान अथवा किसी काल के लिए सीमित न होकर सभी काल में सामाजिक संस्थाएँ रही हैं । उदाहरण के लिए परिवार, विद्यालय, विवाह आदि सामाजिक संस्थाएँ स्थिर न रहकर अपने कार्यानुसार परिवर्तन होती रहती हैं।

2) सामाजिक संस्थाओं में नियम हैं : सामाजिक संस्थाओं के नियम अपनी संस्था के सदस्यों के बर्ताव पर नियंत्रण करने की प्रबल व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति सामाजिक संस्थाओं के नियम के विरुद्ध कार्य करता है तो सामाजिक संस्थाएं उस पर रोक लगती हैं। ये सामाजिक संस्थाओं के नियमों का सभी सदस्यों को सख्त रूप से पालन करने का निर्देश देती हैं। उदाहरण के लिए एक परिवार के बड़े लोगों को कौनसा कार्य करना है, बच्चों को कौन सा कार्य करना चाहिए - ये परिवार द्वारा निर्धारित नियम हैं।

3) मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करती हैं : सामाजिक संस्थाएं हमारी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे - आवास, लैंगिक इच्छा, संतानाभिवृद्धि, व्यक्तित्व विकास आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार समन्वयन करता रहता है। इसी प्रकार अनेक सामाजिक संस्थाएं कार्य करती रहती हैं।

4) लिखित और अलिखित नीति-नियम : सामाजिक संस्थाओं में लिखित और अलिखित संप्रदाय होते हैं। प्राचीन समय की परंपराएं, रूढ़ियाँ, नैतिक नियम, आचार विचार अलिखित रूप में होती हैं। न्यायालय, कानून, सरकार, संविधान, विद्यालय इत्यादि आधुनिक सामाजिक संस्थाओं के नियम लिखित रूप में होते हैं।

5) आपसी आंतरिक संबंध : एक समाज में रहनेवाली सभी सामाजिक संस्थाओं के बीच सह संबंध होते हैं। उदाहरण के लिए परिवार बच्चों का पालन-पोषण करने पर, विद्यालय बच्चों के लिए नई सीख देता है। भिन्न-भिन्न परिवारिक, सामाजिक, भाषिक, पृष्ठभूमि से आए बच्चे विद्यालय में एक साथ मिलते हैं, बढते हैं। अपने परिवार के परिवेश से आगे उनमें सामाजीकरण होता है। सामाजिक संस्थाएं भिन्न रहने पर भी प्रत्येक संस्था दूसरी संस्था के साथ सहसंबंधित है। परिवार और विद्यालय के बीच बच्चों द्वारा संबंध स्थापित होता है।

सामाजिक संस्था का महत्व

1) संस्कृति का वाहक है : सामाजिक संस्थाएं - स्थानीय ज्ञान, कला, आचार-विचार, रूढ़ि-संप्रदाय, नीति-नियम, मूल्य जैसे सांस्कृतिक अंशों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं। इस प्रकार सामाजिक संस्थाएं सामुदायिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

2) सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है : मानव के मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और भौतिक आवश्यकताओं पूर्ति करने के साथ - साथ यह समझाती है कि सामुदायिक जीवन में कैसे कार्य प्रवृत्त होना चाहिए।

3) सदस्यों के सामाजिक व्यवहारों का विवरण देती है और नियंत्रित करती है : सामाजिक संस्थाएं हमें यह समझाती हैं कि सही व्यवहार कौनसे हैं ? और गलत व्यवहार कौनसे हैं ?

उदाहरण के लिए विद्यालय एक प्रमुख सामाजिक संस्था है जो हमें प्रतिदिन के व्यवहार जैसे हमें किस प्रकार के कपड़े पहनना है इससे लेकर सभी विषयों को समझाने तक - हमारे बर्ताव समाज के विरुद्ध हों, नियमों को तोड़े तो निंदा, निष्कासन द्वारा हमें सन्मार्ग पर चलने का निर्देश देती है। यदि हमारी गलतियाँ आगे बढ़ी तो कानून द्वारा सुधारने या दंड देकर हमारे सामाजिक बर्तावों पर नियंत्रण करती हैं। इस प्रकार सामाजिक संस्थाएँ अपने सदस्यों के सामाजिक बर्तावों का निर्माण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

4) सामाजिक संस्थाएँ व्यक्तियों को स्थान देती हैं : सामाजिक संस्थाएँ अपने सदस्यों को उनकी आयु के अनुसार अपना ही स्थान देती हैं। उदाहरण के लिए परिवार में जेष्ठता के अनुसार बंधुत्व का स्थान देती हैं। इसी तरह सामाजिक संस्थाएँ सामाजिक व्यवस्था में संबंधों (रिश्ता) के महत्व देकर सभी को उचित स्थान देती है।

सामाजिक संस्थाओं की भूमिका और कार्य

प्रत्येक सामाजिक संस्था अपना ही कार्य निर्वहण करती रहती है। सर्वप्रथम परिवार के कार्यों को समझेंगे। परिवार समाज की मूल इकाई है। यह विश्व के सभी समाजों में दिखाई देती है। सामाजिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए व्यक्ति के आवश्यक सभी कार्यों का निर्वहण करती है। परिवार के प्रमुख कार्य निम्नांकित हैं।

परिवार के कार्य

1) सदस्यों का पालन पोषण : परिवार अपने सदस्यों को भिन्न भिन्न बंधुत्व स्थान देता है। इसके अनुसार वे लोग परिवार में भिन्न भिन्न भूमिका निभाते हैं। परिवार अपने सभी सदस्यों के पालन पोषण करने का प्रमुख स्थान है। परिवार अपने जन्मदिन से लेकर हमारा पालन पोषण करता रहता है। परिवार में रहनेवाले जैसे दादा-दादी, माता-पिता हर घड़ी सावधानी से देख-रेख कर हमें छोटों से बड़े होने तक हमारी सभी आवश्यकताओं को पूर्ति कर पालन करते हैं। परिवार न केवल छोटों का ही पोषण करता है बल्कि अपने सभी सदस्यों की उनकी आवश्यकतानुसार पोषण करता है। उदाहरण के लिए परिवार के सदस्यों में कोई बीमार पड़े, बुढ़ापे में अशक्त हो तो परिवार उनका पालन पोषण करता है।

2) सुरक्षा और सामाजिकीकरण : परिवार में सदस्य बच्चों को समाज में कैसे बर्ताव करना चाहिए इत्यादि को सामाजिकीकरण द्वारा परिवार सिखाता है इसके साथ अपने सभी सदस्यों को सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा भी देता है। अर्थात् बच्चों को शिक्षा, बीमारी के समय देख-रेख, पालन, रोजगार प्राप्त करने और उसके लिए सहायता, कौशल और हमें आवश्यक सुरक्षा देता है।

विवाह के कार्य

1) सामाजिक अनुमति : विवाह एक प्रमुख सामाजिक संस्था है। यह पुरुष और स्त्री को साथ में जीवन चलाने के लिए सामाजिक अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। विवाह पुरुष और स्त्री को साथ रहने के लिए सामाजिक अनुमति देता है। यह पुरुष और महिला को पारिवारिक जीवन के लिए प्रवेश देता है। वैवाहिक संबंध द्वारा स्त्री और पुरुष को एक निर्दिष्ट छत के नीचे दृढ़ रीति से स्वावलंबी होकर धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन बिताने के लिए अनुमति मिलती है। मानव की इस के साथ ही विवाह संस्था भी निरंतर रूप से विकसित होती आई है। इसी प्रकार सभ्यता संस्था में अनेक बदलाव हो चुके हैं और हो रहे हैं।

2) पारिवारिक जीवन के लिए आधार : विवाह पारिवारिक व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देता है। संतानोत्पत्ति बच्चों के विकास और सामाजीकरण की प्रक्रिया परिवार की सहायता से ही चलते हैं। बच्चे पैदा होने के बाद भी वैवाहिक संबंध आगे बढ़ता है। परिवार में दिखाई देनेवाले सभी प्रकार के संबंधों को निर्देश देने का अधिकार विवाह का है। वैवाहिक संबंधों के फल स्वरूप अनेक अवसर पर ऐक्यता के लिए सहायक बन गया है। विवाह विभिन्न समूह के लोगों को एकत्रित करने के द्वारा उनमें आत्मीयता और बंधुत्व भावना जागृत कर एकता के लिए सहायक है।

3) संबंध कानून बद्ध है : विवाह केवल पति-पत्नी के बीच का ही संबंध न रहकर उनके साथ घर के अन्य सदस्यों के संबंध भी बनता है। यहाँ जन्म लेनेवाला बच्चा अपने माता-पिता के परिवार के जायदाद के लिए उत्तरदायित्व प्राप्त करता है। समाज की निरंतरता के लिए परिवार के द्वारा विवाह बंधन में उत्तराधिकार आदि विचारों के लिए कानून की मान्यता भी मिलती है।

धार्मिक कार्य

सभी समाजों में दिखाई देनेवाली एक और सामाजिक संस्था धर्म का उदय मानव की सभ्यता से ही हुआ है। यह समाज का अविभाज्य अंग है। धर्म के कुछ कार्य निम्नांकित हैं।

1) सामाजीकरण का कार्य : धर्म सामाजीकरण का बहु मुख्य वाहक है। संप्रदाय, धार्मिक विधियाँ और आचरणों को चलाने के द्वारा सत्यता, सहकार, निरपेक्षता, सहनशक्ति, त्याग, शांति आदि मूल्यों के प्रसार में धर्म सहायक है।

2) सामाजिक ऐक्यता : धर्म सामाजिक सामंजस्य का स्रोत है। सत्य अहिंसा ईमानदारी आदि धार्मिक मूल्य हैं। ये मूल्य सामाजिक ऐक्यता को बनाये रखने लिए सहायक है। परंपरागत विविधता, एकरूपता और प्रतीकों का उपयोग आदि लोगों में ऐक्यता को जागृत करती है। यह धर्म का आशय भी है। इन आशयों के अनुरूप चलने से धार्मिक सौहार्दता बनती है।

3) मूल्य की रक्षा : ईमानदारी न्याय, समानता, अहिंसा आदि सामाजिक मूल्यों को बनाये रखने के लिए धर्म एक प्रभावी साधन है। ये मूल्य सभी धर्मों में प्रतिपादित हैं। धर्म मनुष्य के जीवन मूल्यों को सिखाते हैं।

4) सामाजिक नियंत्रण : धर्म सामाजिक नियंत्रण का अत्यंत प्रमुख साधन है। वह ईश्वर और आध्यात्म की परिकल्पना की सृष्टि करने के द्वारा लोगों के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। हमें नैतिक अनुशासन में रहने के लिए और समाज की उत्तम प्रजा बनने में धर्म सहायक है। धर्मों के इन आदर्शों को समझकर आपस में द्वेष रखने वाले दुर्गुणों को छोड़ना नितांत आवश्यक है।

अभ्यास

I. खाली जगहों को उचित शब्दों से भरिए।

1. सामाजिक संस्थाएँ _____ की इच्छाओं की पूर्ति करती हैं।
2. परिवार एक _____ संस्था है।
3. विवाह एक _____ संस्था है।
4. मनुष्य द्वारा अपनी _____ पूर्ति करने के लिए बनायी जानेवाली व्यवस्था ही सामाजिक संस्था है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. सामाजिक संस्था किसे कहते हैं ?
2. परिवार के कार्य को समझाइए ?
3. सामाजिक संस्थाओं के लक्षण कौन-कौन से हैं ?
4. सामाजिक संस्थाओं के प्रकार कौन कौन से हैं ?

III. चार-पांच वाक्यों में उत्तर लिखिए।

1. सामाजिक संस्था और समाज के बीच के संबंध समझाइए ?
2. सामाजिक संस्था में धर्म के आदर्शों को स्पष्ट कीजिए ?
3. सामाजिक संस्थाओं में परिवार के कार्यों को समझाइए ?
4. सामाजिक संस्था में विवाह के बारे में एक टिप्पणी लिखिए ?

IV. क्रियाकलाप

1. सामाजिक संस्थाओं को चित्र के साथ बच्चों से सूची बनवाना।
2. सामाजिक संस्थाओं के कार्यों के बारे में बच्चों से समूह में चर्चा कराना।

V. योजना :

1. बाल विवाह से संबंधित दुष्परिणामों के बारे में सतर्क करनेवाले कार्यक्रम को बनाइए का आयोजन कीजिए।



समाज के प्रकार

इस अध्याय में इन अंशों को समझते हैं ।

- समाज का अर्थ
- शिकार और आहार संग्रहण समाज
- ग्रामीण समाज और नगर समाज
- औद्योगिक समाज
- समाज के विविध प्रकार
- पशुपालन समाज कृषि समाज
- सूचना समाज

समाज का अर्थ

समाज शास्त्र के अध्ययन में समाज प्रमुख अध्ययन वस्तु है। मानव समाज को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने के लिए बनाया शास्त्र ही समाजशास्त्र है। व्यक्ति और समाज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मानव अकेले नहीं जी सकता। मानव हमेशा सब के साथ समाज में रहता है। समाज मानव के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास में सहायक है।

प्रत्येक समाज का जनजीवन, संस्कृति आचार, विचार, काम-धंधा आदि अंश एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है। उसी तरह ग्रामीण प्रदेश में कई भेड बकरियाँ गाय और अनेक तरह के जानवर हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरह खेत, घरों के समूह खेत में काम करनेवाले किसानों को भी हम देख सकते हैं। बेंगलूर, मुंबई, दिल्ली जैसे शहर में रास्ते भर वाहन, अधिक जनसंख्या, बड़ी-बड़ी संस्थाएँ, सरकारी दफ्तरें, अस्पतालें आदि अनेक आधुनिक संस्थाओं को हम देख सकते हैं।

समाज का अर्थ : समाज यह हिंदी शब्द अंग्रेजी भाषा के 'सोसाइटी' शब्द का अनुवाद है। सोसाइटी पद लैटिन भाषा के सोषियस पद से आया है। इसका अर्थ-में रहना, मित्रता अर्थात् एक साथ रहने, एकत्रित होकर रहने की व्यवस्था ही समाज है।

समाज की परिभाषाएँ :

मैकाइवर और पेज के अनुवाद ; सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है। एक समुदाय के अंतर्गत आनेवाली संस्थाओं, संघों की संकुल व्यवस्था ही समाज है।

स्वरूप :

1. **समाज समूहों का समूह है :** कई लोगों के एकत्रित होने से एक समूह बनता है। ऐसे अनेक समूह एकत्रित होकर समाज का निर्माण करते हैं। प्रत्येक समाज में परिवार, आस-पड़ोस, ग्राम, नगर, मजदूरों के संघ, धार्मिक समूह आदि समूह होते हैं। इस कारण एच्. एम्. जान्सन ने कहा है कि समूहों का समूह ही समाज है।

2. समाज सामाजिक संबंधों का जाल है : समाज का अर्थ केवल लोगों का समूह ही नहीं है। वह निरंतर रूप से सक्रिय पारस्परिक व्यवहार में लगे हुए लोगों का समूह है। इसके सामाजिक संबंधों की व्याप्ति विशाल है। उदाहरण के लिए यहाँ हम गुरु-शिष्य, अभिभावक बच्चे, रोगी-डाक्टर, पति-पत्नि-आदि संबंध-देखते हैं। इसलिए मेकइवर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है।

3. तुलना और साम्यता : समाज की रचना के संदर्भ में तुलना प्रमुख भूमिका निभाती है। लोगों की शारीरिक, मानसिक समानता ही समाज का आधार है। लोगों के आकांक्षाएँ, काम-धंधे, लक्ष्य, आदर्श, मूल्य आदि में समानता दिखाई देती है। यह लोगों में पारस्परिक मित्रता, सहाकरिता, प्रेम, विश्वास, सहानुभूति, त्याग, एकता आदि भाव विकसित होकर मिल जुलकर रहने प्रेरणा देता है।

4. सहकार और श्रमविभाजन : सहकार से तात्पर्य है लोगों का अपने समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलजुलकर कार्य करना। सहकार मनोभाव के होने से ही लोग समाज में आपसी सुख-दुख में भाग लेते हैं। इसी प्रकार श्रम विभाजन किसी कार्य का आपसी बँटवारा करता है। श्रम विभाजन लोगों की - अभिरुचि, सामर्थ्य, लिंग और उम्र के आधार पर बँटवारा होता है। इसलिए सहकार और श्रम विभाजन आपस में पूरक हैं।

5. सामाजिक नियंत्रण : समाज का अपना रीति-रिवाज होता है। यह आधुनिक समुदाय समाज कानून, प्रशासन, संविधान द्वारा लोगों के व्यवहारों को औपचारिक या अनौपचारिक माध्यम जैसे पद्धतियों, नैतिक नियमों, रूढ़ियों द्वारा नियंत्रित करता है।

6. समाज गतिशील है : समाज हमेशा परिवर्तनशील है। परिवर्तन के बिना किसी भी समाज का दीर्घ समय तक रहना संभव नहीं है। जैसे ग्रामीण समाज का परिवर्तन मंदगति से और नगर समाज का परिवर्तन तीव्र गति से होता है।

समाज का महत्व

1. सर्व व्यापी है : मानव-जीवन और समाज दोनों एक साथ-चलते हैं। समाज ही जीवन को सुगम बनाता है किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण में व्यक्ति के जन्म से पहले और व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी समाज अस्तित्व में रहता है। इसलिए समाज निरंतर और सर्वव्यापी है।

2. सुरक्षा तथा पोषण के लिए आवश्यक है: जन समूह के साम्य-वैषम्य, आपसी सहकार, नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, अधिकार स्वतंत्रता, संस्कृति-सामरस्य आदि की सम्मिश्रण व्यवस्था ही समाज है।

3. व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है : समाज हमारे जीवन की दिशा, लक्ष्यों को निर्धारित करता है। मानवीय गुण समाज में ही विकसित होते हैं। समाज

हमारी प्रतिभा की अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है। इसके साथ समाज मानव-सहज दुर्बलताओं, दोषों, अदम्य इच्छाओं को नियंत्रित करता है। हमारा भौतिक विकास, आवश्यकताओं पूर्ति समाज के बिना कष्टसाध्य हैं ।

4. जीवन को सुदृढ़ बनाता है: समाज जैसी विशाल व्यवस्था हमारे जीवन को घेरे रहती हैं। वह केवल बाह्य रूप से न घेरकर हमारे मन की गहराई तक प्रभाव डालती है। व्यक्ति और समाज का संबंध सरल नहीं है । यह व्यक्ति के चिंतन तथा भाव का निर्माण करता है। इसके द्वारा हमारा सामाजिक जीवन सुदृढ़ बनाता है ।

समाज के प्रकार -

समाज एक प्रकार का नहीं होता । अनेक प्रकार के समाज हैं । इसलिए हम समाज को उद्योग-धंधों या कार्यों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं । वे हैं - 1) शिकार तथा आहार संग्रहण समाज 2) पशु-पालन समाज 3) कृषि-समाज 4) ग्रामीण समाज 5) नगर समाज 6) औद्योगिक समाज 7) सूचना समाज

1. शिकार तथा आहार संग्रहण समाज : मानव समाज के विकास का पहला स्तर शिकार तथा संग्रहण ही है । यह समाज का प्राचीन तथा सरल स्तर है । यह समाज बहुत छोटा था जिसमें शिकार खेलना, मछली पकड़ना, शहद तथा कंदमूलों का संग्रह करना इनका प्रमुख कार्य था । इस समाज में उम्र तथा लिंग के आधार पर स्थान निर्धारण होता था । संपत्ति के अर्जन करने की इच्छा नहीं थी । मिल बाँटकर जीवन बिताना इस समाज का लक्षण था । अपने आहार के लिए जानवरों का शिकार पत्थर के औजारों से करते थे।

2. पशुपालन समाज : मानव समाज के विकास में पशुपालन दूसरा स्तर है। अपने जीवनाधर के लिए पशुओं को (गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि) अधिक संख्या में पालनेवाले समाज को पशुपालन समाज कहा जाता है । इस समाज में लगभग सौ से लेकर हजार लोग रहते थे । पशुपालन इस समाज का प्रमुख कार्य था । यह समाज एक नायक के नियंत्रण में था । ये लोग जीविकोपार्जन के लिए पशुपालन, शिकार खेलने और आहार संग्रहण करने में लग जाते थे ।

3. खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश समाज: प्रारम्भ में मानवशास्त्रज्ञों के अनुसार पशुपालन करने वाले ही खानाबदोश थे । एनसैक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार खानाबदोश एक विधा है । शिकार और आहार संग्रह के लिए, पशुपालन अथवा व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थान परिवर्तन करने की प्रक्रिया ही खानाबदोशी है । यह स्थानांतरण प्रक्रिया से भिन्न है । पशुपालन अथवा दूसरे काम-धंधों पर लोगों के समुदाय कहीं स्थायी रूप से टिके रहने पर भी पशुपालन अथवा दूसरे काम-धंधों पर स्थान परिवर्तन प्रक्रिया को आगे नढाते है । ऐसे समुदायों को खानाबदोश अथवा अर्ध खानाबदोश समुदाय कहा जाता है । समुदायों को

सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा के आधार पर खानाबदोश अथवा अर्ध खानाबदोश के रूप में निश्चित कर सकते हैं।

कृषि-समाज :

सामाजिक विकास के इस स्तर पर मानव खानाबदोशी जीवन छोड़कर एक ही स्थान में टिके रहता है। इस प्रकार का समाज कृषि पर निर्भर ग्रामवासियों का समूह है। अधिक लोग कृषि पर अवलंबित होकर जीवन यापन करनेवाले समाज को कृषि समाज कहा जाता है। कृषि करनेवालों को किसान कहा जाता है। ये कृषि के लिये जानवर और हल का उपयोग करते हैं।

भारत को देहातों (गाँवों) का देश कहा जाता है। भारत के प्राचीन साहित्य में ग्रमों का संघटन और उनके प्रशासन संबंध में विवरण है। ऋग्वेद में ग्रम के मुखिया को ग्रमस्थ कहा गया है। अनेक ग्रमों के समूह को विश, जन, देश जैसे प्रशासनिक भाग बनाया था। महाभारत में ग्रम के मुखिया को ग्रमिणी कहा जाता था। ग्रमों के समूह के मुखिया को दशमुखी शतमुखी और अधिपति कहा जाता था।

बोगार्डस के अनुसार मानव समाज का विकास ग्रम रूपों में हुआ है। ग्रम अत्यंत पुरानी संकल्पना होने पर भी उसे सटीक रूप से परिभाषित करना साध्य नहीं है। बोगार्डस के अनुसार लोगों की कम सघनता, सरल और मितव्ययी जीवन बिताने, प्राथमिक संबंधों से युक्त परिवारों का समूह ही ग्रम है। एस. सी. दुबे के अनुसार एक ही स्थान में रहनेवाले परिवारों का समूह ही ग्रम है। इस सामाजिक व्यवस्था में सामाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण का कार्य दक्षता के साथ होता है।

लगभग ईसा पूर्व 3000 तक हल के अनुसंधान के साथ-कृषि-क्रांति का आरंभ हुआ है। गाँव इस देश की जीवनधारा हैं। भारत में करीब छः लाख गाँव हैं जो भारतीय संस्कृति और परंपरा को रक्षक हैं। कृषि को ही अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ग्रामीण प्रदेशों में 59 प्रतिशत पुरुष और 75 प्रतिशत महिलाएँ अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर हैं।

ग्रम समाज -

1. **ग्रम का आकार छोटा है :** म्याक्स वेबर के अनुसार भारत के बहुत से लोग ग्रम निवासी हैं। ग्रम सामान्यतः छोटे आकार में रहता है। जनघनत्व अधिक नहीं रहता।

2. **प्राथमिक तथा परिवरिक संबंधों का प्रभाव :** ग्रामीण समाज में प्राथमिक संबंध-अर्थात् व्यक्तियों के बीच स्नेह, प्रेम, बंधुत्व आदि को देखा जा सकता है। परिवार भी

अनेक रूप के सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालता है । अविभक्त विशाल परिवार भारत के गाँवों की एक प्रमुख विशेषता है।

3. सरल आर्थिक जीवन : भारतीय कृषि विशेष रूप से प्रकृति पर ही आधारित है । ग्रामीण जीवन सरल, मितव्ययी, निश्चित आय न होने के कारण और कम आय के कारण ग्रामीण जनता मितव्ययी आडंबरहीन जीवन व्यतीत करती है । सभ्यता बढ़ने पर भी उन्होंने अपने प्राचीन संप्रदायों को नहीं छोड़ा है । उनकी माँग सीमित हैं । इसके लिए संप्रदाय और कृषि उद्योग ही कारण है ।

4. पड़ोस : आस-पड़ोस ग्रामीण समाज की एक विशिष्ट विशेषता है । सार्वजनिक कार्यों में, जन्म-मरण के संदर्भ में, त्योहार-मेलों में आस-पड़ोस के लोग विशिष्ट कार्य निर्वहण करते हैं। कर्नाटक में इन्हे केरी (ओणी) कहा जाता है । महाराष्ट्र में वाड कहा जाता है ।

कृषि समाज की सामाजिक रचना : कृषि समाज में होनेवाले प्रमुख आर्थिक गतिविधि जैसे भूस्वाभित्व, भूमि के साथ-संबंध और कृषि गतिविधि के आधार पर कृषि समाज की रचना को पहचाना जा सकता है ।

जाजमानी पद्धति : जमानी पद्धति और जाति पद्धति दोनों एक साथ-कार्य रत थे। उस समय ज जमानी व्यवस्था सामाजिक-अर्थ व्यवस्था का अविभाज्य अंग बन गयी थी । जाति पद्धति में एक जाति दूसरी जाति के समूह पर निर्भर थी । सहकारिता से जीने के लिए प्रेरणा देती थी । ज जमानी व्यवस्था में दो प्रमुख वर्ग थे । एक वर्ग दूसरे वर्ग के लिये सेवा और कृषि गतिविधि की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करता था । इसके बदले में वह वर्ग अनाज, खाद्य सामग्रियाँ प्राप्त करता था ।

जमीनदारी पद्धति : ज़मीनदार शब्द पर्शियन भाषा का शब्द है । जिसका अर्थ भूमि-धारक है। यह पद्धति दिल्ली सुल्तानों के समय उदित मानी जाती है । चौदहवीं शताब्दी में जमीनदार शब्द एक प्रदेश के मुखिया के लिए प्रयुक्त होता था । राजपूतों की उपाधियाँ राय और राणा जमीनदार वर्ग बन गया था । ज़मीनदारी शब्द मगलों के समय में परम्परा में आया । अकबर के समय में किसानों की फसल को आनुवंशिक रूप से प्राप्त करने के लिए अधिकार रखनेवाले के लिए यह शब्द 17 वीं शताब्दी में प्रचार में आया ।

रैतवारी पद्धति : अंग्रेज सरकार के भारत के बहु संख्या किसान वर्ग पर राजस्व निर्धारित कर 'कर' वसूल करने की नई भूमिधारण पद्धति से किसान शोषित होने लगे । शोषण मुक्त करने के लिए किसानों को जायदाद अधिकार की रक्षा करने लिए कोर्ट आफ डैरेक्टर ने 1817 में इस रैतवारी पद्धति जारी करने का आदेश दिया।

महल्वारी पद्धति : जमीनदारी और रैतवारी पद्धतियाँ जब अपेक्षित स्तर पहुँचने में

विफल हुई तब तीसरी नई पद्धति के रूप में महत्वारी पद्धति को लागू किया गया। इस पद्धति में महल अथवा एस्टेट, फसल के आधार पर सरकार अनेक महलों के मालिक के समूह पर राजस्व निर्धारित करता था। महलों के मालिकों में कुछ लोगों को चुनकर महलों के पर्यवेक्षण और राजस्व वसूल करने के लिए नियुक्त किया जाता था।

किराएदारी या काश्तकारी पद्धति : भू मालिक से खेती के लिए भूमि को लेनेवाला को किराएदार कहा जाता था। इन किराएदारों के दो प्रकार हैं - स्थाई और अस्थायी। स्थाई किराएदार करनेवाली भूमि पर थोड़ा अधिकार रखते थे, लेकिन अस्थायी किराएदार खेती करनेवाली भूमि पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रखते थे। भूमालिक इनसे भूमि छीनकर दूसरों को दे सकते थे। इस प्रतिकूल परिणाम को रोकने के लिए सरकार ने किराया नियंत्रण कानून लागू किया। किराएदार को भूमि अपने वश में रखने का अधिकार शासन के रूप में जारी में आया इसे भू-सुधार कहा गया। भूमि को वश में रखने की सीमा निर्धारित की गयी।

5. नगर समाज : नगर आदर्श समाज कहा जाता है। साथ ही साथ जटिल भी। अधिक जन संख्या से विविध प्रकार के सांस्कृतिक, व्यावसायिक, रचनात्मक भिन्नता और लक्षणों से युक्त नगर अपने बड़े आकार के कारण, विपरीत विकास के कारण अनेक समस्याओं से युक्त है। इसके बावजूद इतिहास से हमें यह ज्ञात होता है कि नगर जीवन कभी भी स्वागत योग्य हैं। आजकल नगर समुदायों का विकास, नगर समाज होकर नवीकृत जटिल समाज बन गया है।

भारत में नगर जीवन कोई नई बात नहीं है। सारे विश्व में अति प्राचीन सभ्यता में मेसोपोटामिया और मिस्र के बाद सिंधु नदी सभ्यता का स्थान है। अति उन्नत सभ्यता और नगर जीवन के विकास करने की कीर्ति भारत की है। हडप्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि अनेक बड़े-छोटे नगर समुदायों का जन्म भारत की कीर्ति बढ़ाता है। सभ्यता और नगर जीवन परस्पर पूरक लगते हैं। अर्थात् सभ्यता के विकास में नगरीय जीवन प्रकाश में, अस्तित्व में आ रहा है।

6. औद्योगिक समाज : औद्योगिकरण के साथ इस प्रकार का समाज उत्पन्न हुआ। उत्पादन में वैज्ञानिक विधियों को उपयोग करना और ऊर्जा के स्रोत ढूँढ़ना इस समाज की विशेषताएँ हैं। हाँगकांग, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ब्राजिल और मैक्सिको इस सूची में सम्मिलित हैं। सीमित संख्या के लोग कृषि पर निर्भर हैं तो बहुत से लोग नगरों में उद्योगों पर निर्भर हैं।

औद्योगिक समाज में उत्पादन मानव श्रम से न होकर यंत्र चालित तकनीकों से चलता रहता है। यहाँ उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। यह श्रम विभाजन पर निर्भर रहता है। औद्योगिक क्रांति (इ 1780) के फलस्वरूप समाज में उत्पादन प्रक्रियाएँ निरंतर होती हैं। इसके फलस्वरूप उत्पन्न मानव श्रम से न होकर यंत्र शक्ति से होता है। प्रारंभ में भापशक्ति पर आधारित यंत्रों द्वारा उत्पादन होकर अगले स्तर में बिजली से चालित

यंत्र औद्योगिक व्यवस्था को बृहत मात्रा में बनायी है। वस्त्रोद्योग यंत्र कपास का धागा बनाकर वस्त्र तैयार कर ने आदि रूप में विस्तारित होकर आज कोयले द्वारा बृहत यात्रा में बायलर द्वार लोहे को भी गलानेवाले स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र की उन्नति हुई है। औद्योगिक समाज की विशेषताओं का निम्नांकित रूप में विवरण दे सकते हैं।

औद्योगिक समाज की विशेषताएं

1. उद्योग आधारित आर्थिकता : इस आर्थिकता में समाज अनेक वर्ग के होते हैं। जैसे पूँजीपती वर्ग, मज़दूर वर्ग और छोटे व्यापारी वर्ग यहाँ चलनेवाले बहुत से आर्थिक क्रियाकलाप औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं।

2. व्यावसायिक कौशल : इस समाज में व्यावसायिक कौशल तकनीक कार्य और उसके लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और प्रशिक्षण आवश्यक होता है।

3. परिवहन और संपर्क : औद्योगिक समाज में परिवहन और संपर्क माध्यमों का विस्तार होता है। उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल कारखानों तक ले आने के लिए और उत्पादित पदार्थों को बाज़ार तक ले जाने के लिए और विस्तृत रूप का परिवहन संपर्क इस समाज में रहता है।

4. स्थानांतरण हमारे ग्रामीण प्रदेश में कृषि क्षेत्र की आर्थिकता को डगमगा गया। इसने ग्रामीण समाज की सांस्थिक व्यवस्था के अंतर्गत अनेक मतभेदों का उत्पन्न किया। इसके फलस्वरूप अविभक्त परिवार अपना अस्तित्व खोकर छोटे परिवार बन गये। इसके अलावा औद्योगिक समाज ने व्यावसायिक कौशल के द्वारा व्यक्ति केंद्रित वैयक्तिकता को पैदा किया।

5. सूचना समाज : सूचना समाज सभी वर्ग के लिए आवश्यक होने के कारण उसका महत्व बढ़ गया है। समाज में लोग अपनी सुविधाओं और अपने अभावों को पूर्ति के लिए सूचना समाज की ओर सहज रूप से चले जाते हैं। लोगों के लिए अपने अगले जीवन की आवश्यकता के लिए शिक्षा, वाणिज्य, उद्योग इत्यादि अंशों के लिए सूचना समाज सहायक बनता है। सूचना समाज से संबंधित अध्ययन और सिद्धांत आर्थिकता पर ज्ञान के नियंत्रण के बारे में प्रमुख रूप से दो प्रकार की चर्चा करते हैं। एक सामाजिक अर्थ जीवन में सूचना तकनीकी महत्व बढ़ाना और उसके प्रभाव से संबंधित हो तो दूसरा सूचना स्वरूप ही बाज़ार की सामग्र बनाने के बारे में विश्लेषण करता है। इस प्रकार ज्ञान सामायिक, वैश्विक (Globalization) मुक्त समाज में एक व्यक्ति अथवा संस्था की संपदा मात्र न बनकर नहीं उत्पादन तकनीकी सामग्रियों में (Computer) आदि से ज्ञान का विनिमय हो रहा है। कंप्यूटर सूचना भंडार बन गए हैं।

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरिए -

1. शिकार समाज के सदस्य शिकार करने के लिए _____ औजारों का उपयोग करते हैं ।
2. कृषि समाज में खेती-बाड़ी के लिए _____ का उपयोग होता है ।
3. कौशल में कार्य बंटवारे को _____ कहते हैं ।
4. औद्योगिक समाज में परिवहन और _____ काविस्तार होता है ।
5. यंत्रों द्वारा उत्पादन _____ समाज में होता है ।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए

1. समाज के प्रकार कौन-कौन-से हैं ?
2. पशुपालन समाज किसे कहते हैं ?
3. कृषि समाज किसे कहते हैं ?
4. औद्योगिक समाज किसे कहते हैं ?
5. सूचना समाज किसे कहते हैं ?

III. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चार-पाँच वाक्यों में लिखिए :

1. शिकार और आहार संग्रहण के समाज की जीवन शैली का विवरण दीजिए।
2. पशुपालन समाज के लक्षण समझाइए ।
3. कृषि समाज के लक्षण समझाइए ।
4. औद्योगिक समाज के लक्षण समझाइए ।
5. सूचना समाज के संबंध में टिप्पणी लिखिए ।

IV. क्रिया-कलाप

1. नगर और ग्रामीण जीवन के संबंध में शिक्षकों के साथ-चर्चा कीजिए और तुलना कीजिए ।
2. आदर्श समाज की परिकल्पना के बारे में चर्चा कीजिए ।

V. योजना - कार्य

1. अपने गाँव में स्थित समुदायों की सूची बनाइए । एक किसान का साक्षात्कार करके कृषक समाज की समस्याओं की सूची बनाइए ।

अध्याय-3

वायुमंडल


इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप जानेंगे :

- वायुमंडल का अर्थ, महत्व संयोजन और रचना
- वायुमंडल की इकाई जैसे- तापमान, दबाव, चक्रवात, आर्द्रता, बादल वर्षा और उनके प्रकार कार्य और प्रभाव
- जलवायु और मौसम में अंतर का विश्लेषण

क्या आप जानते हैं कि किस तरह हमारे चारों ओर फैली हुई वायु की परत हमारी सुरक्षा करती है ?

वायुमंडल-अर्थ और महत्व

भूमि के चारों ओर फैली हुई वायु, धूल के कण और भाप की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह परत पृथ्वी की सतह और बाह्याकाश के बीच सुरक्षा चक्र का काम करती है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 100 कि.मी. तक फैला हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी पर रह रहे सभी प्रकार के जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार के जीवों के साँस लेने के लिए, पौधों के द्वारा आहार उत्पादन के लिए वातावरण आवश्यक है। वायुमंडल, एक चादर की तरह सूर्य से मिलने वाली गर्मी को सोखकर पृथ्वी का तापमान जीवनानुकूल बनाए रखने में सहायता करता है।



Layers of atmosphere
वायुमंडल की परतें

वायुमंडल का संयोजन

वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों, धूल के कण और भाप का मिश्रण है। वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसों हैं- नाइट्रोजन-78.08%, ऑक्सीजन - 20.94% और ऑर्गन-0.93% कार्बन डाइऑक्साइड -0.03% ओज़ोन-0.000005% इत्यादि आते हैं। वायुमंडल में धूल के कण भी होते हैं, जो वायुमंडल में उपस्थित भाप के साथ मिलकर, बादलों की रचना और किसी भी प्रदेश की जलवायु पर अपना प्रभाव डालते हैं।

वायुमंडल की रचना

वायुमंडल को उसके गुण-विशेषताओं के आधार पर पाँच प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। वे हैं : परिवर्तन क्षेत्र, समताप क्षेत्र, मध्यंतर क्षेत्र, उष्णता क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र।

1. क्षोभ मंडल : परिवर्तन क्षेत्र वायुमंडल का अत्यंत प्रमुख और निचला क्षेत्र है। यह वलय भूमध्य रेखा भाग में 18 कि.मी तक और ध्रुवीय भागों में 8 कि.मी. तक फैली हुई है। इस क्षेत्र में वायुमंडल की सभी इकाइयाँ जैसे तापमान, दबाव, चक्रवात, बादल और वर्षा, इत्यादि पायी जाती हैं। इस क्षेत्र में ऊँचाई के साथ ताप मान और दबाव दोनों कम होता जाता है।

2. समताप मंडल : यह वायुमंडल का दूसरा क्षेत्र/स्तर है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 50 कि.मी तक फैली हुई है। यह परिवर्तन स्तर और मध्यंतर स्तर के बीच स्थित है। इसी स्तर में ओज़ोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली परा-बैंगनी किरणों को सोखकर पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों की सुरक्षा करती है। इस स्तर में बादल और दूसरे जलवायु की इकाई नहीं पायी जाती, इसलिए यह वायुयानों के उड़ान के लिए अनुकूल है।

3. मध्यंतर स्तर : यह वायुमंडल का तीसरा स्तर/परत है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 80 कि.मी. तक फैला हुआ है और समताप परत के ऊपर स्थित है। इस स्तर में ऊँचाई के साथ तापमान कम होता जाता है। यह वायुमंडल का अत्यंत शीत (ठंडा) स्तर है।

4. उष्णता स्तर : उष्णता स्तर मध्यंतर स्तर के बाद आता है। इस स्तर में तापमान तीव्रता से बढ़ता है। इस स्तर को आयान स्तर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ उच्च तापमान की वजह से गैस के परमाणुओं का आयानीकरण हो जाता है। इस स्तर में पाए जाने वाले आयान पृथ्वी से प्रसरित होने वाली रेडियो तरंगों को पुनः पृथ्वी की ओर प्रतिफलित कर देते हैं।

5. बहिर्मंडल: यह वायुमंडल का अंतिम स्तर है। इस स्तर में वायुमंडल के तत्व बहुत कम होते हैं और दबाव बहुत कम होता है।

मौसम के तत्व

किसी भी क्षेत्र का मौसम विभिन्न तत्वों से प्रभावित होता है जैसे तापमान, दबाव, चक्रवात, आर्द्रता, बादल, वर्षा इत्यादि।

किसी क्षेत्र में किसी निर्धारित समय पर पाए जाने वाले वातावरण को मौसम कहते हैं। जबकि किसी क्षेत्र में एक लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसम की स्थिति को जलवायु कहते हैं।


वायुमंडल का तापमान

सूर्य-पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रकार की शक्ति का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी को सूर्य से यह शक्ति सौर विकिरणों के रूप में प्राप्त होती है। वायुमंडल के तापमान को ताप-मापक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडल के तापमान का मापन करने के लिए सेंटीग्रेड और फारेनहाइट तापमापकों का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल के तापमान को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व हैं: अक्षांश, ऊँचाई, सागर/समुद्र से दूरी, चक्रवात, सागरीय प्रवाह, भू-स्वरूप, बादल, वर्षा, इत्यादि।

वायुमंडल के तापमान में कमी की सामान्य मात्रा: वायुमंडल में ऊँचाई के साथ तापमान कम होता जाता है। वायुमंडल का तापमान प्रति 165 मी. पर 10°C और प्रति 1000 मी. (1 कि.मी.) पर 6.40°C के हिसाब से कम होता जाता है। इसे वायुमंडल के तापमान में कमी की सामान्य मात्रा कहते हैं।

वायुमंडल के तापमान का उलटफेर: कुछ संदर्भों में, ऊँचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। इसे तापमान का उलट-फेर कहते हैं। ऐसा पर्वतों की घाटियों में, बादल-रहित, आकाश, शुष्क हवा और बर्फ से ढकी हुई सर्दी की लंबी रातों में होता है।

उष्णता मंडल: पृथ्वी की सतह पर तापमान का वितरण एक सा नहीं है। सूर्य से प्राप्त



होने वाली और विकिरणों के आधार पर, पृथ्वी को तीन उष्णांश के स्तरों में विभाजित किया गया है। वे हैं: उष्ण मंडल, समशीतोष्ण मंडल, शीत मंडल।

उष्णता मंडल: यह अधिक उष्णांश का वलय है। यह 0° अक्षांश अथवा भूमध्य रेखा से उत्तर में कर्क रेखा ($23\frac{1}{2}^{\circ}$ उ) तक और दक्षिण में मकर रेखा ($23\frac{1}{2}^{\circ}$ द) तक फैला हुआ है। यह मंडल सूर्य से सीधी विकिरणों को प्राप्त करता है।

समशीतोष्ण मंडल: इस मंडल में तापमान ना तो बहुत अधिक होता है और ना तो बहुत कम होता है। यह मंडल उत्तर में कर्क रेखा $23\frac{1}{2}^{\circ}$ उ से आर्कटिक वृत्त $66\frac{1}{2}^{\circ}$ उत्तक और दक्षिण में मकर रेखा $23\frac{1}{2}^{\circ}$ द से अंटार्कटिक वृत्त $66\frac{1}{2}^{\circ}$ द तक फैला हुआ है।

शीत मंडल: यह अत्यंत शीत प्रदेश है। यह मंडल उत्तर में आर्कटिक वृत्त $66\frac{1}{2}^{\circ}$ उ से उत्तर ध्रुव 90° उ तक और दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त $66\frac{1}{2}^{\circ}$ द से दक्षिण ध्रुव 90° द तक फैला हुआ है। इस मंडल पर सूर्य की किरणों अत्यंत तिरछी होकर आती हैं, इसलिए यहाँ का तापमान बहुत कम होता है। यहाँ गर्मियों में तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है और सर्दियों में बहुत कम होता है।

समपात रेखाएँ: नक्शे (मानचित्र) पर एक मात्रा के तापमान वाले प्रदेशों को जोड़कर दर्शाने वाली (काल्पनिक) रेखाओं को समताप रेखाएँ कहते हैं।

क्या आप जानते हैं?

सबसे अधिक और सबसे कम तापमान वाले प्रदेश :

1. अफ्रीका खंड के लीबिया देश के अल-अज़ीज़िया में सबसे अधिक तापमान ($+58^{\circ}\text{C}$) मापा गया है। जबकि रूस के साइबेरिया प्रदेश के वर्कोयांस्क में सबसे कम तापमान (-24°C) मापा गया है।
2. भारत में राजस्थान के गंगानगर में गर्मियों में सबसे अधिक तापमान ($+54^{\circ}\text{C}$) और जम्मू-कश्मीर के लेह प्रदेश में सर्दियों में सबसे कम तापमान (-10°C) मापा गया है।
3. अंटार्कटिक के वस्टोक प्रदेश को पृथ्वी का सबसे ठंडा प्रदेश (सामान्य ताप $--89^{\circ}\text{C}$) माना जाता है।

वायुमंडल का दबाव

वायु में भार हैं, इसलिए वह दबाव डालता है। इसे वायुमंडल का दबाव कहते हैं। वायु के दबाव का मापन करने के लिए (वायुभारमापक) नामक उपकरण का उपयोग

किया जाता है। दबाव को मिलीबार में मापा जाता है। समुद्रतट पर वायुमंडल का दबाव सामान्य रूप से 1013.25 मिलीबार होता है। वायुमंडल का दबाव कई तत्वों से प्रभावित होता है जैसे : तापमान, पृथ्वी का भ्रमण, ऊँचाई, भाप, इत्यादि। वायुमंडल के दबाव को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला तत्व तापमान है। अधिक तापमान वाले प्रदेशों में वायु के विस्तृत होने की वजह से दबाव कम होता है। कम तापमान वाले प्रदेशों में वायु के सिकुड़ने की वजह से अधिक दबाव होता है। इसलिए तापमान और दबाव एक दूसरे से विरुद्ध रूप से संबंधित है। वायुमंडल का दबाव ऊँचाई के साथ कम होता जाता है। दबाव में कमी की मात्रा प्रति 300 मी. पर लगभग 34 मिलिबार की होती है।

पृथ्वी की प्रमुख दबाव के क्षेत्र-विश्व में कुल 7 दबाव क्षेत्र हैं-

1. भू-मध्य रेखीय कम दबाव का क्षेत्र
2. उत्तर उप-उष्ण क्षेत्र का अधिक दबाव का क्षेत्र
3. दक्षिण उप-उष्ण क्षेत्र की अधिक दबाव का क्षेत्र
4. उत्तर उप-ध्रुवी क्षेत्र की कम दबाव का क्षेत्र
5. दक्षिण उप-ध्रुवीय कम दबाव का क्षेत्र
6. उत्तर ध्रुवीय अधिक दबाव का क्षेत्र
7. दक्षिण ध्रुवीय अधिक दबाव का क्षेत्र

भू-मध्य रेखीय कम दबाव का क्षेत्र

यह अधिक तापमान और कम दबाव वाला क्षेत्र है। यह भूमध्य रेखा (0°) के दोनों ओर उत्तर में 5° उ और दक्षिण में 5° द तक फैली हुई है। यह प्रदेश लगभग पूरे वर्ष में सूर्य से सीधी किरणें प्राप्त करता है। इसलिए वायु हमेशा गर्म रहती है और वायु की गति बहुत कम होती है। इसलिए इसे शांत क्षेत्र अथवा डोलड्रम भी कहते हैं। इस क्षेत्र को अंतर उष्ण संधि क्षेत्र (Inter Tropical Convergence Zone-ITCZ) भी कहते हैं क्योंकि यहाँ व्यापारिक हवाएँ, इस प्रदेश में संधि करती हैं।

उप-उष्ण वलय की अधिक दबाव का क्षेत्र : ये क्षेत्र उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्द्धों में 30° और 35° अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। यहाँ दो उप-उष्ण क्षेत्र के अधिक दबाव का क्षेत्र होता है :

- a) उत्तर-उष्ण वलय की अधिक दबाव क्षेत्र : यह क्षेत्र उत्तर में 30° उ से 35° उ अक्षांश के बीच पाई जाती है। इसको अश्व अक्षांश क्षेत्र भी कहते हैं।
- b) दक्षिण उप-उष्ण वलय की अधिक दबाव पट्टी : यह क्षेत्र दक्षिण में 30° द से 35° द अक्षांश के बीच पाई जाती है।

उप-ध्रुव क्षेत्र के कम दबाव के क्षेत्र

ये क्षेत्र उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्द्धों में 60° और 65° अक्षांशों के बीच पाई जाती हैं। यहाँ दो उप-ध्रुव क्षेत्र की कम दबाव के क्षेत्र पाए जाते हैं :

a) उत्तरी उप उष्ण क्षेत्र के अत्यधिक दाब का क्षेत्र: 30° उत्तर से 35° उत्तरी तक यह देखे जा सकते हैं।

b) दक्षिण उप-उष्ण क्षेत्र के अधिक दाब का क्षेत्र: यह 30° दक्षिण से 35° दक्षिणी अक्षांश में देखा जा सकता है। इन पट्टियों में सर्दियों में तूफानी हवाएं चलती हैं।

ध्रुवीय या अधिक दबाव के क्षेत्र

ये क्षेत्र उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्द्धों में 80° और 90° अक्षांशों के बीच पाई जाती हैं। अत्यंत शीत क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पूरे वर्ष अधिक दबाव बना रहता है।


समभार रेखाएँ

नक्शे पर एक मात्रा में दबाव वाले प्रदेशों को जोड़कर दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाओं को समभार रेखाएँ कहते हैं।


चक्रवात

पृथ्वी की सतह के समानान्तर चलने वाली वायु को हवा (पवन) कहते हैं। पृथ्वी के भ्रमण और वायु के दबाव में असमानता की वजह से चक्रवात चलते हैं।


हवाओं की दिशा दिखाने के लिए 'पवन दिशा सूचक' (wind wane or weather cock) नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसी तरह हवाओं के वेग को मापने के लिए 'पवन वेग मापक' (anemometer) का प्रयोग किया जाता है।



विश्व के दबाव के क्षेत्र



पवन दिक्सूची



पवन वेगमापक


चक्रवात के प्रकार: हवाओं को प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया गया है। वे हैं :

- a) निरंतर हवाएँ b) नियतकालिक हवाएँ c) स्थानीय हवाएँ d) अनिश्चित हवाएँ

1. सांसारिक हवाएँ : निरंतर हवाओं को 'नित्य हवाएँ' अथवा 'भूमंडलीय हवाएँ' भी कहते हैं। ये हवाएँ पूरे साल भर लगभग एक ही दिशा में चलती हैं। ये हवाएँ मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन (बंजर भूमि) के निर्माण, नौकायान के मार्ग इत्यादि को प्रभावित करती हैं। निरंतर हवाएँ तीन प्रकार की होती हैं ।

a) व्यापारिक हवाएँ: ये हवाएँ उप-उष्ण वलय की अधिक दबाव वाली पट्टियों से भू-मध्य रेखीय कम दबाव वाले प्रदेश की ओर बहती हैं। उत्तर गोलार्द्ध में व्यापारिक हवाएँ उत्तर पूर्व से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में बहती हैं। इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएँ कहते हैं। दक्षिण गोलार्द्ध में ये हवाएँ दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हैं। इन्हें दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएँ कहते हैं।

b) वाणिज्य विरोधी हवाएँ : ये हवाएँ उप-उष्ण क्षेत्र को अधिक दबाव क्षेत्र से उप-ध्रुवीय प्रदेश की कम दबाव क्षेत्र की ओर बहती हैं। उत्तर गोलार्द्ध में ये हवाएँ दक्षिण-पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में बहती हैं। दक्षिण गोलार्द्ध में उत्तर-पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में बहती हैं। ये हवाएँ दक्षिण गोलार्द्ध के सागरों पर अति प्रबल होती हैं। इसलिए इन्हें "40°S की गरजने वाली हवाएँ", "50°S की उग्र हवाएँ" और "60°S की चीखने वाली हवाएँ" कहा जाता है। इन्हें पश्चिमी हवाएँ भी कहते हैं।



c) ध्रुवीय हवाएँ: इन हवाओं को पूर्वी हवाएँ कहा जाता है। ये हवाएँ ध्रुवीय अधिक दबाव प्रदेश से उप-ध्रुवीय कम दबाव की प्रदेश की ओर बहती हैं। उत्तर गोलार्द्ध में ये हवाएँ उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हैं। दक्षिण गोलार्द्ध में ये हवाएँ दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हैं। ये ध्रुवीय हिम-प्रदेशों से बहनेवाली शीत (ठंडी) शुष्क हवाएँ हैं।

2. मौसमी हवाएँ: इन हवाओं को मौसमी हवाएँ भी कहते हैं। ये हवाएँ ऋतु अथवा काल के साथ अपनी दिशा बदल देती हैं। भारत में चलनेवाली मानसून हवाएँ नियतकालिक (मौसमी) हवाओं का उत्तम उदाहरण हैं। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएँ जून से सितंबर महीनों के बीच दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा में चलती हैं और उत्तर पूर्वी मानसून हवाएँ सितंबर महीने के अंत से दिसंबर के मध्य तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती हैं।

3. स्थानीय हवाएँ: निरंतर और नियतकालिक हवाएँ स्थलीय तापमान, दबाव, आर्द्रता इत्यादि की असमानता की वजह से स्थलीय हवाओं को जन्म देती हैं। निरंतर/नियतकालिक हवाएँ जब पर्वत श्रेणियों से, घाटियों से अथवा दूसरे भू-स्वरूपों से होकर गुजरती हैं, तब स्थलीय हवाओं का जन्म होता है। कुछ प्रमुख स्थलीय हवाएँ हैं : भू-पवन, समुद्रीय पवन, पर्वतीय हवा, घाटियों की हवा इत्यादि। स्थलीय हवाओं को भारत में 'लू', अमेरिका में 'चिनूक' अथवा 'हिमभक्षक', आल्प्स पर्वतों में 'फोह', फ्रांस में 'मिस्ट्रल', सहारा रेगिस्तान में 'सिराक्को', ऑस्ट्रेलिया में 'ब्रिक फील्डर' और अंटार्कटिक में 'ब्लिज़र्ड' कहते हैं।

4. आवर्ती और प्रत्यावर्ती हवाएँ: इन्हें अनिश्चित हवाएँ कहते हैं। ये हवाएँ दबाव में बहुत अधिक असमानता होने पर चलने लगती हैं। ये हवाएँ अल्पकालिक (अस्थायी) होती हैं। परन्तु कभी-कभी भयानक और विनाशकारी भी हो सकती हैं।

a) आवर्ती हवाएँ: कभी-कभी अत्यंत कम दबाव वाले केन्द्र के चारों ओर अधिक दबाव का क्षेत्र बन जाता है। ऐसे में हवाएँ अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की तरह वृत्ताकार में घूमने लगते हैं। उत्तर गोलार्द्ध में आवर्त हवाएँ बाएँ से दाएँ अर्थात् घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में चलती हैं। दक्षिण गोलार्द्ध में आवर्ती हवाएँ दाएँ से बाएँ अर्थात् घड़ी की सुई की दिशा में चलती हैं। आवर्ती हवाएँ दो प्रकार की होती हैं :


i) उष्ण क्षेत्र की आवर्ती हवाएँ: ये हवाएँ उष्ण क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी होती हैं।

- ii) समशीतोष्ण क्षेत्र की आवर्ती हवाएँ:** ये हवाएँ समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती हैं। उष्णक्षेत्र की आवर्ती हवाओं की तुलना में ये कम शक्तिशाली और कम विनाशकारी होती हैं।

आवर्ती हवाओं को विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न नामों से बुलाया जाता है। चीन और जापान - टैफून, अमेरिका और मैक्सिको-हरीकेन, ऑस्ट्रेलिया - विल्ली विल्लीस, भारत-सैक्लोन, रूस-वर्लपूल। पिछले कुछ सालों में भारत में कुछ शक्तिशाली आवर्ती हवाओं को देखा गया है। उनमें से प्रमुख हैं - बोला, नर्गिस, निशा, लैला, बिजली, जल थेस इत्यादि।

b) प्रत्यावर्ती हवाएँ: प्रत्यावर्ती हवाएँ अधिक दबाव वाले केन्द्र से कम दबाव वाले प्रदेश की ओर (बाहर की ओर) चलती हैं। उत्तर गोलार्द्ध में प्रत्यावर्त हवाएँ दाएँ से बाएँ अर्थात् घड़ी की सूई की दिशा में चलती हैं और दक्षिण गोलार्द्ध में बाएँ से दाएँ अर्थात् घड़ी की सूई की उल्टी दिशा में चलती हैं।

आर्द्रता : वायु में उपस्थित भाप अथवा नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता का मापन करने के लिए आर्द्रतामापक (Hygrometer or Psychrometer) का उपयोग किया जाता है।



आवर्ती और प्रत्यावर्ती चक्रवात

आर्द्रता के प्रकार: आर्द्रता को विभिन्न रूप से दर्शाया जा सकता है। उसमें से प्रमुख हैं : समग्र, आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और निर्दिष्ट आर्द्रता।

समग्र आर्द्रता: एक निर्दिष्ट प्रमाण के वायु में उपस्थित संपूर्ण नमी की मात्रा को समग्र आर्द्रता कहते हैं। इस प्रकार की नमी का मापन उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें तापमान को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

सापेक्ष आर्द्रता: एक निर्दिष्ट तापमान में वायु में उपस्थित नमी की मात्रा और उसी

तापमान में वायु द्वारा सोखे जाने योग्य नमी की मात्रा के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है।

$$\text{सापेक्ष आर्द्रता} = \frac{\text{वायु में उपस्थित नमी की यथार्थ मात्रा}}{\text{निर्दिष्ट तापमान में वायु द्वारा सोखे जाने योग्य नमी की अधिकतम मात्रा}} \times 100$$

निर्दिष्ट आर्द्रता: वायु की निर्दिष्ट मात्रा में उपस्थित नमी की यथार्थ मात्रा को निर्दिष्ट आर्द्रता कहते हैं।


बादल: वायुमंडल का तापमान कम होने पर उसमें स्थित नमी या भाप के घनीकरण के द्वारा बने छोटे-छोटे पानी की बूंदों अथवा बर्फ के कणों के ढेर को बादल कहते हैं। ये भूमि की सतह से काफी ऊँचाई पर होते हैं।

बादलों के प्रकार: बादलों को उनके आकार और ऊँचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है। कुछ प्रमुख प्रकार के बादल हैं :

मेघपटल: परतीय बादल आकाश में कम ऊँचाई पर पाए जाते हैं। ये बादल की विशाल पतली परत जैसे दिखाई देते हैं। परतीय बादल अच्छे मौसम के सहकारी होते हैं और थोड़ी वर्षा करते हैं।

मेघपुंज: मेघापुंज फूल-गोभी के आकार के बादल होते हैं। इसका निचला भाग समतलीय होता है, परन्तु ऊपरी भाग गुंबज-आकार का होता है। इन्हें सामान्य तौर पर 'ऊनी-गोले' का बादल कहा जाता है। मेघपुंज वर्षा लाने वाले बादल होते हैं।

हिम कणों (पक्षाभ) के बादल: हिम कणों के बादल वायुमंडल में सबसे ऊपर होते हैं (लगभग 6 कि.मी. की ऊँचाई पर)। ये बादल 'धुंधराले बालों' की तरह होते हैं पंख अथवा रेशेदार लगते हैं। ये बादल अच्छे मौसम की सूचना देते हैं। और इससे सूर्यास्त भी अच्छे से दिखाई देता है। ये हवा में रूई के गोलों की तरह तैरते हैं। ये बादल 'घोड़े की पूँछ' अथवा 'जादूगरनी के झाड़ू' के नाम से जाने जाते हैं।




बादलों के प्रकार

वर्षा मेघ (निंबस): ये वायुमंडल के निचले स्तर पर पाए जाने वाले वर्षा लाने वाले बादल हैं। ये बादल परतीय बादल अथवा मेघपुंज के आकार में होते हैं। ये रंग में भूरे या काले होते हैं। ये अधिक वर्षा या हिमपात कराते हैं।

वर्षा: वायुमंडल में स्थित नमी या भाप (बाष्प) जब घनीकरण के बाद पानी की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, उसे वर्षा कहते हैं। किसी भी प्रदेश में होनेवाली वर्षा की मात्रा को वर्षामापक से मापा जाता है। वर्षा की मात्रा को मिलीमीटर में मापा जाता है।


वर्षा के प्रकार: वर्षा तीन प्रकार की होती है। वे हैं : संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, आवर्ती वर्षा ।

संवहनीय वर्षा: संवहन क्रिया के द्वारा आनेवाली वर्षा को संवहन वर्षा कहते हैं। अधिक तापमान वाले प्रदेशों में, अधिक ताप से गर्म होकर वायु ऊपर उठती है। काफी ऊपर उठने पर वायु ठंडी हो जाती है, उसमें स्थित नमी घनीकरण की वजह से पानी बनकर वर्षा बरसाती है। संवहन वर्षा सामान्य रूप से भू-मध्य रेखीय क्षेत्र में और उष्ण क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में होते हैं। भू-मध्य रेखीय क्षेत्र में संवहन वर्षा को 'अपराहन वर्षा' (दोपहर वर्षा) कहते हैं, क्योंकि यह सामान्यतः दोपहर में होती है।



संवहनीय वर्षा

पर्वतीय वर्षा: इसे 'आरोह वर्षा' अथवा 'भू-स्वरूप वर्षा' भी कहते हैं। जब नमी से भरपूर वायु पर्वत से टकराती है, तो वायु ऊपर चढ़ती है। ऊपर जाते-जाते उसमें स्थित नमी का घनीकरण होता है और वो पानी बनकर वर्षा करती है। हवा के अभिमुख पर्वतीय भाग में अधिक वर्षा होती है। परन्तु हवा के विरुद्ध दिशा में स्थित पर्वतीय भागों में कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र को 'वृष्टि-छाया-क्षेत्र' कहते हैं। उदाहरण मंगलूर हवा का अभिमुख भाग, हासन-हवा के विरुद्ध दिशा में स्थित भू-भाग।



पर्वतीय वर्षा

आवर्ती वर्षा: उष्ण वलय में चक्रवात के दौरान आवर्त हवाएँ वृत्ताकार रूप से ऊपर चढ़ती हैं। ऊपर चढ़ने पर हवा में स्थित नमी का घनीकरण होता है और इससे ज़ोरदार वर्षा होती है। समशीतोष्ण वलय में जब उष्ण वायु और शीत वायु मिलती है तब उष्ण वायु के हल्के होने के कारण ऊपर उठाना पड़ता है। ऊपर उठने पर गर्म हवा ठंडी हो जाती है और घनीभूत होकर वर्षा करती है।

वर्षा का वितरण: पृथ्वी पर वर्षा का वितरण किसी प्रदेश के स्थान और वहाँ की जलवायु परिस्थितियों पर आधारित होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले प्रमुख प्रदेश हैं, भूमध्यरेखीय प्रदेश, उप-उष्ण क्षेत्र के पूर्वी भाग, उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्द्धों में 40° और 60° अक्षांशों के बीच के प्रदेश का पश्चिमी भाग। सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले प्रदेश है ध्रुवीय प्रदेश। उप-उष्ण वलय के पश्चिमी भाग, उष्ण क्षेत्र और समशीतोष्ण क्षेत्र के रेगिस्तान ।

क्या आप जानते हैं?

1. भारत के मेघालय में स्थित मौसिनराम प्रदेश प्रति वर्ष लगभग 1140 सें.मी वर्षा प्राप्त करता है। यह पृथ्वी का सबसे अधिक आर्द्र या वर्षा प्राप्त करने वाला भाग है।
2. कर्नाटक में स्थित आगुम्बे को दक्षिण भारत का मौसिनराम कहा जाता है।
3. भारत के राजस्थान में स्थित राँयली एक वर्ष में केवल 8 सें.मी वर्षा प्राप्त करता है।
4. कर्नाटक के चित्रदुर्गा में स्थित नायकनहट्टी कर्नाटक का सबसे सूखा प्रदेश है।
5. चिली देश में स्थित अटाकामा रेगिस्तान पृथ्वी का सबसे सूखा प्रदेश है। यहाँ पिछले 200 सालों से वर्षा नहीं हुई है।

मौसम और जलवायु: एक निर्दिष्ट समय पर एक छोटे से प्रदेश की वायुमंडल की परिस्थिति को मौसम कहते हैं। उदाहरण : मेघाच्छादित (बादलों से भरा), उजला या धूपवाला, साफ मौसम इत्यादि। मौसम के वैज्ञानिक अध्ययन को मौसम विज्ञान (Meteorology) कहते हैं।

किसी बड़े प्रदेश में एक लंबे समय तक प्रचलित रहनेवाले वायुमंडल की परिस्थितियों (मौसम) को उस प्रदेश की जलवायु कहते हैं। उदाहरण - भूमध्य रेखीय प्रदेश की जलवायु, उष्ण वलय की मानसूनी जलवायु, रेगिस्तानी जलवायु, मेडिटरेनियन जलवायु, टुण्ड्रा जलवायु इत्यादि। जलवायु के वैज्ञानिक अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। किसी प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व हैं - अक्षांश, ऊँचाई, हवाएँ, समुद्र से दूरी, भू-भागों और जलराशियों का वितरण, सागर, बाढ़ इत्यादि।

अभ्यास

I. निम्नलिखित वाक्यों में खाली जगह भरिए ।

1. वायुमंडल की दो प्रमुख गैसों _____ और _____ हैं ।
2. वायुमंडल की सबसे निचली परत _____ है।
3. समुद्र तट पर वायुमंडल का दबाव सामान्य रूप से _____ होता है।
4. पश्चिमी हवाओं को _____ भी कहते हैं।
5. मौसम के वैज्ञानिक अध्ययन को _____ कहते हैं।

II. नीचे दिये गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. वायुमंडल क्या है?
2. वायुमंडल के प्रमुख परतों के नाम लिखिए ।
3. ओज़ोन परत का महत्व क्या है?
4. डोलड्रम क्या है? ये कहाँ पाया जाता है?
5. विभिन्न प्रकार की निरंतर हवाओं के नाम लिखिए ।
6. स्थलीय हवाएँ क्या है? दो उदाहरण दीजिए।
7. विभिन्न प्रकार के बादलों के नाम लिखिए ?
8. मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए ।

III. नीचे दिए गए पदों की परिभाषा लिखिए ।

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. उष्णता क्षेत्र | 2. तापमान में कमी की सामान्य मात्रा |
| 3. उष्ण क्षेत्र/प्रदेश | 4. अश्व अक्षांश |
| 5. पर्वतीय वर्षा | 6. जलवायु विज्ञान |

IV. कुछ प्रमुख पद :

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. सौर विकिरण (insolation) | 2. तापमान का उल्ट-फेर |
| 3. पवनवेगमापक | 4. गरजनेवाली हवाएँ |
| 5. वर्षामेघ | 6. मौसम विज्ञान |

V. क्रियाकलाप :

1. विश्व की निरंतर हवाओं के चित्र बनाकर नामांकित कीजिए।



अध्याय-4

जलमंडल

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप जानेंगे :

- विभिन्न प्रकार के जल राशि।
- समुद्रतल की रचना।
- महासागरीय प्रवाह, उनके प्रकार और सागरों का संरक्षण।
- भारत के नक्शे में सागर, समुद्र, खाड़ी, खण्ड, जलसंधि इत्यादि दर्शाना।

जल:- जलीय जीवन और समुद्रीय (तटवर्ती) जलवायु का मूल स्रोत


जल राशियों का विवरण

पृथ्वी को सामान्य रूप से 'नील ग्रह' अथवा 'जलवृत ग्रह' कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के पूरे क्षेत्रफल का 71% अथवा 361 दसलाख कि.मी का प्रदेश पानी से आवृत है। विश्व के प्रमुख जल राशि पॅसिफिक (प्रशांत) महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर हैं।

महासागर: महाद्वीपों के बीच पाए जाने वाले विशाल और गहरी जलराशि को महासागर कहते हैं। उदाहरण के लिए: एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हिंद महासागर, उत्तर अमेरिका और यूरोप में बीच में अटलांटिक महासागर है।

सागर/समुद्र: सागर/समुद्र महासागरों का एक भाग होता है, जो भूखण्ड के साथ फैला होता है। समुद्र महासागर से विस्तार में छोटा होता है।

उदाहरण: अरब सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर।



उपसागर/खाड़ी: यह महासागर अथवा सागर का छोटा सा भाग है जो भूभाग के बीच में काफी दूर तक घुसा हुआ होता है। यह समुद्र से छोटा होता है और से विस्तार, आकार और गहराई में एक-दूसरे से काफी अलग होते हैं। उदाहरण : मन्नार की खाड़ी, फारस की खाड़ी, मैक्सिकन खाड़ी।

उपसमुद्र/खाड़ी (Bay): भूभाग से अंशतः घिरा हुआ अर्धवृत्ताकार समुद्र का एक भाग खाड़ी कहलाता है। ये आकार, विस्तार और गहराई में एक दूसरे से अलग होते हैं। उदाहरण - बंगाल की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, हडसन खाड़ी आदि।


जलडमरूमध्य: दो विशाल जलराशियों को जोड़ने वाले सँकरे जल भाग को जलडमरूमध्य कहते हैं। उदाहरण: पाक जलडमरूमध्य, जिब्राल्टर जलडमरूमध्य, बेरिंग जलडमरूमध्य।

भूसंधि: दो विशाल भूभागों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूभाग को भूसंधि कहते हैं। भूसंधि सागरों के बीच नहर बनाने के लिए बहुत प्रमुख स्थान हैं। उदाहरण : एशिया और अफ्रीका भूभागों के बीच स्थित सुयेज़ (स्वेज) नहर, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित पनामा नहर।

सागर तल का भू-स्वरूप

जिस तरह भूभाग पर विभिन्न प्रकार के भू-स्वरूप पाए जाते हैं, उसी तरह समुद्र/सागर तल में भी विभिन्न प्रकार के भूभाग पाए जाते हैं। सागरों का महत्व जानने के लिए सागर तल के भू-स्वरूप का जानना अत्यावश्यक है। भू-स्वरूप के गुणों - विशेषताओं के आधार पर सागर तल को मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित किया गया है। वे हैं-

- a) भू-खंडीय विस्तार
- b) भूखण्डीय ढलवाँ क्षेत्र
- c) सागरीय मैदान
- c) सागरीय खाइयाँ



सागर तल की सतही विशेषताएँ/लक्षण

- भूखंडीय विस्तार:** समुद्रतट से पास के कम गहरे पानी के भाग को भूखण्डीय फैलाव कहते हैं। इस भाग के एक तरफ समुद्रतट और दूसरी तरफ भूखंडीय ढलवाँ भाग होता है। भूखंडीय फैलाव की गहराई सामान्य रूप से 100 फैंथम (1 फैंथम- 6 फीट) इस भाग में समुद्रतट से भूखंडीय विस्तार बढ़ता जाता है। भूखंडीय विस्तार मछली पकड़ने, जलीय कृषि, नौकायान संचालन, तेल, खनिज के निस्सारण के लिए बहुत प्रमुख है।
- भूखंडीय ढलवाँ प्रदेश:** यह समुद्र तल का दूसरा भाग है और काफी ढलान युक्त है। यह भूखंडीय विस्तार और गहरे सागरीय मैदान के बीच का संपर्क है। इस भाग में समुद्री झरने पाए जाते हैं।
- गहरी सागरीय मैदान:** सागर तल में पाए जाने वाले विशाल मैदान को गहरी सागरीय मैदान कहते हैं। इसे “एबीसल मैदान” भी कहते हैं। यह सागर तल के सभी भू-स्वरूपों में सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा फैला हुआ है। इस भाग में समुद्रीय पर्वत और चपटे टीले (गुयोट्स) guyots पाए जाते हैं।
- सागरीय खाइयाँ:** सागरीय खाइयों को संकीर्ण सागरीय खड्डा भी कहते हैं। ये सागर तल के सबसे गहरे भाग हैं। उदाहरण : फिलीपिन्स द्वीपों के पास स्थित चेलेंजर खाई 11,033 मीं गहरी है और यह समुद्र तल का सबसे गहरा स्थान है। प्रशांत महासागर के टुगा प्रपात और कोराइल प्रपात इसके दूसरे उदाहरण हैं।

सागरीय जल की उष्णता और खारापन-

तापमान : समुद्र या सागर के पानी का तापमान अक्षांश-रेखाओं और सागर तल की गहराई के अनुसार बदलता रहता है। भूमध्य रेखा के पास स्थित समुद्र के पानी का तापमान आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों के पास स्थित समुद्र के पानी से ज्यादा होता है। बढ़ती गहराई के साथ समुद्र के पानी का तापमान घटता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज की किरणें पानी के अंदर केवल 200 मी तक ही जा पाती हैं। इस गहराई में (200 मी.) विभिन्न जलीय जीव-जन्तु अधिक संख्या में पाए जाते हैं।

लवणता: सागर अथवा समुद्र के पानी में घुले हुए लवणांश (नमक) की मात्रा को लवणता कहते हैं। सामान्य रूप से सागर के पानी की लवणता 35/000 होती है (1000 भागों में 35 भाग)। सागर के पानी की लवणता कर्करेखा और मकररेखा में ज्यादा होती है और ध्रुवों के पास कम होती है। भूमध्य रेखीय भाग में अधिक वाष्पकरण और अधिक वर्षा के कारण लवणता साधारण होती है।

सागर का पानी खारा (नमकीन) क्यों होता है?

भूभाग से समुद्र की तरफ बहने वाला पानी (नदी) अपने साथ कई प्रकार के लवणांश ले जाता है और उसे समुद्र या सागर में जमा कर देता है। समुद्र-सागर का पानी अधिक तापमान की वजह से निरंतर वाष्पित होता रहता है और लवणांश समुद्र या सागर में ही रह जाते हैं। लम्बे समय से चल रही इस निरंतर प्रक्रिया की वजह से सागर में लवणांश का संग्रहण हो गया है, इसलिए समुद्र का पानी खारा हो गया है।

विश्व में सबसे अधिक लवणता वाली जल राशियाँ

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. टर्की में स्थित वैन सरोवर | - 330/000 |
| 2. मृत समुद्र (जार्डन) | - 300/000 |
| 3. सांभर सरोवर (भारत) | - 265/000 |
| 4. लाल समुद्र (एशिया और अफ्रीका) | - 240/000 |

सागरीय जलधारा: सागर के पानी की धारा तीन प्रकार की होती है। वे हैं : लहरें, धारा और ज्वार-भाटा। सागर के पानी का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश निरंतर चलन को सागरीय धारा कहते हैं।


उष्ण धारा: इन धाराओं का उगम भूमध्य सागरीय प्रदेशों से होता है और ये ध्रुवीय

प्रदेशों की तरफ बहती हैं।


शीत धारा: इन धाराओं का प्रारंभ ध्रुवीय प्रदेशों से होता है और ये भू-मध्य सागरीय प्रदेशों की तरफ बहती हैं।

सागरीय धाराओं पर प्रभाव डालने वाले अंश हैं - पृथ्वी का भ्रमण, तापमान, वायु, लवणता, भूभागों के आकार, इत्यादि।

प्रशांत महासागर की धाराएँ




अटलांटिक महासागर की धाराएँ



हिंद महासागर के धारा: उत्तर हिंद महासागरीय धारा मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल देती है। दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान सागरीय धारा दक्षिण-पश्चिमी दिशा से उत्तर पूर्वी दिशा की ओर होती है और उत्तर-पूर्वी मानसून के दौरान धारा उत्तर पूर्वी दिशा से दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर होती है।

दक्षिण हिन्द महासागर की प्रमुख उष्ण धाराएँ हैं: मोज़ाम्बिक, मेडागास्कर और अगुल्हास और पश्चिम आस्ट्रेलिया की धारा ठंडी धारा है।



Major ocean currents of the world

विश्व की प्रमुख सागर धाराएँ

क्या आप जानते हैं ? विश्व के प्रमुख मत्स्य उद्योग केन्द्र :

1. होन्शु होकाइडो मत्स्य उद्योग केन्द्र-क्यूरोशिवो उष्ण धारा और ओयशिवो शीत धारा का संधिस्थल (जापान)
2. ग्रैंड बैंक-गल्फ स्ट्रीम उष्ण धारा और लैब्रडार शीत धारा का संधिस्थल (न्यू फॉण्डलैंड USA)
3. डॉंगर बैंक - यूरोप का उत्तर समुद्रीय भाग

ज्वार - भाटा: सागर या समुद्र के पानी के स्तर के नियमित रूप से चढ़ने और उतरने को ज्वार-भाटा कहते हैं। ज्वार-भाटा के मुख्य कारण हैं - चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का भ्रमण और पृथ्वी की केन्द्रापसारी शक्ति।


ज्वार-भाटा के प्रकार: ज्वार भाटा दो तरह के होते हैं। a) अधिकतम ज्वार-भाटा:

समुद्र अथवा सागर के पानी के स्तर के चढ़ने को अधिकतम (उच्च) ज्वार-भाटा कहते हैं।
b) निम्न ज्वार-भाटा: समुद्र अथवा सागर के पानी के स्तर के उतरने को निम्न ज्वार-भाटा कहते हैं।

सागर और समुद्रों में एक बाद एक उच्च और निम्न ज्वार-भाटा के बीच 6 घंटे और दूसरे उच्च ज्वार-भाटा के बीच 12 घंटे और 26 मिनट होते हैं। 24 घंटों और 52 मिनट में दो उच्च और दो निम्न ज्वार-भाटा होता है।

सूर्य और चंद्रमा के स्थान के आधार पर ज्वार-भाटा को दो प्रकारों में बाँटा गया है।

अधिकतम ज्वार भाटा (Spring Tide) : जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सरल रेखा में होते हैं, जैसे कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन तब उच्चतम ज्वार भाटा होता है। जब उच्चतम ज्वार-भाटा होता है, तब उच्च ज्वार-भाटा और ऊँचा हो जाता है निम्न ज्वार-भाटा और नीचा हो जाता है।



अधिकतम और निम्नतम ज्वार-भाटा

न्यूनतम ज्वार-भाटा (Neap Tide) : न्यूनतम ज्वार-भाटा अमावस्या और पूर्णिमा के बीच के दिनों में होते हैं। न्यूनतम ज्वार-भाटा के समय सूर्य और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं और चंद्रमा पृथ्वी से समकोणीय (90°) दिशा में होता है। ऐसे ज्वार-भाटा में, उच्च-ज्वार-भाटा अधिक ऊँचे नहीं होते और निम्न ज्वार-भाटा अधिक नीचे नहीं होते।

ज्वार - भाटा के उपयोग: ज्वार-भाटा मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से हितकारी (सहायक) हैं।

1. समुद्रों में जहाजों को चलाने में सहायता करते हैं।
2. बंदरगाहों के निर्माण में सहकारी होते हैं।
3. ज्वारा-भाटा नियमित रूप से बंदरगाहों की सफाई करता है।

4. मछली पकड़ने में (मत्स्य उद्योग के लिए) सहकारी होते हैं।
5. विद्युत शक्ति के उत्पादन में सहायता करते हैं।

सागरों का संरक्षण

सागरों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। सागर विभिन्न प्रकार से हमारी सहायता करते हैं और ये असंख्य जलीय जीवों को आश्रय भी प्रदान करते हैं। जिस तरह सागरों को प्रदूषित किया जा रहा है। भविष्य में उनका स्वच्छ रह पाना असंभव है। इसलिए सागरों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। सागरों के संरक्षण करने के कुछ प्रमुख तरीके नीचे दिए गए हैं।

1. सागर में जहाजों के द्वारा कच्चे तेल का निर्वासन नहीं करना चाहिए, पाइप-लाइनों के द्वारा करना चाहिए।
2. अणु शक्ति केन्द्रों से निकलने वाले त्याज्य पदार्थों को सागर या समुद्र में नहीं डालना चाहिए।
3. समुद्र तटीय भागों में स्थित कच्चे तेल रासायनिक कारखानों के अवशेष में समुद्र/सागर में ना डालने की सूचना देनी चाहिए।
4. बंदरगाहों के पास किसी भी प्रकार के कूड़े-कचरे को डालने पर रोक लगाना चाहिए।
5. समुद्र-तट के पास कच्चे धातु के संग्रहण और खनन पर नियंत्रण लगाना चाहिए।
6. समुद्र तटों को दुरुपयोग और विनाशकारी कार्यों से संरक्षित करना चाहिए।

अभ्यास

I. सही उत्तर लिखकर खाली स्थान भरो :

1. भूखंडीय विस्तार की गहराई सामान्य रूप से _____ होती है।
2. एक फैंथम _____ फीट के बराबर है।
3. प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा स्थान _____ है।
4. सागर के पानी की लवणता सामान्यतः _____ होती है।
5. पूर्णिमा के दिन _____ ज्वारभाटा होते हैं।

II. नीचे दिये गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. जलमंडल क्या है?
2. सागर के तल के भू-स्वरूप के चार प्रमुख भागों के नाम लिखिए ।
3. सागरीय प्रवाह और ज्वारभाटों के बीच के अंतर लिखिए ।
4. उच्चतम ज्वारभाटा और न्यूनतम ज्वारभाटा के अंतर लिखिए ।
5. समुद्रों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं ?

III. जोड़कर लिखिए ।

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. फैंथम | अ) गहरे समुद्र का मैदान |
| 2. ओयाशिवो | आ) अमेरिका का पूर्वी तट |
| 3. गल्फ स्ट्रीम | इ) शीत धारा |
| 4. सागरीय पर्वत | ई) हिन्द महासागर धारा |
| 5. अगुल्हास धारा | उ) समुद्र की गहराई |

IV. नीचे दिये गए शब्दों की परिभाषा लिखिए ।

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. भूखंडीय विस्तार | 2. लवणता |
| 3. उष्ण और शीत धारा | 4. उच्च और निम्न ज्वारभाटा |
| 5. बैंगुएला धारा | 6. ज्वारभाटा |

V. कुछ प्रमुख पद

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. गल्फ स्ट्रीम | 2. लवणता |
| 3. उष्ण धारा | 4. क्यूरोशिवो धारा |
| 5. उच्चतम ज्वारभाटा | 6. ज्वारभाटा से विद्युत शक्ति |

VI. क्रियाकलाप :

1. अटलांटिक महासागर की उष्ण धाराओं और शीत धाराओं की सूची बनाइए ।



अध्याय-5

जीव मंडल

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप जानेंगे ।

- जीवमंडल का अर्थ और महत्व
- पर्यावरण, इसका अर्थ, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और उनसे बचने का उपाय

क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ने हमें क्या-क्या दिया है? पर हमने बदले में पृथ्वी को क्या दिया है?

जीवमंडल - अर्थ: पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन का अस्तित्व है। यह पृथ्वी का चौथा मंडल (भाग) है जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीवित प्राणी आते हैं।

परिस्थिति विज्ञान (Ecology) : विभिन्न प्रकार के जीवों का उनके भौतिक रासायनिक और जैविक पर्यावरण के साथ परस्पर संबंध के अध्ययन को परिस्थिति विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में जैवमंडल में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच एक अच्छा संतुलन होता है। इसे परिस्थितिक संतुलन कहते हैं।

पौधों, प्राणियों और उनके आस-पास के सजीव और निर्जीव पर्यावरण के बीच परस्पर सम्बन्ध को परिस्थितिक तंत्र अथवा परितंत्र कहते हैं। यह सभी प्रकार के जीवियों का अपने आस-पास के सजीव और निर्जीव घटकों के साथ एकीकरण का विवरण करता है। जैवमंडल में परितंत्र अथवा परिस्थितिक संतुलन के बिना पौधों, प्राणियों और सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवियों का अकेले या समूह में अस्तित्व की कल्पना करना संभव नहीं है।

प्रत्येक प्राणी अपने भौतिक पर्यावरण के साथ मिलजुल कर रहता है।

पर्यावरण : सभी प्रकार के जीवियों, जैविक वस्तुओं और उनके आस-पास के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। यह सभी प्रकार के जीवों के अस्तित्व और अभिवृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है। पर्यावरण दो प्रकार का होता है।

- 1) प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण
- 2) साँस्कृतिक अथवा मानव निर्मित पर्यावरण

पर्यावरण प्रदूषण: हमारे आस पास के वातावरण को मानव क्रियाओं द्वारा प्रतिकूल रूप से बदलना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। मनुष्य और प्राणियों सभी पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

पर्यावरण प्रदूषण आज जैवमंडल के सामने खड़ी कई गंभीर समस्याओं में से एक है। और इसका कारण है-(अधिक) जनसंख्या विस्फोट अधिक कारखानों का स्थापित करना, नागरीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, वाहनों का आवश्यकता से अधिक उपयोग करना, इत्यादि। इसका प्रभाव सभी प्राणियों, पौधों और मानव जीवन पर पड़ता है।

प्रदूषण फैलाने वाली सभी वस्तुओं को प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक दो तरह के होते हैं- प्राकृतिक और मानव निर्मित। मानव निर्मित प्रदूषक प्राकृतिक प्रदूषकों से कहीं ज्यादा हानिकारक होता है। धुआँ, विषैली वायु, धूल, कचड़ा, गंदी नालियाँ इत्यादि गोचर (दृश्य) प्रदूषक हैं। खाद्य पदार्थों, पानी और मिट्टी में मिले हुए रासायनिक पदार्थ और हानिकारक बैक्टीरिया अगोचर (अदृश्य) प्रदूषक हैं।

प्रदूषण के प्रकार :

पर्यावरण प्रदूषण विभिन्न प्रकार का होता है। प्रदूषकों और प्रदूषण के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है, वे हैं-

1. वायु प्रदूषण :

- a) **प्राकृतिक कारण:** ज्वालामुखी, जंगलों में लगने वाली आग, बाह्याकाश की धूल इत्यादि।
- b) **मानव निर्मित कारण :** कारखानों, घरों, वाहनों, खनन, अणु शक्ति केंद्रों, अणु विस्फोट इत्यादि से निकलने वाला धुआँ।

उनमें मुख्य प्रदूषक हैं - कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साईड, नाइट्रोजन आक्साइड क्लोरो-फ्लोरो कार्बन (CFC), हाइड्रोकार्बनस इत्यादि।

इसके मुख्य परिणाम हैं मौसम में बदलाव, ओज़ोन परत का क्षीण होना, ग्रीन हाउस प्रभाव भूमंडल के तापमान में वृद्धि, मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा परिणाम, साँस लेने में तकलीफ, पौधों और प्राणियों के जीवन पर पड़ने वाला बुरा परिणाम आदि।

वायु प्रदूषण से बचने के उपाय प्रदूषक गैसों पर नियंत्रण करना, वाहनों से निकलने वाले धुएँ पर नियंत्रण करना, ज्यादा पेड़-पौधे उगाना (लगाना), असंप्रदायिक शक्ति संसाधनों का उपयोग करना, लोगों को शिक्षित और साक्षर बनाना।

2. जल प्रदूषण

जल प्रदूषण का मतलब है ज़पानी के भौतिक, रासायनिक और जैविक लक्षणों मे ऐसे बदलाव आना जिसका मानवीय और जलीय जीवन पर दुष्परिणाम हों।

जल प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं।

प्राकृतिक कारण: भूक्षरण, भूखलन, ज्वालामुखी स्फोट, पौधों और प्राणियों के मृत देहों का अपघटन (सड़ना)। **मानवनिर्मित कारण :** कारखानों से नदियों में छोड़े जाने वाले हानिकारक अवशेष, नगरों से, घरों से, कृषि-कार्यों से निकलने वाला कूड़ा-कचरा, शक्ति केंद्रों से निकलने वाले अवशेष, तेल गिर जाना, अणु शक्ति केंद्रों से निकलने वाले त्याज्य पदार्थ, इत्यादि। जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार का होता है। समुद्र और महासागरों का प्रदूषण, अंतर्जल प्रदूषण, नदियों के पानी का प्रदूषण, झील अथवा सरोवर के पानी का प्रदूषण।

जल प्रदूषण के मुख्य परिणाम है: पानी से फैलने वाली बीमारियाँ और संक्रामक रोग (महामारी)। जैसे- हैजा (cholera), टाइफाइड, पीलिया (joundice) दस्त (अतिसार- / diarrhoea), क्षय रोग इत्यादि। जलीय जीवन का नाश, सिंचाई के लिए प्रदूषित पानी का उपयोग करने से फसल पर दुष्परिणाम अदि।

जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय: कारखानों से निकलने वाले विषैले अवशेषों को पानी में छोड़ने से पहले संसाधित करना, पीने के पानी के स्रोत को स्वच्छ रखना, गंदी नालियों के पानी को संसाधित करना, नदी-नालों में कूड़ा-कचरा डालने पर रोक लगाना।

3. मिट्टी का प्रदूषण : (भू-प्रदूषण)

प्राकृतिक अथवा मानव - निर्मित अथवा दोनों कारणों से मिट्टी के गुण-लक्षणों और उर्वरकता के कम हो जाने को मिट्टी का प्रदूषण कहते हैं। मिट्टी के अपरदन की तीव्रता से वनस्पति पोषक आहार की कमी भू-क्षरण को बढ़ जाना, भूमि की उर्वरता कम हो जाना भूमि में उपस्थित सूक्ष्म जीव और पोषक तत्वों का कम हो जाना इत्यादि परिणाम होते है।

इसके कारण है: कारखानों से, खनन से घरों से, नगरों से, कृषि-कार्यों से, अणु शक्ति केंद्रों, इत्यादि से निकलने वाला कूड़ा-कचरा।

इसके परिणाम हैं: भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता हैं, भूमि का वह भाग बंजर हो जाता है। मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कम हो जाते हैं।

भू-प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय: रासायनिक खादों और कीटनाशकों का

विवेकपूर्ण और कम उपयोग, कारखानों और नगरों से निकलने वाले त्याज्य पदार्थों को संसाधित करके निष्कासित करना। फसलों को सही तरीके से उगाना और भूमि का सही उपयोग करना, भूमि के सही उपयोग और संरक्षण के बारे में लोगों को जागृत करने के लिए कार्य क्रमों का आयोजन करना। भूक्षरण पर नियंत्रण करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ों का लगाना।

4. ध्वनि प्रदूषण

स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम डालने वाले अनावश्यक ध्वनि का वायुमंडल में मिल जाना ध्वनि प्रदूषण है।

ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं

प्राकृतिक कारण: बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना, तूफान (चक्रवात), ज़ोर की बारिश, झरनों का शब्द, समुन्द्र की लहरें, ओला-वृष्टि, इत्यादि। मानव निर्मित कारण हैं - उद्योगों की ध्वनि, वाहनों की ध्वनि, विमानों की ध्वनि, खदानों की सुहाई, नगर प्रदेशों की ध्वनि आदि।

ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख परिणाम हैं: तात्कालिक अथवा शाश्वत श्रवण समस्या, सिर दर्द, हृदय-सम्बन्धी रोग, मानसिक समस्या, थकान, अधीरता, व्यावहारिक बदलाव, नींद से संबंधित समस्याएँ, एकाग्रता की कमी, इत्यादि।

ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करने के उपाय: कारखानों को आवास स्थानों से दूर स्थापित करना कारखानों में शब्द निरोधक दीवारों का निर्माण करना सैरन, गाडियों के हार्न और लाडड-स्पीकरों के अनावश्यक उपयोग पर रोक लगाना, नागरों (आवास स्थानों) से दूर हवाई-अड्डों का निर्माण करना, कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों को शब्द नियंत्रक उपकरण उपलब्ध करना, अधिक ध्वनि निकालने वाले वाहनों की जाँच करना।

भूमंडलीय तापमान में वृद्धि (विश्वव्यापी तापमान वृद्धि)

पृथ्वी का तापमान पिछले कई वर्षों से धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में वायुमंडल का तापमान भी बढ़ रहा है। इसे भूमंडलीय तापमान वृद्धि कहते हैं। वायुमंडल का ताप ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण बढ़ता है। इससे विश्व का तापमान बढ़ता जा रहा है, जलवायु के मंडल बढ़ल रहे हैं हिम नदियाँ पिघल रही हैं, समुद्र में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, हिमालय पर्वतों, आर्कटिक और अंटार्कटिक प्रदेशों की बर्क भी पिछल रही है।

ग्रीन हाउस प्रभाव

भूमि सूर्य से विकिरण के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है। इसी तरह भूमि से भी विकिरणों बाहर निकलती हैं। इसी प्रक्रिया से भूमि पर सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा और बाहर छोड़ी जाने वाली ऊर्जा के बीच संतुलन बना रहता है। जैविक इंधनों के अधिक उपयोग से वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों निरंतर बढ़ती जा रही हैं। कार्बन डाईऑक्साइड और बाकी ग्रीन हाउस गैसों भूमि से निकलने वाली विकिरणों (ऊर्जा) को सोख लेती हैं। इसलिए वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने की वजह से तापमान भी बढ़ रहा है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं।

ओज़ोन परत का रिक्तीकरण (क्षीण होना): ओज़ोन वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रा-वाइलेट विकिरणों को सोख लेती है और भूमि पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों की रक्षा करती है। पिछले कुछ वर्षों में मानव द्वारा वातानुकूलन यंत्र, रेफ्रिजरेटर, सुगंधित द्रव्य, इत्यादि के उपयोग से निकलने वाले कृत्रिम रसायन विशेषकर क्लोरो-फ्लोरो कार्बन (CFC) वायुमंडल में फैलकर ओज़ोन परत को नष्ट कर रहे हैं। विश्व में सबसे अधिक ओज़ोन रिक्तीकरण अंटार्कटिक प्रदेश में पाया गया है। ओज़ोन रिक्तीकरण की वजह से ओज़ोन परत में छेद हो गया है। आज की और भविष्य की पीढ़ी के सुरक्षित जीवन के लिए ओज़ोन रिक्तीकरण को रोकना बहुत जरूरी है।

अम्ल वर्षा: बारिश के पानी में जब सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बन मोनॉक्साइड जैसे अम्ल बढ़ जाते हैं, उसे “अम्ल वर्षा” कहते हैं। ऐसा तब होता है जब बारिश की बूंदें प्रदूषित वातावरण से गुजरती हैं। विषैले अम्लों वाली यह वर्षा जलीय जीवों को मार देती है। अम्ल वृष्टि जंगलों, फसलों, ऐतिहासिक इमारतों, स्मारकों, इत्यादि को हानि पहुंचाती है।

अम्ल वर्षा का सरोवर नाशक (लोक किल्लर) भी कहते हैं। पोलैंड, चेक गणराज्य और दक्षिण-पूर्वी जर्मनी विश्व में सबसे अधिक अम्ल-वर्षा के परिणामों से प्रभावित प्रदेश हैं, इसलिए इन्हें ‘काल त्रिभुज’ कहते हैं।

जैव-विविधता: एक भू-भाग में पाए जाने वाले विविध प्रकार के वनस्पतियों और जीव-जन्तुओं को वहाँ की जैव-विविधता कहते हैं। किसी प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव-जन्तु, वहाँ की जैव-विविधता की सम्पन्नता को दर्शाते हैं। जैव-विविधता को बनाए रखना बहुत आवश्यक है ना केवल पर्यावरण की गुणवत्ता को बचाने के लिए बल्कि मनुष्य के अस्तित्व के लिए भी।

दुर्लभ पौधों और प्राणियों को बचाने के लिए जैव-विविधता का संरक्षण बहुत आवश्यक है। इन जीवियों के जीवन के लिए आवश्यक अच्छे पर्यावरण को उपलब्ध कराना ही उनकी सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका है। पृथ्वी सौर परिवार का एकमात्र ग्रह है, जहाँ जीवन संभव है। जिस तरह पृथ्वी पर बदलाव, अशांति और खतरा पैदा हो रहा है, ये भविष्य में पृथ्वी पर जीवन के स्वरूप को नष्ट कर सकती है।

अपने मातृ ग्रह-पृथ्वी की रक्षा करने के लिए हमें लोगों को शिक्षित करना चाहिए, उनमें जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रमों की रचना करनी चाहिए, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना-चाहिए। लोगों में पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के प्रति जागरूकता लाने के लिए उचित शिक्षा, निबंध संग्रह, विचार गोष्ठी, संवाद, व्यंग्य रचना, चलनचित्र, सम्मेलन इत्यादि का आयोजन करना हमारी ज़मातृभूमि-पृथ्वी के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है।



“पृथ्वी की रक्षा करो’ ‘मातृ ग्रह को बचाओ”

अभ्यास

I. नीचे दिए-गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए:

1. जीवमंडल क्या है?
2. परिस्थिति विज्ञान की परिभाषा लिखिए।

3. विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण के नाम लिखिए।
4. जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए।
5. जैव-विविधता क्या है ?

II. इनकी परिभाषा लिखिए :

1. जीवमंडल
2. परिस्थितिक असंतुलन
3. विश्वव्यापी (भूमंडलीय) तापमान वृद्धि
4. ग्रीन हाउस प्रभाव
5. ओज़ोन रिक्तीकरण
6. अम्ल वर्षा

III. याद रखें-

1. प्रदूषण
2. पर्यावरण दिवस
3. जलवायु परिवर्तन
4. क्लोरो-फ्लोरो कार्बन (CFC)
5. पृथ्वी समय और पृथ्वी दिवस
6. पृथ्वी की रक्षा करो

IV. क्रियाकलाप :

1. विश्वव्यापी तापमान वृद्धि के परिणामों के बारे में जानकारी हासिल कीजिए और उसके नियंत्रण के लिए उपाय सुझाए।



अध्याय - 3

राष्ट्रीय आय तथा भारत की अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्र

इस अध्याय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होगी-

- राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की परिकल्पनाएँ।
- विविध क्षेत्रों से भारत की अर्थव्यवस्था की अभिवृद्धि का विवरण।
- भारत में छोटे हथ-करघा (कुटीर) उद्योगों का महत्व
- कृषि संबंधी समस्या का कारण और निराकरण के सोपान

राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय-

हम सब आमदनी के लिए ही कार्य करते हैं। हमारी आय हमारे अमीर या गरीब होने का प्रतीक होती है। यह पूरे देश के लिए भी लागू होता है। राष्ट्र की आय अधिक हो तो, राष्ट्र की समृद्धि तथा राष्ट्र की आय कम हो तो वह गरीबी से युक्त राष्ट्र होता है। कुछ राष्ट्र गरीबी से क्यों परेशान है? (उदा: कीन्या) तथा कुछ राष्ट्र समृद्ध या अमीर कैसे है? (उदा: अमेरिका) ऐसा विचार आपने किया होगा। इसी प्रकार कुछ राष्ट्र तेजी से विकसित हो रहे हैं (उदा: चीन) तथा कुछ धीमी गति से विकासरत हैं (उदा: अफ्रीका के राष्ट्र)। अफ्रीका के राष्ट्रों में विपुल मात्रा में प्राकृतिक संसाधन होने पर भी वे कम अभिवृद्ध हैं। इस कारण अभिवृद्धि का स्तर केवल प्राकृतिक संसाधन पर अवलंबित नहीं है बल्कि उन से उपयोगी सामग्री तथा सेवाएँ उत्पादित कर आय और संपत्ति किस प्रकार उत्पन्न होती है, यह प्रमुख निर्णय है।

राष्ट्रीय आय एक राष्ट्र में उत्पन्न सामग्रियों तथा सेवाओं से प्राप्त मूल्य का प्रतीक है। साइमन कुजनेट्स के अनुसार “राष्ट्रीय आय एक वर्ष की अवधि में राष्ट्र के उत्पादन द्वार उपभोक्ताओं तक पहुँचने वाली अंतिम सामग्री तथा सेवाओं का कुल उत्पन्न है।”

अंतिम रूप से आय को उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए जाने के कारण एक वर्ष की आर्थिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह सभी व्यक्तियों को दी गयी मजदूरी, ब्याज, लगान तथा लाभ प्राप्ति है। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय आय राष्ट्र की उत्पादन व्यवस्था का स्वरूप, उपभोक्ता का स्वरूप, बचत तथा विविध क्षेत्रों में लगायी गई पूंजी ही नहीं अन्य राष्ट्रों के साथ व्यापार व्यवहार का है। साथ ही राष्ट्रीय आय की मापन व्यक्ति की आय के मापन जैसा न होकर बड़ा कठिन होता है और संकीर्ण विभागों से युक्त होता है। राष्ट्रीय आय की मात्रा तथा मूल्य विकास की दर को मापन करने पर निम्नलिखित पर ध्यान दिया जा सकता है।

- 1) आर्थिक विकास दर

- 2) जीवन स्तर में परिवर्तन
- 3) आय विभाजन में परिवर्तन

प्रति व्यक्ति आय-

एक राष्ट्र के लोगों की एक वर्ष की बराबर औसत आय उस वर्ष की प्रति व्यक्ति आय है। किंतु प्रत्येक देश में राष्ट्रीय आय का विभाजन आसमान होता है और अधिक भाग धनिक वर्ग के हिस्से में है। सामान्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त आय कुल प्रतिव्यक्ति आय से कम होती है।

भारत में राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय- भारत में केंद्रीय आंकड़ों की संस्था (CSO) राष्ट्रीय आय की कुल राशि को आंक कर प्रकट करती है। भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के विवरण को कोष्ठक में दिखाया गया है-

कोष्ठक : 1 (भारत में 1950-51 से 2014-15 राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय)

वर्ष	राष्ट्रीय आय (करोड़ों में)		प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)	
	प्रचलित दर	स्थिर दर	प्रचलित दर	स्थिर दर
1950-51	9829	269724	274	7513
1960-61	17062	411519	393	9482
1970-71	44550	596470	823	11025
1980-81	138565	795193	2041	11711
1990-91	526017	1342031	6270	15996
2000-01	1947788	2291795	19115	22491
2010-11	6942089	4657438	58534	39270
2014-15	11217079	9400266	88533	74193

* मूल: आर्थिक समीक्षा 2014-15

भारत की राष्ट्रीय आय 1950-51 में 2,69,724 करोड़ रुपयों से 2014-15 तक 94,00,266 करोड़ रुपये (2011-12 स्थिर दर) बढ़ गयी है। अर्थात् 60 वर्ष की अवधि में 34 गुना बढ़ोत्तरी को यह प्रदर्शित करता है। तात्पर्य है कि इस अवधि में अभिवृद्धि एक समान या निरंतर नहीं रही। प्रति व्यक्ति आय भी इसी अवधि में 7,513 रुपयों से 74,193 रुपये अर्थात् 10 गुना बढ़ी है।

भारत की अर्थव्यवस्था संबंधी सार्वभौमिक बैंक मूल्यांकन:

- 1) भारत की राष्ट्रीय आय 2014 में \$ 2 ट्रिलियन की सीमा पार कर चुका है। प्रथम (एक) ट्रिलियन तक पहुँचने में 60 वर्ष लगाने वाला भारत दूसरे ट्रिलियन आय को सिर्फ सात (7) वर्षों में प्राप्त कर चुका है। \$ 2.6 ट्रिलियन की भारतीय अर्थ व्यवस्था इस शाताब्दी के प्रारंभ में 4 गुना बढ़ोत्तरी कर चुकी है।
- 2) सार्वभौमिक आंकड़ों के अनुसार 2014 में भारत की प्रति व्यक्ति आय \$ 1.610 में (लगभग 1 लाख) बढ़ गयी है। भारत ने अपने निम्न मध्यम आय की स्तर से उच्च मध्यम आय स्तर पर आने के लिए एक दशक से भी अधिक समय लिया है।
- 3) 2014 में भारत के अभिवृद्धि दर का प्रतिशत 7.4 था जो चीन के अतिरिक्त तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है।

भारत के क्षेत्र (विभाग) के अनुसार आय अभिवृद्धि तथा उनका हिस्सा-

किसी भी अर्थ व्यवस्था में उपभोक्ताओं के लिए विविध सामग्री तथा सेवाओं की आवश्यकता होती है, इससे यह विविध कार्यों का आयोजन करती है। इन विविध कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाला कच्चा माल (सामान) तथा उत्पादन के उद्देश को अधार पर इन्हें विभक्त किया जाता है। खाद्य सामग्री, अनाज, सब्दियाँ, फल, दूध, मछली, आदि प्रमुख सुप से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होती है तथा इन्हें सीधे उपयोग किया जाता है। इन सामग्रियों के स्वरूप विशाल होने पर भी इन्हें सरलता से संग्रह कर रखा नहीं जा सकता।

अन्य कई सामग्रियाँ भी उत्पादित की जाती है। अर्थात् कच्चे माल के लिए अधिक उपयोगी तथा संग्रह किए जाने के लिए इन्हें परिवर्तित किया जाता है। अर्थात् कपास को वस्त्र रूप में, लोहे को खनिज में, इस्पात रूप में लकड़ी को उपकरण रूप में, चूने को सीमेंट रूप में आदि में परिवर्तित किया जाता है। ऐसी उत्पादित वस्तुएँ दीर्घ काल तक संरक्षित ही नहीं सरलता से यातायाथ (लेजाने-ले आने) की जा सकती हैं।

इसी प्रकार विविध लोगों द्वारा प्रदान सेवाएँ आवश्यक हैं। इन सेवाओं का संग्रह नहीं किया जा सकता इससे इन्हें प्राप्त या उपलब्ध समय में ही इनका उपयोग किया जाता है। इस कारण ये अधिक मूल्यवान हैं। शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण, चिकित्सकों द्वारा उपचार, चालक द्वारा यातायात (परिवहन), बैंको से धन, मोबैल सेवा प्रदान करने वालों से सम्पर्क आदि को उत्पन्न या उपलब्ध समय पर ही उपयोग किया जाता है। सेवाओं का स्तर कृषि तथा उत्पादन कार्यों वाले कच्चे माल पर अवलम्बित न होकर उपलब्ध कराने वालों की कुशलता पर अवलम्बित है।

उपरोक्त विविध कार्यों को तीन क्षेत्रों अर्थात् प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र के रूप में विभक्त किया जाता है। संक्षेप में इनकी चर्चा की गई है-

प्राथमिक क्षेत्र- प्राथमिक क्षेत्र प्रकृति आधारित कार्यों अर्थात् कृषि, रेशमकृषि, बागानि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्यपालन, पुष्प कृषि आदि कृषि संबंधी क्रिया कार्यों से संबंधित है। महत्व- प्राथमिक क्षेत्र के कृषि प्रधान कार्य- राष्ट्रीय आय में अधिक भाग (हिस्सा) रखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका तथा महत्व संबंधी विषयों पर नजर डालेंगे। आज भी कृषि हमारे राष्ट्र की रीढ़ कहलाती है। यह अत्यधिक लोगों को उद्योग प्रदान करती है। निरंतर बढ़ रही जनसंख्या को खास उपलब्ध कराती है। कई उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है तथा सेवाओं की अभिवृद्धि के लिए यह बड़ी देन है।

द्वितीय क्षेत्र- द्वितीय क्षेत्र को उत्पादन क्षेत्र भी कहा जाता है। यह कच्चे माल को तैयार माल के रूप में परिवर्तित करता है। द्वितीय क्षेत्र भवन निर्माण तथा विद्युत शक्ति उत्पादन सहित सभी उद्योग धंधों का है। साथ ही यह कार्यों का प्रभावशाली और महत्वपूर्ण अंग है।

औद्योगिक क्षेत्रों का महत्व - औद्योगिक क्षेत्रों का महत्व स्वतंत्रता के बाद अधिक बढ़ा। यह राष्ट्रीय आय का एक तिहाई भाग प्रदान करता है। यह मूलभूत सुविधाओं यातायात ईंधन तथा संपर्क को दृढ़ करता है। और इन उद्योगों द्वारा हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली कई सामग्रियों की काफी मात्रा में प्राप्ति होती है।


तृतीय क्षेत्र - तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र भी कहलाता है। यह क्षेत्र भारत सहित विश्व में तेजी से बढ़ रहा है। आपने आस-पास स्थित दुकाने, दूरसंचार सेवाएँ, शैक्षिक संस्थाएँ, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, होटल, रेस्टोरेंट, धन तथा बैंक संस्थाएँ, प्रशिक्षण तथा सलाह कार्य और सामाजिक सेवा संस्थाएँ आदि देखकर आपको आश्चर्य हो सकता है। ये सभी सेवाएँ आपके जीवन को अधिक आरामदायक तथा मूल्यवान बनाने का प्रयास करती है।

भारत की राष्ट्रीय आय को अत्यधिक देन सेवा क्षेत्र (लगभग 59 प्रतिशत) प्रदान करता है। 28 प्रतिशत औद्योगिक सेवाएँ हैं। ये क्षेत्र विदेशी पूंजी को अकर्षित करने तथा निर्यात द्वारा धनप्राप्ति में अग्रणी है। भारत लगभग 5 लाख करोड रुपयों की निर्यात राशी (आय) प्राप्त करता है।

राष्ट्रीय आय में विविध क्षेत्रों का योगदान और अभिवृद्धि दर-

कालांतर में विविध आर्थिक क्षेत्रों के योगदान में काफ़ि परिवर्तन हुआ है। 1951 से 2013 में हमारी राष्ट्रीय आय में विविध क्षेत्रों के योगदान को निम्नलिखित चित्र में देखा जा सकता है-

भारत के समग्र आंतरिक उत्पाद में क्षेत्र के अनुसार भागों से परिवर्तन-



चित्र में प्राथमिक क्षेत्र का महत्व घट कर तृतीय क्षेत्र के महत्व में वृद्धि को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है।

औद्योगिक कार्यों का भी विस्तार हुआ है। क्षेत्रों की आय के विकास दर को निम्नलिखित कोष्ठक में दिया गया है-

कोष्ठक : क्षेत्रों के अनुसार राष्ट्रीय आय की औसत विकास दर

अवधि	कृषि	उद्योग धंधे	सेवाएँ	राष्ट्रीय आय
1951-1965	3.13	6.61	4.58	4.09
1966-1980	2.55	3.90	4.33	3.41
1981-1995	4.21	5.44	6.37	5.26
1996-2013	3.23	7.10	8.61	7.01
1951-2013	3.00	5.14	6.13	4.97

मूल: योजना आयोग के आंकड़ों से हिसाब लगाया गया है। सेवा क्षेत्र का विकास अधिक है तो कृषि की विकास दर अत्यंत कम है। विशेष रूप से 1990 के बाद सेवा क्षेत्रों के विकास हुए जो आर्थिक विकास के प्रमुख कारण के रूप में सामने आया। औद्योगिक विकास में कई कारणों से बढोत्तरी एवं घटत देखी गई। कृषि का भाग घट गया और इसकी विकास दर कम होने के कारण भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की समस्या गंभीर हो गई।

छोटे उद्योगों का महत्व तथा समस्याएँ-औद्योगिक

अभिवृद्धि अर्थव्यवस्था की शीघ्र अभिवृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसी भी स्थान में, सरल तकनीकी द्वारा कम संख्या में लोगों को उद्योग प्रदान करने (देने), स्थानीय बाजार को ध्यान में रखकर उत्पादन में जुटने के लिए छोटे उद्योग कुल औद्योगिक अभिवृद्धि में बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। छोटे तथा मध्यम उद्योगों का बखान उनके यंत्र उपकरण में लगयी गयी मात्रा करती है। 2006 में अत्यंत छोटे तथा मध्यम आकार के औद्योगिक विकास (अभिवृद्धि) नियम दिए गए हैं। जिसका विवरण निम्नलिखित है। (MSMED)

उद्योग	उत्पादन क्षेत्र	सेवा क्षेत्र
	यंत्र उपकरण में लागत	उपकरणों में लागत
अत्यंत छोटे उद्योग	रु. 2.5 लाख तक	रु. 10 लाख तक
छोटे उद्योग	रु. 25 लाख से रु. 5 करोड	रु. 10 लाख से रु. 2 करोड
मध्यम उद्योग	रु. 5 करोड से रु. 10 करोड	रु. 2 करोड से रु. 5 करोड

छोटे उद्योगों का महत्व- छोटे उद्योग धन्धों के कार्यों को बढ़ाना आर्थिक प्रगति तथा राष्ट्रीय अभिवृद्धि करना अनिवार्य है जिसे इन निम्नांकित अंशों से जाना जा सकता है।-

- 1) उद्योगों की सृष्टि - छोटे उद्योग धन्धे स्वरूप में श्रम आधारित होते हैं। जो काफी मात्रा में उद्योगों की सृष्टि करते हैं।
- 2) संसाधनों और औद्योगिक कुशलता का समेकन - छोटे उद्योग, ग्रामीण तथा अर्ध नगरीय प्रदेशों से बड़ी मात्रा में बचत तथा औद्योगिक कुशलता का उपयोग करने में सफल रहे हैं। छोटे उद्योग वाले लोग सुप्त तथा अपेक्षित प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं।
- 3) आय का समान वितरण- छोटे उद्योग धन्धे संपत्ति, आय तथा राजनैतिक शक्ति का अधिकतर समान पुनर्विभाजन करने में सहायक है।
- 4) उद्योग धन्धों का प्रादेशिक विस्तार - कुछ नगरों में उद्योग धन्धों के केंद्रीकरण - अत्यधिक जनधनत्व, प्रदूषण, गन्दगी क्षेत्रों का उद्गम आदि का कारण बनते हैं। राष्ट्र में सभी प्रदेशों में फैले कौशलयुक्त छोटे उद्योग धन्धे इन समस्याओं को कुछ हद तक सुधार कर प्रादेशिक विकास को प्रोत्साहन दे रहे हैं।
- 5) तकनीकी अभिवृद्धि- छोटे उद्योग धन्धे आविष्कारों का सृजन कर उसे प्रयोग करने की अत्यधिक क्षमता रखते हैं। छोटे उद्योगपति नवीन आविष्कारों तथा वस्तुओं को वाणिज्यिक बना कर महत्वपूर्ण स्थान पा रहे हैं। तकनीकी ज्ञान के स्थानांतरण के लिए भी यह अत्यंत उचित है।
- 6) निर्यात को प्रोत्साहन - निर्यात की बढ़त की बढ़त तथा अत्यधिक विदेशी विनिमय के लिए छोटे उद्योग धन्धों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के निर्यात में इनका स्थान 40 प्रतिशत है।

भारत में छोटे उद्योग धन्धे-

अत्यंत छोटे, छोटे तथा मध्यम उद्योग धन्धे (MSME), विभाग की वार्षिक रपट के अनुसार 2013-14 में भारत में 488.56 लाख उद्योग धन्धे कार्य निरत हैं और उनमें 13,63,700 करोड रुपए कुल लागत के साथ 11.14 करोड लोगों को उद्योग उपलब्ध कराता है। उसी वर्ष यह राष्ट्रीय आय का 7.8 प्रतिशत भाग था। ये औद्योगिक क्षेत्र का कुल उत्पाद के मूल्य का 35 प्रतिशत, कुल औद्योगिक क्षेत्र का 80 प्रतिशत भाग तथा राष्ट्र के कुल निर्यात में 40 प्रतिशत युक्त है।

छोटे उद्योग धन्धों की समस्याएँ -

राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था में छोटे उद्योग धन्धों का महत्व प्रशंसनीय है। ये कई समस्याओं का सामना कर रही है। जो निम्नांकित हैं -

- 1) कच्चे माल की अप्राप्ति (प्राप्त न होना) - भारत में छोटे उद्योग धन्धों के क्षेत्र कच्चे माल की आवश्यकता, खुले भागों तथा उपकरण की कमी से जूझ रहे हैं।
- 2) धन संबंधी समस्या - छोटे उद्योग धन्धे काफी मात्रा में अपनी लागत नहीं रखते तथा उनके कर्ज लेने की क्षमता भी कम है।
- 3) कम तकनीकी कुशलता- ये उद्योग धन्धे तकनीकी कुशलता तथा निर्वाह क्षमता में असमर्थ हैं। सुधारित तकनीकी ज्ञान पाने और उपयोग करने की उनकी क्षमता भी कम है।
- 4) बाजार संबंधी समस्याएँ - छोटे उत्पादकों को बड़े उत्पादकों के समान संघटित व्यापार तथा आक्रमणकारी विज्ञापनों में लगे रहना संभव नहीं है। वे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बाजार अनुसंधान (खोज) अपनाने की स्थिति में भी नहीं है। इसी प्रकार ये बाजार संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
- 5) बृहत् उद्योगों की होड - कई संदर्भों में, बृहत् उद्योग धन्धे छोटे उद्योगों को नुकसान पहुंचाने में आक्रमणकारी व्यापार या कच्चे माल खरीदने में छोटे उद्योग धन्धों को असहाय बनाते हैं।

इसके साथ साथ सरकार ने कई योजनाएँ बनाई हैं जैसे - स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा बैंक, आदि से छोटे उद्योग धन्धों को सहायता पहुँचा रही है।

कृषि समस्या - कारण और निराकरण योजनाएँ -

हमने अब तक भारत की अर्थ व्यवस्था में कृषि के महत्व को जाना है। जीवनयापन के लिए अधिक संख्या में लोग इस पर अवलंबित है। यह इस क्षेत्र की उत्तम उपलब्धि की आवश्यकता को प्रतिबिंबित करता है। किंतु कृषि भी गंभीर समस्या का सामना कर रही है। ग्रामीण लोग स्थानांतरित होते हैं तथा आत्महत्या की संख्या बढ़ रही है। यह इन समस्याओं का विकराल रूप है। कृषि के इस समस्या के कारण तथा निराकरण को संक्षेप में जानेंगे-

कृषि समस्या के कारण - कई अंश इन कृषि संबंधी समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। इनमें प्रमुख ये हैं-

- 1) **छोटे आकार की भूमि पर खेती का अधिकार (स्वामित्व)**- स्वामित्व या अधिकार से तात्पर्य परिवार द्वारा की जा रही खेती के भूमि क्षेत्र से है। कृषि पर निर्भर जनसंख्या के बढ़ने से, स्वामित्व छोटे-छोटे भागों में बँट गया है। 2011-12 की कृषि गणना के अनुसार छोटे (1 से 2 हेक्टेयर) तथा छोरे पर (1 हेक्टेयर से कम) भूमि स्वामित्व कुल स्वामित्व का 85 प्रतिशत है। इस के अनुसार 2011-12 में स्वामित्व की औसतन मात्रा केवल 1.16 हेक्टेयर थी। इतने छोटे आकार की भूमि पर किसी भी प्रकार की अभिवृद्धि नहीं की जा सकती। ये आधुनिक उत्पादन पद्धति को अपनाने के लिए भी समर्थ नहीं होते। फलस्वरूप उत्पादन कम होता है और कृषक गरीब हो रहे हैं।
- 2) **अधिक जनसंख्या का दबाव** - अत्यधिक जनसंख्या का मजदूरी करना छोटी भूमि पर कार्य करने से प्रति व्यक्ति उत्पाद तथा आय अत्यंत कम है। कई छोटे तथा अत्यंत छोटे किसान कृषक मजदूर के रूप में कम मजदूरी में काम कर रहे हैं।
- 3) **वर्षा आधारित कृषि तथा बार-बार अकाल पडना**- भारत की कृषि वर्षा पर आधारित (निर्भर) है। यह अनिश्चित, अनियमित तथा अपूर्ण है। कृषि भूमि का 30 प्रतिशत (143 दस लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि में 43 दस लाख हेक्टेयर मात्र) मात्र सिंचाई की सुविधा वाला है। शेष भूमि वर्षा पर ही अवलंबित है। भारत की कृषि “मानसून के साथ जुआ खेलना” मानी जाती है। सिंचाई की कमी और जब-तब पडने वाले अकाल के कारण कृषक जीवन निम्न स्तर का है।
- 4) **हरित क्रांति का आंशिक प्रभाव**- हरित क्रांति सिंचाई सुविधा उपलब्ध प्रदेशों में, चावल तथा गेहूँ उत्पादकों के लिए मात्र उपयोगी है। शुष्क प्रदेशों में यह कृषि के लिए कुछ विशेष सुविधा नहीं उपलब्ध कराता है। हरित क्रांति का तकनीकी ज्ञान महंगा होने के कारण छोटे तथा अत्यंत छोटे किसानों के लिए उपयोग करना असंभव है। इस प्रकार काफी किसान गरीब तथा पिछड़े रह जाते हैं।
- 5) **सिंचाई तथा अन्य मूलभूत सुविधा की दृष्टि से सार्वजनिक अधिकारों का हनन**- कृषि में सार्वजनिक अधिकार कम हो गए हैं इससे कृषि के विकास में क्रमशः उत्तरोत्तर कमी आ गई है। विशेषकर, सिंचाई में कम हो रहे स्वामित्व (अधिकार) कृषि के विकास को दुर्बल बना चुके हैं।
- 6) **संस्थाओं द्वारा काफी कर्ज का न मिलना** - बैंकों तथा सहकारी संघों जैसे औपचारिक स्रोतों से कृषि क्षेत्र को कर्ज की आपूर्ति काफी मात्रा में नहीं होती। इससे किसान अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेने के लिए जाते हैं, जहाँ अधिक ब्याज दर देते हैं। इस प्रकार कृषि का लाभदायक पक्ष और भी कम हो गया है।

7) **लाभदायक दाम प्राप्त करने में असमर्थ** - कृषि सामग्रियों को बेचना भी कुछ संस्था से बाधित है। कृषि सामग्रियों को उत्तम दाम नहीं मिलता, दाम प्राप्त करना भी सही समय पर नहीं हो पाता तथा निश्चित दाम पाने में कई प्रकार की कटौती हो जाती है। इससे कृषकों को प्राप्त होने वाला प्रतिफल अत्यंत कम होता है। सरकार की सहयोग दाम नीति ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है।

इसी प्रकार कृषि में आय, उपज (उत्पाद), दाम (मूल्य), तकनीकी ज्ञान और कर्ज संबंधी कई समस्याएँ होने के कारण कृषि का आकर्षण कम हो रहा है और धीरे-धीरे इसे सभी छोड़ रहे हैं।

कृषि की समस्या का निराकरण - कृषि की समस्या ही उसके निराकरण को सूचित करती है। उनमें प्रमुख है-

- 1) सरकार की लागत बढ़ाना- अकाल को रोकने, सिंचाई, बीजों का छिडकाव में संशोधन, कम जल के उपयोग वाली नवीन खेती पद्धति तथा भूमि की उर्वरकता का संरक्षण, समर्थ अनाज उत्पादन पद्धति संबंधी विषयों का किसानों को प्रशिक्षण तथा विस्तार कार्य में सरकार द्वारा लागत लगाते की शीघ्र आवश्यकता है।
- 2) कर्ज सुविधा का विस्तार - छोटे तथा अत्यंत छोटे किसानों को बैंक, अन्य धन संबंधी संस्था से उचित कर्ज देने की व्यवस्था का होना आवश्यक है। कर्ज देने का तरीका सरल तथा कृषक स्नेही हो।
- 3) बाजार में सुधार - कृषकों के उत्पाद पर लाभदायक मूल्य मिलने का भरोसा/विश्वास होना चाहिए। इस उद्देश्य से बाजारों तथा बेचने की सुविधा को दृढ़ करना अनिवार्य है।
- 4) उत्पाद बीमा - सभी प्रकार के खतरों से कृषकों को होने वाले नुकसान की भरपाई तथा सुधार करने के लिए बीमा नीति की आवश्यकता है। इसी प्रकार बीमा की खर्च के साथ साथ अनुकूल कार्य विधान और तरीकों का निम्नतम होना अनिवार्य है।
- 5) सलाह तथा नैतिक समर्थन (प्रोत्साहन)- हताश कृषकों को नैतिक प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण प्रदेशों में सलाह केंद्रों की स्थापना आवश्यक है। इसके द्वारा किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या को रोका जा सकता है।
- 6) निजी लेन-देन दारों पर नियंत्रण - उपरोक्त के अतिरिक्त, कर्ज प्राप्त गरीब किसानों का शोषण कर लेन-देन का व्यवहार करने वाले कार्यों पर नियंत्रण अनिवार्य है।

अभ्यास

I. निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए-

1. प्रति व्यक्ति आय = राष्ट्रीय आय को से भाग किया जाता है।
2. भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की जिम्मेदारी लेने की संस्था..... है।
3. आज भारत की राष्ट्रीय आय में अत्यधिक भाग.....क्षेत्र का है।
4. छोटे उद्योग धन्धे..... में व्याख्यानित हैं।
5. भारत की खेती को..... के साथ जुआ खेलना कहा जाता है।
6. भारत में सिंचाई कृषि भूमि की मात्रा का खेती का क्षेत्र प्रतिशत है।

II. समूह चर्चा कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

1. राष्ट्रीय आय का विवरण दीजिए।
2. 2015 में 5 सदस्य वाले परिवार की आय 567890 रु. हो तो परिवार के सदस्य की प्रति व्यक्ति आय का हिसाब लगाइए।
3. भारत जैसे राष्ट्र में छोटे उद्योग धन्धे किस प्रकार सहायक हैं? लिखिए।
4. भारत में कृषि के अधिकार का स्तर नीचे आने का कारण क्या है?
5. भारत में कृषि समस्या का कारण क्या है?
6. भारत में कृषि समस्या के निराकरण की चर्चा कीजिए।

III. परियोजना कार्य

अपने आस पास के छोटे उद्योग-धन्धे का अवलोकन कर उसके मालिक के साथ समस्याओं के बारे में चर्चा कीजिए।

IV. क्रिया कलाप

- 1) विद्यालय में युवा संसद बनाकर, वहाँ कृषि क्षेत्र की समस्या और उसके समाधान संबंधी चर्चा कीजिए।



अध्याय - 4

सरकार और अर्थव्यवस्था

इस अध्याय में निम्नालिखित जानकारी प्राप्त होगी -

- विकास (अभिवृद्धि) में योजना का अर्थ
- भारत में योजनाओं की उपलब्धि
- उदारीकरण, निजीकरण तथा सार्वभौमीकरण की परिकल्पना
- भारत के प्रमुख विकास (अभिवृद्धि) के कार्यक्रम

राष्ट्र के आर्थिक विकास और जनकल्याण वृद्धि में सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक विकास, स्थिरता, समानता और कानून की व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में कई प्रयास सरकार ने किये हैं। इसके अतिरिक्त सरकार आर्थिक कुरीति जैसे गरीबी, बेरोजगारी, पैसों की तंगी, मूलाभूत सुविधाओं की कमी तथा असमानता को दूर करने की योजनाएँ बना रही है।

1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, तब आर्थिक स्थिति बड़ी गंभीर थी। प्रतिव्यक्ति आय नहीं थी। खाद्य उत्पादन आवश्यकता से कम था। उद्योगधन्धों की संख्या बहुत कम थी। यंत्र उपकरणों को हम दूसरे देशों से आयात करते थे। परिवहन, शक्ति, संपर्क साधन काफी मात्रा में नहीं थे। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएँ केवल कुछ लोगों को ही थी। तथा कई जगह पिछड़ापन ही था। इसकारण विकास संबंधी रूकावटों को दूर कर पिछड़ेपन का निवारण करने के लिए सरकार को निवार्य रूप से ध्यान देना था। इस परिस्थित में तत्कालीन नेताओं ने सकारात्मक ढंग से कार्यकर सहयोग देकर देश की कुल सामाजिक-आर्थिक अभिवृद्धि के लिए कई कार्यक्रमों को प्ररंभ किया। इस दिशा में प्रमुख प्रयास था-योजना बनाना।

भारत में योजनाएँ-

सभी के हित और विकास की दृष्टि से उपलब्ध संसाधनों का व्यवस्थित विनियोग करना तथा अन्य पूर्वनियोजित योजनाओं का पालन करना तथा निश्चित (निर्धारित) लक्ष्यप्राप्ति की ओर बढ़ना ही योजना है। आवश्यकता-आनिवार्यता को पहचानना, लक्ष्य निर्धारित करना, संसाधनों का संग्रह करना, संसाधनों का उपयोग करने के लिए क्रिया-योजना बनाकर उसे कार्यान्वित करवाना तथा उद्देश्यों की पूर्ति का मूल्यांकन करने वाले सभी कार्यों की प्रक्रिया “योजना विधि” कहलाती है।

इन क्रिया-कलापों को कार्यान्वित करने के लिए भारत में सन् 1950 में योजना आयोग की रचना की गई। सन् 2015 में इसके बदले में ‘नीति राष्ट्रीय आयोग’ (NITI) स्थापित किया गया। योजना आयोग ने मिश्र आर्थिक व्यवस्था के दायरे में राष्ट्र की प्रगति के लिए निर्दिष्ट दिशा

देने के लिए पंचवर्षीय योजना बनाकर उसे लागू किया। नीति आयोग अर्थ व्यवस्था को अपेक्षित लक्ष्य प्राप्ति के लिए दीर्घकालिक दूरदर्शी तकनीकों को बनाने पर बल देता है।

भारत में योजनाओं का उद्देश्य-

- 1) आर्थिक विकास में वृद्धि करना - गरीबी को कम करने के लिए राष्ट्रीय आय का विकास अत्यंत आवश्यक है, इस लक्ष्य का पालन किया गया है।
- 2) अर्थव्यवस्था को आधुनिकीकृत करना - अधिक मात्रा में सामान तथा सेवाएँ उत्पादित करने की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिकज्ञान के उपयोग को बढ़ाना ही योजना का एक अन्य उद्देश्य है।
- 3) स्वावलंबन - हम अपनी कई आवश्यकताओं की प्रमुख रूप से तकनीकी, खाद्य तथा ईंधन को अन्य राष्ट्रों से आयात कर पूर्ति रहे हैं। हमारे आंतरिक विषयों में विदेशी हस्तक्षेप को कम करने के लिए योजना निर्माण कर्ताओं ने बाह्य आयात में बचने के लिए देशी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के योजना बनायी है।
- 4) आय तथा संपत्ति संबंधी असमानता कम करना - राष्ट्र में संपत्ति के पुनर्वितरण योजना बनाने पर भी बल दिया गया। आर्थिक विकास का परिणाम गरीबों तक पहुँचे और सभी आवश्यकताओं जैसे खाद्य, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के कार्यों को अधिक महत्व दिया गया।
- 5) मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि - परिवहन (यातायात), संपर्क, शक्ति (ऊर्जा), सिंचाई, विद्यालय, अस्पताल, अनुसंधान या शोध तथा विस्तार जैसे मूल सुविधाओं को अधिक प्रधानता देकर राष्ट्र को तीव्र गति से बढ़ने में मदद की गई है।
- 6) धन संबंधी संस्थाओं में वृद्धि - विस्तृत आधार वाले धन संपत्ति की मूल सुविधाओं में अभिवृद्धि कर संसाधनों के संग्रह तथा उन संसाधनों को प्रधान क्षेत्रों में उपलब्ध कराने में धन संबंधी संस्थाओं की स्थापना की गई है। इसके द्वारा आर्थिक अभिवृद्धि में सहायक वातावरण का निर्माण किया जाता है।
- 7) संतुलित प्रादेशिक अभिवृद्धि- कई कारणों से कुछ प्रदेश अभिवृद्धि क्रम में पिछड़ गए हैं या धीरे-धीरे प्रगति कर रहे हैं। ऐसे प्रदेशों के विकास में वृद्धि कर विकसित प्रदेशों के साथ चलने की दिशा में संतुलित प्रादेशिक अभिवृद्धि के उद्देश्य को रखा गया है।
- 8) निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन - भारत के मिश्र आर्थिक दायरे में योजन विधि निजी क्षेत्रों को भी काफी अवसर प्रदान कर उसके विकास को प्रोत्साहन देती है।

अब तक भारत में ग्यारह पंचवर्षीय योजनाएँ आयोजित हुयी हैं। हाल ही में बारहवीं पंचवर्षीय योजना भी अंतिम चरण पर है। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के दायरे में ये योजनाएँ कार्यान्वित हुयी हैं। फिर भी प्रत्येक योजना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रखती है। कोष्ठक में दिए गए अंश भारत की योजना की स्थूल जानकारी प्रदान करते हैं-

कोष्ठक : भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ

पंचवर्षीय योजनाएँ	अवधि	प्रमुख उद्देश्य	लागत पूँजी (करोड़ रुपयों में)
एक	1951-1956	खाद्य उत्पादन	1,960
दो	1956-1961	उद्योग-धन्धों का विकास	4,672
तीन	1961-1966	स्वावलंबन	8,577
वार्षिक	1966-1968	खाद्य उत्पादन	6,251
चार	1969-1974	बढ़त और गरीबी निर्मूलन	6,160
पाँच	1974-1979	गरीबी निर्मूलन तथा स्वावलंबन	42,300
छः	1980-1985	गरीबी निर्मूलन तथा स्वावलंबन	1,09,953
वार्षिक	1985-1989	”	2,22,169
आठ	1990-1991	उद्योग निर्माण	७४५६७
नौ	1992-1997	विकास	4,34,100
दस	1997-2002	समग्र तथा तीव्र विकास	9,41,041
ग्यारह	2002-2007	आंतरिक विकास	15,25,639
बारह	2007-2012	आंतरिक विकास	36,44,718

पूँजी की काफी मात्रा की बढ़त को देखा जा सकता है।

भारत की योजनाओं की उपलब्धि तथा विफलता:

भारत की योजनाओं पर यदि ध्यान दिया जाए तो इसकी एक लम्बी यशोगाथा (प्रशंसनीय) होने पर भी अत्यंत गंभीर विफलता की सूची भी देखी जा सकती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा आर्थिकता का क्षेत्र है और अत्यधिक तीव्रता से विकसित होने वाली योजनाओं को लिए हुए है।

उपलब्धियाँ -

- 1) राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में बढ़त- राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के आकार और विकास दर दोनों में बढ़त हुयी है। योजना अवधि में राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़त हासिल कर चुका है। 1950-51 में 7513 रुपए होने पर प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में 74193 रुपयों (स्थिर दाय पर) में बढ़ी है।
- 2) कृषि अभिवृद्धि- 1950-51 में 51 लाख टन का खाद्य अनाज उत्पादन 1990-91 तक 176.4 दस लाख टन में तथा 2015-16 तक 252 दस लाख टन में वृद्धि कर चुका है।

- कपास, गन्ना, तैलीय बीज, सब्जियाँ, फल, दूध तथा इसके कृषि उत्पाद के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुयी है। इससे अति आवश्यक देश की खाद्य सुरक्षा साकार हुयी है।
- 3) उद्योग धन्धों में अभिवृद्धि- लोह-इस्पात, यंत्र उपकरण, रासायनिक खाद सहित पूँजी लागत की सामग्री के उत्पादन संबंधी उद्योग धन्धों में काफी वृद्धि हुयी है।
 - 4) आर्थिक मूलभूत सुविधाओं में अभिवृद्धि परिवहन, ऊर्जा उत्पादन, संपर्क, सिंचाई सहित सभी आर्थिक मूलभूत सुविधाओं में अभिवृद्धि सराहनीय है।
 - 5) सामाजिक मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि- शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आवास, मजदूर कल्याण, दुर्बलों के कल्याण जैसे सामाजिक मूल सुविधाओं में अभिवृद्धि भी योजनाओं के कारण हैं।
 - 6) स्वावलंबन- मूल उपयोगी सामग्री तथा खाद्य अनाज उत्पादन में भारत के स्वावलंबी बनने में योजनाओं का ही हाथ है। लोहा, ऊर्जा तथा रासायनिक खाद जैसे मूल उद्योगों को अधिक प्रधानता देकर योजना को साकार किया है।
 - 7) उद्योग निर्माण- छोटे तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना, तकनीकी शिक्षा का विस्तार, स्व उद्योग कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, बृहत् उद्योगों की स्थापना, कृषि तथा सेवा क्षेत्रों में सुधार आदि द्वारा काफी मात्रा में औद्योगिक अवसर उपलब्ध हुए हैं।
 - 8) पूँजी संचयन- आर्थिक विकास के साथ-साथ आय वृद्धि के लिए पूँजी संचयन भी बढ़ा है।
 - 9) विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान में वृद्धि - भारत ने विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में काफी प्रगति की है। और विश्व में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। भारत में इंजीनियर (अभियंता) तथा वैज्ञानिक स्वतंत्र रूप से किसी भी तकनीकी कार्य को निभाने की क्षमता रखते हैं।
 - 10) सामाजिक न्याय- भारतीय योजनाओं का मूल उद्देश्य विकास के साथसाथ सामाजिक न्याय दिलाना था। भू-सुधार, बंधुआ मजदूरी पद्धति का निर्मूलन, ग्रामीण कर्ज को रद्द करना, निश्चित निम्नतम मजदूरी को निश्चित करना, निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना और आर्थिक अंतर को रोकने के लिए कई सोपानों द्वारा सामाजिक न्याय दिलाने का कार्य योजनाओं द्वारा किया गया है।

विफलताएं- भारतीय योजनाओं में कुछ विफलताएं हैं जिनमें प्रमुख ये है-

- 1) उत्पादन तथा आय का धीमी गति से विकास- योजनाओं में उत्पादन और आय के विकास की दर धीमी ही नहीं, निश्चित किए गए लक्ष्य से कम है।

- 2) मूल्यों (दामों) की बढ़त- आत्पादन का धीमी गति में विकास है तो जनसंख्या के तेजी से वृद्धि ने प्रत्येक योजना में मूल्यों में निरंतर बढ़त बना दी है।
- 3) बेरोजगारी में वृद्धि- योजना अवधि में बेरोजगारी की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। रोजगार के अवसर मिलने पर भी, वे युवा जनसंख्या के लिए अधिक मात्रा में नहीं थे। इस प्रकार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। वास्तव में पिछले पच्चीस वर्षों में हुये विकास को उद्योग रहित विकास कहा गया है।
- 4) गरीबी तथा असमानता की बढ़त - योजनाएँ गरीबी को कम करने में भी विफल रही हैं। गरीबी को प्रतिशत मात्रा कम तो हुयी है किंतु देश के कुल गरीबों की संख्या विश्व में सबसे अधिक मानी गयी है। असमानता भी कम नहीं हुयी है।
- 5) मूलभूत सुविधाओं की कमी- तीव्र विकास के लिए आवश्यक मात्रा में या अन्य राष्ट्रों में उपलब्ध स्तर पर परिवहन, संपर्क, ऊर्जा, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, धन की सुविधा आदि भारत में उपलब्ध नहीं है।
- 6) प्रशासन की दक्षता में कमी- भारतीय योजनाओं की एक प्रमुख कमी है दुर्बल कार्यान्वयन। प्रशासन की दक्षता में कमी, बेईमानी, पक्षपात, भेद-भाव जैसी भावनाएँ योजनाओं के सद् उद्देश्यों का बिगाडती हैं।
- 7) अपेक्षित मात्रा में निर्यात बढ़त का न होना- उत्पादन का धीमी गति में विकास, प्राचीन तकनीकों का उपयोग तथा उत्पादन दक्षता में कमी, हमारी सामग्रियाँ निर्यात बाजार प्रतियोगी नहीं है। कई वर्षों की हमारी नीति आयात नियंत्रण की ओर रही है। इन सभी कारणों से निर्यात तथा निर्यात द्वारा लाभ अपेक्षित मात्रा में नहीं है।

इस प्रकार भारतीय योजनाओं से संबंधित कई कमियाँ और असमर्थता देखी जा सकती है। योजनाएँ भलीभाँति आयोजित होने पर भी उनका कार्यान्वयन अपेक्षित रूप में नहीं हो पाया है।

आर्थिक सुधार (LPG नीति)

कई अर्थशास्त्रज्ञ भारत की आर्थिक उपलब्धि विशेषकर सार्वजनिक उद्योग की उपलब्धि के संबंध में निराश रहे हैं। 1990-91 तक भारत तीव्र आर्थिक समस्या का सामना कर रहा था। व्यापार मुक्त की काफ़ि कमी, अत्यंत कम मात्रा में विदेशी विनिमय संग्रह, धन संबंधी समस्या तथा अत्यधिक मात्रा में अरिम (पेशगी) पत्र की कमी ने आर्थिकता और जनजीवन को संकट में डाल दिया है।

इस संदर्भ में आर्थिक नीति में सुधार की आवश्यकता की भावना विस्तृत रूप से दृढ़ होकर सन् 1990 में नवीन आर्थिक नीति लागू की गयी। इस नवीन आर्थिक नीति को आर्थिक सुधार कहा गया। ये नीतियाँ उदारीकरण, निजीकरण तथा सार्वभौमिकरण पर अधिक बल देती हैं। जिससे ये संक्षिप्त में एल.पी.जी. नीति कही गयी।

अर्थ: बाजार संबंधी रुकावटों को निकालने, निजी क्षेत्रों की सहभागिता बढ़ाने, वित्तीय कमी को कम करने, निर्यात मात्रा में वृद्धि कर आयात में कमी लाने के द्वार आर्थिक विकास में सहायक नीति समूह को आर्थिक सुधार कहा जाता है।

ये नीति समूह निम्नलिखित तत्वों से पूर्ण हैं-

- 1) विदेशी लागत (पूँजी) के लिए अनुकूल लाइसेंसिंग पद्धति का निवारण और उद्योग में निजीकरण कर उदार बौद्धिक नीति।
- 2) कुछ उद्योगों में विदेशी लागत को सीधा मुक्त अनुमोदन।
- 3) भारत की निर्यात वस्तुओं को सरलता से भेजने तथा आवश्यक कच्चा माल सरलता से आयात करने की उदार आयात-निर्यात नीति।
- 4) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों के अनुसार बैंक तथा धन संबंधी क्षेत्रों की संयुक्त पुनर्रचना।
- 5) कर सीमा को विस्तृत करने तथा कर आय बढ़ाने के संबंध में कर सुधार।
- 6) लागत पर सरकार का निर्बंध वापस लेना तथा सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण करना।

आर्थिक उदारीकरण भारत की आर्थिकता को तीव्र विकास की ओर ले जानें में सहायक रहा है। भारत को आज एशिया को प्रमुख आर्थिकता में एक माना जाता है। भारत में चली आ रही विदेशी लागत पूँजी में काफी वृद्धि हुयी है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत ये अपने कार्यालय बनाए हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गयी है। जो एक सकारात्मक चिह्न है। भारत सेवाओं और प्रमुख रूप से सॉफ्टवेयर और सूचना तकनीकी ज्ञान संबंधी निर्यात क्षेत्र में काफी आगे है। विप्रो, इंफोसिस, टी.सी.एस., एच.सी.एल, टेक महेंद्रा तथा अन्य कई कंपनियाँ विश्व विख्यात हैं। इसी प्रकार नवीन आर्थिक नीतियाँ भारत को उदार अथवा बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जा रही हैं। सन् 1990-91 में झेले गये कई संकटों से भारत को इस नीति ने मुक्ति दिलायी। इन सबसे अधिक 2008-09 में सम्पूर्ण विश्व के लिए ही एक पश्न बनी आर्थिक विपदा का सामना भारत ने बड़ी दृढ़ता से किया और सफल रहा।

आर्थिक अभिवृद्धि के लिए सरकार के कार्यक्रम - अधिक विकास करने के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम को कार्यान्वित किया है। जो निम्नांकित हैं:-

कुल अभिवृद्धि

1. डिजिटल इंडिया - लोगों को सरकारी सेवाएँ शीघ्र तथा तत्कालीन परिस्थिति के अनुकूल दिलाने तथा लोगों को आजकल सूचना एवं तकनीकी ज्ञान की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा दिलाना ही इसका कार्य है।

कृषि और ग्रामीण अभिवृद्धि :

1. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना :- फसलों के नष्ट हो जाने पर किसानों को दोनों (वर्ष की दो फसलें) फसलों के लिए बीमा की रकम की सुविधा प्रदान करना।
2. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना :- प्रत्येक पानी की बूंद पर अधिकतम उत्पादन जैसी पानी के सदुपयोग की सिंचाई सुविधा प्रदान करना।
3. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग निश्चित योजना :- प्रत्येक वर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क (प्रौढ़) मजदूरों को निम्नतम मजदूरी दर पर कुशलता रहित काम करने वाले उद्योग का अधिकार देना।
4. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना :- सड़क से संपर्क रहित गाँवों को सर्वकालिक सड़क निर्माण कर संपर्क स्थापित करना।

औद्योगिक अभिवृद्धि

1. मेकइन इंडिया :- 25 क्षेत्रों में भारत में उद्योग धन्धे स्थापित कर उत्पादन आरंभ कर उद्योगों की सृष्टि करने के लिए देशी और विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहन देना।
2. स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया :- प्रारंभिक स्तर पर सभी उद्योगों के लिए व्यवहार करने के लिए आवश्यक सभी प्रकार का प्रोत्साहन देना।
3. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना :- छोटे उद्योगों/स्टार्ट अप के लिए शिशु, किशोर, युवा वर्गों में 50 हजार रुपयों से 10 लाख रुपयों तक औद्योगिक अभिवृद्धि के लिए सरल नियमों पर कर्ज उपलब्ध कराना।

सामाजिक क्षेत्र:-

1. स्वच्छ भारत अभियान :- महात्मा गाँधीजी के स्वप्न 'स्वच्छ और स्वस्थ' भारत का निर्माण करना।
2. कौशल भारत (स्किल इंडिया) :- युवाओं को उद्योग प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशलों का प्रशिक्षण देने के द्वारा या उन कौशलों को प्राप्त करने के लिए धन सहायता प्रदान करना।
3. प्रधान मंत्री जन-धन योजना :- यह धन संबंधी संग्रह की लक्ष्यप्राप्ति के लिए राष्ट्रीय अभियान है। इसके तहत धन सेवाओं जैसे बचत तथा भुगतान, धन स्थानांतरण, कर्ज, बीमा, पेंशन (निवृत्ति धन) आदि को बैंक खातों द्वारा प्राप्त करने की सहायता प्रदान करना।
4. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना :- यह जीवन बीमा सभी को कम दर में उपलब्ध कराने की योजना है। 18 से 50 वर्ष की आयु वाले अत्यंत कम प्रीमियम देकर जीवन बीमा का लाभ उठा सकते हैं।
5. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना :- यह दुर्घटना बीमा योजना है। जिसके तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति कम खर्च में इस बीमा का लाभ उठा सकते हैं।
6. अटल पेंशन योजना :- इस योजना में असंघटित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को 1000 रुपए से 5000 रुपए तक पेंशन की रकम उनकी देन के आधार पर देने का उद्देश्य है।

नगर अभिवृद्धि :

1. नगर पुनरुत्थान तथा परिवर्तन का अटल अभियान :- जन केंद्रित नगर योजना तथा अभिवृद्धि द्वारा नगरों में जीवन की स्थिति में सुधार लाना।
2. प्रधान मंत्री आवास योजना :- यह नगर प्रदेशों में रहने वाले गरीबों को कम खर्च में घर दिलाने की योजना है।
3. स्मार्ट सिटी अभियान :- यह पूरे देशमें 100 नगरों को नागरिक स्नेही तथा सुस्थिर रूप में विकसित करने की योजना है। भारत देश कई प्रकार से विकसित ही नहीं हो रहा बल्कि कई विकसित राष्ट्रों से अधिक दर पर विकास कर चुका है। और भविष्य के आर्थिक सुपर पावर की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार भी जनता के कुशल क्षेम बढ़ाने की कई योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

अभ्यास

I. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:-

1. योजना आयोग को _____ वर्ष स्थापित किया गया।
2. बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि _____ थी।
3. कुल राष्ट्रीय आय की गणना करने पर विश्व का प्रथम _____ राष्ट्रों में यह एक है।
4. भारत में वर्तमान गरीबी की मात्रा _____ के समान है।
5. कई वर्षों तक भारत की आर्थिक नीति _____ थी।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो-तीन वाक्यों में लिखिए :-

1. योजना की व्याख्या कीजिए।
2. भारतीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्यों की सूची बनाइए।
3. भारतीय योजनाओं की प्रमुख विफलतायें क्या हैं?
4. 1990-91 में भारत की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए।
5. आर्थिक उदारीकरण के तहत प्रमुख अंशों की सूची बनाइए।

III. क्रियाकलाप

1. वर्तमान में लागू विकास कार्यक्रमों से संबंधित एक चित्र तैयार कीजिए तथा इसके बारे में चित्रों के साथ चर्चा कीजिए।
2. कर्नाटक सरकार की अभिवृद्धि (विकास) तथा जनकल्याण कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं संग्रह कीजिए।

IV. प्रदत्तकार्यख

1. आर्थिक सुधार के बाद भारत की आर्थिकता जिस अर्थिक विकास के दौर से गुजरी है उसके बारे में 1000-1500 शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए।



व्यवहार और उद्यम

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

- व्यवहार के उद्देश्यों को समझना।
- व्यवहार के विभाग: देशीय व्यापार, विदेशी व्यापार, पुनःनिर्यात, व्यापार का अर्थ प्रकार और महत्व को समझना।
- उद्योग धन्धे: प्रकार
- गृहोद्योग और छोटे (लघु) उद्योग।
- व्यवहार, व्यापार तथा उद्योग धन्धों की समस्याएँ।
- व्यवहार नीति के तत्वों को पहचानना।

व्यवहार एक प्रमुख आर्थिक प्रक्रिया है। इसमें मुख्य रूप से वस्तुओं के उत्पादन, ग्राहकों की सेवा आपूर्ति के बारे में विचार किया जाता है। व्यवहार- एक व्यापार, उद्योग या वृत्ति संबंधी क्रिया कलापों से संबंधित एक संस्था है। व्यापार लाभदायक या लाभ न मिलने की संस्था होता है।

स्टीफन्सन के अनुसार व्यवहार-लाभ और संपत्ति को प्राप्त करने के लिए निरंतर वस्तुओं का उत्पादन करने या बेचने या खरीदने की प्रक्रिया है। जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्यों से पूर्ण है।

व्यवहार के मुख्य रूप से दो उद्देश्य होते हैं। वे हैं:

1. आर्थिक उद्देश्य

2. सामाजिक उद्देश्य

1. आर्थिक उद्देश्य: व्यवहार का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ प्राप्त करना ही नहीं बल्कि न्याययुक्त लाभ प्राप्त करने के साथ व्यवहार को व्यवस्थित रूप से चलाना और सुखी जीवन व्यतीत करना भी होता है। व्यवहार में अनेक वस्तुओं का उत्पादन करके ग्राहक तक पहुँचाया जाता है। संसाधन का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। समयानुसार, ग्राहकों की इच्छानुसार वस्तुओं की अपूर्ति करता है। नये नये आविष्कारों द्वारा उत्पादन में परिवर्तन लाकर नये उत्पादनों के बारे में विज्ञापनों द्वारा ग्राहकों को जानकारी दी जाती है।

2. सामाजिक उद्देश्य: व्यवहार में देश के प्रगति पूरक वस्तुओं का उत्पादन होता है। लोगों को नौकरी मिलती है। मजदूरी से उनका जीवन स्तर उत्तम बनता है। कर संग्रह से (TAX) सरकार की आमदनी बढ़ती है। देश की प्रगति होती है। विद्यालय, समुदाय भवन, चिकित्सालय, खेल मैदानों का निर्माण होता है। इस प्रकार व्यवहार सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

व्यापार, उद्यम और सेवा: व्यापार वाणिज्य क्षेत्र का एक भाग है। वस्तुओं को खरीदकर बेचने को व्यापार कहते हैं।

व्यापार को तीन भागों में विभजित कर सकते हैं, वे हैं-

1. आंतरिक अथवा देशीय व्यापार
2. विदेश अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
3. पुनःनिर्यात व्यापार

1. आंतरिक अथवा देशीय व्यापार: देश की सीमा के भीतर चलने वाला व्यापार देशीय व्यापार कहलाता है। इस के अंतर्गत छोटे (लघु) फुटकर विक्रेता और थोक विक्रेता (होलसेल) आते हैं।

छोटे व्यापारी (लघु या फुटकर विक्रेता): सामान्यतः इन प्रकार के विक्रेता ग्राहकों के निवासों के समीप अपना व्यापार चलाते हैं। ये लोग होलसेल (थोक) विक्रेताओं से बड़ी मात्रा में चीजों को खरीदकर छोटी मात्रा में ग्राहकों को बेचते हैं। छोटे व्यापारी (विक्रेता), बड़े विक्रेता और ग्राहकों के बीच में पुल का काम करते हैं। कई बार व्यवहार में होनेवाले नुकसान को खुद भरते हैं। ग्राहकों की इच्छानुसार, मात्रानुसार वे वस्तुओं का विक्रय करते हैं। ग्राहकों को कर्ज भी देते हैं। बाजार या मार्केट में आनेवाले नये वस्तुओं की जानकारी ग्राहकों को देते हैं। निर्धारित वस्तु के न मिलने पर पर्याय वस्तुओं को लेने की प्रेरणा देते हैं। छोटा व्यापार अनेक रूपों में चलता है। जैसे स्थायी दुकान और संचारी विक्रेता आदि।

स्थायी दुकान: निर्धारित स्थान में स्थायी रूप से दुकान खोल कर व्यापार करते हैं। जो विक्रेता (दुकानदार) कहलाते हैं।



संचारी विक्रेता (व्यापारी): इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता। अलग अलग प्रकार के विक्रेता या व्यापारी होते हैं। सिर पर ढोकर (लादकर) बेचनेवाले व्यापारी या विक्रेता, ठेलने की गाड़ियों के द्वारा बेचनेवाले व्यापारी, सड़कों के किनारे बेचनेवाले व्यापारी, (मार्केट या बाजार के व्यापारी) साधारण व्यापारी आदि।



सिरपर ढोकर बेचनेवाले व्यापारी

सिरपर ढोकर बेचनेवाले व्यापारी: ये लोग सिर पर लादकर गली-गली में घूमते हुये ग्राहकों के द्वार पर लाकर वस्तुओं को बेचते हैं। उदा: सब्जी बेचनेवाले, फूल बेचनेवाले आदि।



ठेला व्यापारी

ठेला व्यापारी : ये लोग वस्तुओं को गाड़ी में भरकर ठेलते हुये गलियों में घूमकर घर के द्वार पर वस्तुओं को ले जाकर बेचते हैं।



रास्तों के किनारे बेचनेवाले व्यापारी

रास्तों के किनारे बेचनेवाले व्यापारी: सड़क के किनारे, अधिक भीड़-भाड़ में अथवा जहाँ लोगों की संख्या ज्यादा होती है। ऐसी जगहों में जाकर वस्तुओं को बेचते हैं। सड़कों के किनारे, अपने सामानको फैलाकर व्यापार करते हैं।

मेले के साधारण व्यापारी (विक्रेता): कुछ गाँवों में सप्ताह अथवा हफ्ते में एक बार बाज़ार लगता है। वहाँ अपने वस्तुओ को ले जाकर गाँवों में बेचते हैं। ऐसे विक्रेता सामान्य रूप से स्वतः उत्पादित वस्तुओं को ऐसे बाज़ारों में बेचते हैं। उदा: सब्जी, अंडे, माखन, घी, लोहे के औजार (आयुध) टोकरी, कंबल आदि। इनसे प्राप्त पैसों में वे मनपसंद वस्तुओं को

खरीदते हैं। इसके अलावा साल में एक बार कुछ गाँवों में मेला या हाट होता है, वहाँ भी ऐसे अनेक वस्तुओं को ले जाकर बेचते हैं।



साधारण व्यापारी

थोकमाल का व्यापार (Wholesale Trade): इस प्रकार के व्यवहार में व्यापारी अधिक मात्रा में उत्पादकों से वस्तुओं को खरीदकर छोटे व्यापारियों को (खुदरे फुटकर व्यापारी) बेचते हैं। थोक व्यवहार करनेवाले व्यापारी एक या दो प्रकार की वस्तुओं को बेचते हैं। छोटे व्यापारियों को वे कर्ज देते हैं। उनसे ज्यादा लाभ नहीं लेते। छोटे व्यापारियों को मार्केट का विवरण देते हैं। उत्पादकों को भी ग्राहकों की इच्छा के बारे में जानकारी देते हैं। अपनी तरफ से उनके भी विज्ञापन देते हैं। उत्पादित वस्तुओं के संग्रह करने में मदद करते हैं।

विदेश व्यापार: दो देशों के बीच में चलनेवाला व्यापार विदेशी व्यापार अथवा व्यवहार कहलाता है। विदेशी व्यापार को तीन भागों में विभाजित करते हैं, वे हैं-

आयात, निर्यात, पुनःनिर्यात

आयात : कोई देश अपने उपयोग के लिए दूसरे देश से वस्तुओं को खरीदता है तो उसे आयात कहते हैं।

निर्यात: कोई देश दूसरे देश के लिए अपनी वस्तुओं को बेचता है तो उसे निर्यात कहते हैं।


पुनःनिर्यात: कुछ देश दूसरे देशों से वस्तुओं को खरीदकर उसे और किसी देश को बेचते हैं, इसे पुनर्निर्यात कहते हैं। उदा: सिंगापुर, मध्य एशिया के कुछ देश। आजकल अनेक देश ऐसा ही कर रहे हैं।

विदेशी व्यापार की आवश्यकता: कोई भी देश क्यों न हो पूर्ण रूप से संसाधन प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ देशों में कुछ संसाधन अधिक मात्रा में मिलते हैं, तो कुछ देशों में कम। संसाधन से अनेक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अपने देश की माँग पूर्ण होते ही दूसरे देश को निर्यात करते हैं। जिस देश में संसाधन की कमी है वह देश आवश्यकतानुसार दूसरे देश से वस्तुओं को निर्यात कर लेता है। इसलिए प्रत्येक देश के

बीच व्यवहार अथवा व्यापार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के व्यवहारों से देशों के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित होता है।

उद्यम: कोई देश अपने उपयोग के लिए दूसरे देश से वस्तुओं को खरीदता है तो उसे आयात कहते हैं।

प्राथमिक उद्यम: इस प्रकार के उद्यम में प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है। उदा : कृषि, मत्स्योद्यम, दुग्धउद्यम, खनिज उद्यम आदि। इन उद्यमों को आनुवंशिक उद्यम अथवा कच्चा माल बाहर निकालनेवाला उद्यम जाता है।



अ) आनुवंशिक (जिनेटिक) उद्यम: इस प्रकार के उद्यम में अनाज, वनस्पति, प्राणियों का पुनरुत्पादन होता है। उनके विक्रय से लाभ प्राप्त करके संपत्ति का विकास कर सकते हैं। उदा : वनस्पति उद्यम (horticulture), बागवानी, मुर्गीपालन आदि।

आ) खदान उद्यम (mining) : इस प्रकार के उद्यम में पृथ्वी के तल से अनेक वस्तुओं को निकाला जाता है। (इसे खतम होनेवाला उद्यम कहते हैं) उदा : कच्चा माल निकालना, तैलकूप आदि।

द्वितीय/माध्यमिक उद्यम : यह मानव पर अवलंबित होता है। यह श्रमप्रधान उद्यम है। इस प्रकार के उद्यमों को उत्पादन उद्यम, निर्वहण उद्यम कहा जाता है।

अ) उत्पादन उद्यम : इन उद्यमों में कच्चे पदार्थों को अंतिम रूप दिया जाता है। यहाँ मानव संसाधन का ज्यादा उपयोग होता है। ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति इन उद्यमों से होती है। उदा : लोहे को इस्पात में परिवर्तन करना, गन्ने को शक्कर का रूप देना आदि।


आ) निर्वहण उद्यम : रास्ता, पुल, नाले आदि मूल सुविधाओं को उपलब्ध कराने का कार्य इन उद्यमों में होता है। ऐसे उद्यमों से परिवहन और संपर्क क्षेत्र की अभिवृद्धि में सहायता मिलती है।

गृहोद्योग और छोटे उद्यम

इन्हें 'कुटीर उद्यम' भी कहा जाता है। दस्तकार अपने घरों में निर्माण करते हैं। परिवार के अन्य सदस्य उन्हें मदद करते हैं। इनमें काम सीखनेवाले प्रशिक्षु (रॉशिपींळलश) भी रहते हैं। ऐसे उद्यमों का प्रधान केंद्र गाँव में होता है। स्थानीय मार्केट के लिए ऐसे उद्यमों से वस्तुओं का उत्पादन होता है। उदा : बाँस की टोकरियाँ, सूप, लकड़ी के सामान, चटाई, पत्थरों की शिल्पकारी (छेनीकारी), कुम्हार का काम घड़े बाँस की वस्तुएँ, लोहे के उपकरण, हांडी आदि।

छोटी मात्रा के उद्यम-

इनकी स्थापना निश्चित स्थानों में होती है। यहाँ मजदूर, कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। यहाँ कच्चा माल संग्रह करके कर्मचारियों से वस्तुओं का उत्पादन कराते हैं। छोटे यंत्र और विद्युत का उपयोग करते हैं। यहाँ उत्पादित वस्तु स्थानीय मार्केट और विदेशी मार्केटों को रवाना होती है। उदा : रसायनिक वस्तु, इंजिनियरिंग वस्तुएँ, जूते, साइकिल, रेडियो, सिलाई की मशीन आदि।



गृहोद्योग (कुटीर उद्योग)

व्यवहार व्यापार उद्यम की समस्याएँ-

व्यवहार की सुगमता के लिए अनेक पूरक सेवाओं का जन्म हुआ। इन्हें वाणिज्य साधन कहते हैं। उत्पादित स्थान से उपकरण ग्राहकों तक पहुँचाने में अनेक बाधाएँ अथवा मुश्किलें होती हैं। उनमें से मुख्य हैं - स्थानीय मुश्किलें, नुकसान का भय, समय का अभाव, आर्थिक कमी, समझदारी का अभाव, इन बाधाओं के निवारण के लिए अनेक सेवा प्राप्त होती हैं। इन्हें पूरक सेवा कहा जाता है।

• स्थान की समस्या-परिवहन

स्थान की समस्या के निवारण के लिए परिवहन सेवा का उपयोग कर लिया जाता है। मार्ग परिवहन, रेल परिवहन, जलपरिवहन, वायु परिवहन आदि माध्यमों से ग्राहकों को उत्पादित वस्तुओं को पहुँचाया जाता है।

• आर्थिक सेवा बैंक

उत्पादकों के द्वारा ग्राहकों तक वस्तुओं का वितरण करते वक्त आर्थिक समस्या आ सकती है। हर एक अवस्था में पैसे की आवश्यकता उद्यम क्षेत्र में होती है। ऐसी स्थिति में बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं के द्वारा इस समस्या का निवारण किया जाता है। बैंकों के द्वारा व्यापारियों को अधिक मात्रा में आर्थिक सुविधा होती है ऐसी सेवाओं से व्यवहार में सुगमता आती है।

• नुकसान का भय - बीमा कंपनी

उपकरण अथवा वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुँचाते वक्त अथवा उनको माल गोदामों में संग्रह करके रखने से नुकसान होने की भी संभावना होती है। ऐसे नुकसान की समस्याओं का निवारण बीमा कंपनियों से होता है। जिनमें मुख्य रूप से अग्नि बीमा, और जल बीमा आदि। इस प्रकार बीमा कंपनियों से भी व्यवहार में सुगमता आती है।

समय की असुविधा या अभाव- संग्रह

वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग में समय का अंतर रहता है। ऐसे समय में वस्तुओं का गोदामों में संग्रह करना पड़ता है। ये गोदाम वैज्ञानिक रूप से निर्मित रहते हैं। कुछ गोदामों में अलग से संग्रह करने की सुविधा भी रहती है।

ज्ञान की कमी - विज्ञापन

उत्पादकों के द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तुओं को वितरण करते वक्त वस्तुओं के बारे में जानकारी देनी पड़ती है। नए वस्तुओं के उत्पादन में अथवा बदली (पूरक वस्तु) वस्तुओं का उपयोग के संदर्भ में विज्ञापन सेवा से ज्ञान देकर व्यापार को सेवा प्रदान करना इसका अंग है।

व्यवहार की नैतिकता-

सामान्य रूप से हम सोचते हैं कि व्यवहार का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है। यह ठीक नहीं। व्यवहार में न्यायोचित लाभ होना चाहिए। व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। यह ग्राहकों को वस्तु और सेवा की पूर्ति करता है। व्यापारी को व्यवहार के लिए जितना लाभ चाहिए उतना ही लेना है। ऐसा करना “वृत्तिधर्म” कहलाता है। व्यवहार भी एक सामाजिक सेवा है। आजकल व्यवहार में लाभखोरी (मुनाफाखोरी) की इच्छा ज्यादा होने के कारण कुछ व्यापारी अनीति का मार्ग अपनाते हैं। ऐसे अनीतियों में कुछ उदाहरण है - अवैध (मिलावटी), अधिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा, तोल-मापों में धोखा, अक्रम

संग्रह, चोर-बाजार में वस्तुओं को बेचना आदि मार्गों को अपनाने से ग्राहकों को असुविधा होती है। व्यवहार में इस प्रकार की अनीति न अपनाते हुए सामाजिक सेवा की मनोभावना से काम करना चाहिए।

ऐसे अनिष्ट पद्धतियों को दूर करने के लिए सरकार सार्वजनिक वितरण पद्धति को लायी है। वस्तु वितरण से संबंधित कानून की रचना हुई है। उत्पादित वस्तुओं पर उत्पादन की तारीख, समाप्ति की तारीख को स्पष्ट रूप से अंकित करना पड़ता है। तोल और माप पर गरिष्ठ मूल्य अंकित करना होता है। पदार्थों की मानक स्तर (standard) की रक्षा के लिए सरकार के द्वारा भारतीय मानक संस्था की स्थापना हुई है। यह संस्था वस्तुओं पर (ISI) चिह्न छपता है। कृषि उपकरणों की मानक स्थिति को पहचानने के लिए AGMARK (एगमार्क) चिह्न छपाई को अनिवार्य बनाया है। सरकार के द्वारा ग्राहक सहकारी संघों और जनता बाजारों की स्थापना हुई है। इतने कानून बनाने के बाद भी 'वृत्तिधर्म' मनोभावना के बिना व्यवहार में धोखाधड़ी चलती ही रहती है। ऐसा 'वृत्तिधर्म' जबरदस्ती अथवा कानून के द्वारा लाया नहीं जा सकता। आत्मानुशासन से आता है। व्यवहार में षडयंत्र नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर व्यवहार चलाना चाहिए।

अभ्यास

I. रिक्त स्थान भरिए।

1. पुनर्निर्यात व्यापार के लिए _____ नगर मुख्य निदर्शन है।
2. गृहोद्यम सामान्यतः _____ में केंद्रीकृत होते हैं।
3. रासायनिक वस्तुओं का उत्पादन _____ उद्यमों में होता है।
4. व्यापार का मुख्य उद्देश्य _____ लाभ प्राप्त करना है।
5. पदार्थों के मानक स्तर की रक्षा के लिए _____ संस्था की स्थापना हुई है।

II. दो-चार वाक्यों में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

1. संचारी दूकानों / व्यापारों के विविध प्रकार कौन-से हैं ?
2. थोकमाल व्यापार (wholesale) किसे कहते हैं ?

3. विदेशी व्यापार के तीन प्रकारों को समझाइए ।
4. गृहोद्यम और छोटे उद्यमों से उत्पादित वस्तुओं के बारे में समझाइए।
5. स्थानीय अभाव और नुकसान के भय के निवारण के लिए कौन-सी सेवाओं की स्थापना हुई है?
6. लोभी व्यापारियों के द्वारा चलायी जानेवाली कुछ अनीतियों का विवरण दीजिए।
7. व्यापार की अनीतियों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कौन-से मार्ग अपनाये गये है?

III. सात-आठ वाक्यों में उत्तर लिखिए ।

1. व्यवहार के आर्थिक उद्देश्य कौन-से हैं?
2. व्यवहार के सामाजिक उद्देश्यों के बारे में लिखिए ।
3. फुटकर व्यापार (छोटे व्यापार) की सेवाओं को लिखिए।
4. विविध प्रकार के छोटे व्यापारों का नाम लिखकर प्रत्येक के बारे में दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए।
5. उद्यम के दो प्रकारों का स्थूल परिचय दीजिए।
6. एक देश के लिए विदेशी व्यापार की कितनी आवश्यकता होती है विवरण दीजिए।

IV. क्रिया कलाप

1. अपने निकट स्थल के किसी हाट या मेले में जाकर वहाँ होने वाले व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त कर एक निबंध लिखिए।



विविध व्यावहारिक संघटन

इस अध्याय के अध्ययन के बाद निम्नांकित अंशों को समझेंगे ।

- व्यवहार संघटनों के प्रकारों का परिचय प्राप्त करना।
- एक व्यक्ति के मालिकत्व और हिस्सेदारी (भागीदारी) व्यवहार संस्थाओं का स्वरूप, प्रकार, सुविधा तथा असुविधाएँ।
- भागीदार संस्थाओं का पंजीकरण समझना ।
- भारत के हिंदू अविभक्त व्यवहार परिवारों के बारे में परिचय पाना।

प्रस्तुत समाज में अनेक प्रकार के व्यवहार संघटनों को हम देख सकते हैं उन्हें चार भागों में विभाजित किया जाता है जो निम्नलिखित है।

1. एक व्यक्ति मालिकत्व की संस्थाएँ
2. भागीदारी संस्थाएँ (संघटन)
3. हिंदु अविभक्त पारिवारिक संस्थाएँ
4. सहकारी संघ
5. साझेदारी पूंजी निवेश संस्थाएँ

इस अध्याय में निजी संघटन के प्रमुख प्रकार जैसे- एक मालिकत्व, भागीदारी संस्थाएँ आदि का परिचय प्राप्त करेंगे-

1. एक व्यक्ति मालिकत्व संस्था

ऐसी संस्था एक व्यक्ति द्वारा चलायी जाती है। वही संचालक, नियंत्रक, पूंजी निवेशक और लाभ-नुकसान का अकेला ही जिम्मेदार होता है।

विशेषताएँ/लक्षण: ये प्राचीन व्यावहारिक संगठन है। इनको आसानी से स्थापित किया जाता है। अकेला व्यक्ति इसका मालिक होता है। मालिक के लाभानुसार इनका निर्वहण होता है। इसके मालिक खुद पूंजी निवेश करके स्वकुशलता से व्यवहार करते हैं। इनके प्रारंभ करने या बंद करने पर कोई कानून की पाबंदी नहीं होती। हर प्रकार का लाभ नुकसान उस एक व्यक्ति पर निर्भर रहता है। अपने परिवार के सदस्यों की सहायता लेता है। कई संदर्भों में नौकरों को भी नियुक्त कर लेते हैं। ये संस्थाएँ सामान्यतः छोटी होती हैं। आजकल

बड़ी मात्रा में भी ऐसी संस्थाओं का संगठन हो रहा है।

एक व्यक्ति मालिकत्व संस्था की सुविधाएँ :

- इनकी स्थापना में कानून की आवश्यकता नहीं होती।
- खुद अपने पैसों से इनको प्रारंभ कर सकते हैं।
- दैनिक व्यवहार भी आसान होता है।
- लाभ और नुकसान एक व्यक्ति पर निर्भर होता है।
- ग्राहकों के साथ मालिकों का सीधा संबंध होता है।
- इनके द्वारा अनेक सामाजिक सेवा भी प्राप्त होती हैं। जैसे, कुछ लोगों को काम मिलता है।
- संपत्ति और आर्थिक अधिकार शक्तियों के बँटवारे में मदद मिलती हैं।
- ग्राहकों की प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करते हैं।
- ये समयानुसार सरकार को कर देते हैं।
- शीघ्र निर्णय लेते हैं।
- व्यवहार गोप्यता का निर्वाह करते हैं।
- अपनी आलोचना और कल्पना शक्ति के अनुसार काम करते हैं।

एक मालिकत्व संस्था के दोष : ये संस्थाएँ अपनी कुछ पूंजी निवेश संबंधी सीमा से बाहर नहीं आ सकती है। इनमें प्रमुख हैं-

- सीमित पूंजी होने के कारण इन्हें विस्तृत रूप में विकसित करने में कठिनाई होती है।
- प्रशासनिक कुशलता भी सीमित होती है।
- सदैव एक व्यक्ति की तुलना में दो या उससे अधिक व्यक्तियों का निर्णय लेना उचित होता है। जो यहाँ अथवा ऐसी संस्थाओं में संभव नहीं।
- सभी प्रकार की हानि/नुकसान अथवा जिम्मेदारी को एक ही व्यक्ति को उठाना पड़ता है।
- मालिक के निधन या दिवालिया हो जाने पर संस्था को बंद करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

हिस्सेदारी या भागीदारी व्यावहारिक संस्था: एक व्यक्ति मालिकत्व की सीमा से बाहर

आकर अनेक प्रकार की व्यवहार संस्थाओं अस्तित्व में आयीं। ऐसे संगठनों में एक से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवहार करते हैं। ऐसी संस्थाओं की स्थापना से संबंधित कानून 1932 में अस्तित्व में आया। इस कानून (संहिता) के परिच्छेद 4 के अनुसार सब लोगों की ओर से एक व्यक्ति व्यवहार करता है। लाभांश को सब लोग मिलकर बाँट लेने से संबंधित भागीदारी होती है। आर्थिक व्यवहार में निम्नतम दस लोगों की भागीदारी और सामान्य भागीदारी या हिस्सेदारी से संबंधित व्यवहार करना हो तो अधिकतम बीस लोगों की हिस्सेदारी होती है। इन्हें हिस्सेदारी या भागीदारी संस्था कहते हैं।

भागीदारों के प्रकार: भागीदारों के अनेक प्रकार होते हैं, उनमें मुख्य है :

सक्रिय भागीदार: ऐसे भागीदार निश्चित पूंजी जमा करते हैं। लाभ नुकसान को अनुपात के अनुसार बाँट लेते हैं। संस्था के दैनिक कारोबार को (Affairs) सक्रियता से चलाते हैं।

तटस्थ/निष्क्रिय साझेदार अथवा भागीदार: ऐसे भागीदार पूंजी जमा करते हैं। लेकिन दैनिक कारोबार में सक्रिय रूप में भाग नहीं लेते। अनुपात के अनुसार लाभांश लेते हैं। उसी प्रकार नुकसानों की जिम्मेदारी भी लेते हैं।

नाममात्र अथवा सांकेतिक साझेदार: ऐसे लोग कोई पूंजी के भागीदार नहीं होते। सक्रिय रूप से दैनिक कारोबार में भाग नहीं लेते। किसी प्रकार के लाभ के हकदार भी नहीं होते। कर्ज में अनुपातनुसार उत्तरदायी होते हैं।

अवयस्क साझेदार: 18 वर्ष कम आयु के व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकते। लेकिन सभी साझेदारों की सम्मति से पारस्परिक समझौते के अनुसार अवयस्कों को भी साझेदार बना सकते हैं। ऐसे लोग लाभांश मात्र लेते हैं। नुकसान के उत्तरदायी नहीं होते। नयी साझेदारी संस्थाएँ अवयस्कों को शामिल नहीं करती।

इन प्रकारों के अलावा रहस्य साझेदार, सीमित साझेदार, आंशिक साझेदार, लाभांश के साझेदार आदि भी होते हैं।

साझेदारी भागिता पत्र (विलेख) (Partnership Deed)

सामान्यतः इस प्रकार के पत्र लिखित रूप में होते हैं। कई बार ये मौखिक भी होते हैं। ऐसे भागिता पत्र दस्तावेजी कागजों में लिखे जाते हैं। संस्थातर संस्थाओं के भागितापत्रों में अंतर रहता है। ऐसे पत्रों में सामान्यतः संस्था का नाम, साझेदारों का नाम तथा पता व्यवहार का स्थान, स्वरूप, यदि उपशाखाएँ हों, तो उनका पता, स्थापित दिनांक, साझेदारों की पूंजियों का विवरण, लाभ-नुकसानों का अनुपात, हर साझेदार का कर्तव्य, कार्यों का वर्गीकरण, नये साझेदारों की नियुक्ति में अपनानेवाले नियम, साझेदार की मृत्यु अथवा निवृत्ति के बाद सद्भाव निर्णय के विधान, साझेदारों को भिन्न अभिप्रायों के समधान के

क्रम आदि विषयों को रखा जाता है।

साझेदारी संस्थाओं की सुविधाएँ -

1. इसे आसानी से स्थापित कर सकते हैं। इन संस्थाओं का पंजीकरण साझेदारों के ऐच्छिक निर्णय पर अवलंबित होने के कारण आसानी से स्थापित किया जा सकता है।
2. **अधिक पूंजी:** संस्था में अधिक व्यक्ति होने के कारण पूंजी भी अधिक लगायी जाती है।
3. **अधिक निपुणता:** इस संस्था में दो से अधिक मालिक होने के कारण श्रम का बंटवारा होता है। इससे अधिक निपुणता आती है।
4. **विश्वसनीयता:** साझेदारों की अपरिमित जिम्मेदारी के कारण संस्था की विश्वसनीयता बढ़ती है।
5. **नुकसानों का बंटवारा:** ऐसी संस्थाओं में अनुपातानुसार लाभ-नुकसानों का बंटवारा होने के कारण एक ही साझेदार पर नुकसान का बोझ नहीं पड़ता।
6. **व्यावहारिक रहस्य:** इन संस्थाओं के लेखा-जोखाओं को सार्वजनिकों के सामने प्रकट करने की पाबंदी न होने के कारण व्यावहारिक रहस्य होता है।
7. **सरल सामाप्ति/अलग होना:** इस संस्था का विसर्जन भी आसानी से होता है। कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को 14 दिन के पहले सूचना दे सकता है। अथवा सहभागीदार की सम्मति से मुक्त हो सकता है।

साझेदारी व्यावहारिक संस्था के दोष-

1. साझेदारों के बीच पारस्परिकता न होने के कारण झगड़े हो सकते हैं। विवाद हो सकते हैं।
2. साझेदारों की संख्या सीमित होने के कारण पूंजी भी सीमित होती है।
3. नुकसान की जिम्मेदारी अपरिमित होने के कारण अधिक लोग साझेदारी से या भागीदारी से पीछे हटते हैं।
4. कुछ साझेदारों की अजागरूकता, अविवेकपूर्ण निर्णय संस्था के गतिरोध का कारण बनता है।
5. साझेदारी संस्था में स्थिरता का अभाव होता है। किसी एक साझेदार के निधन

होने से अथवा दिवालिए से संस्था को भंग करना पड़ना है।

6. साझेदार अपने शेयर दूसरे साझेदार को हस्तांतरित नहीं कर सकता।
7. सरकारी नियंत्रण न होने के कारण लेखा-जोखाओं को प्रकटित करने की पाबंदी न होने के कारण लोगों का सहारा नहीं मिल पाता।
8. दो या अधिक साझेदारों के कारण व्यवहार का रहस्य निर्वहण आसान नहीं होता।

साझेदारी संस्थाओं का पंजीकरण: एक व्यक्ति मालिकत्व के संस्थाओं की स्थापना में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। 1932 की साझेदारी संस्था के कानून के अनुसार साझेदारी संस्थाओं की स्थापना के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होती है। लेकिन कोई पाबंदी नहीं है। पंजीकरण करना या न करना साझेदारों के निर्णय पर अवलंबित होता है। किसी भी संदर्भ में पंजीकरण किया जा सकता है। निश्चित आवेदन पत्र द्वारा सटीक विवरण भरकर निश्चित शुल्क भरकर सरकार द्वारा नियुक्त पंजीकरण अधिकारी को देना पड़ता है। पंजीकरण अधिकारी विवरणों को जाँचकर संस्था के नाम पंजीकरण प्रमाणपत्र देते हैं।

संस्थाओं के पंजीकरण के उपयोग :

- पंजीकृत संस्था 100 रु से अधिक कर्ज वसूली के संबंध में तीसरे व्यक्ति पर कोर्ट में दावा कर सकता है।
- पंजीकृत संस्था कर्ज वसूली में अन्य साझेदार के विरुद्ध भी मुकद्दमा कर सकता है।
- अपंजीकृत संस्थाओं पर या उनके साझेदारों के विरुद्ध कोई तीसरा व्यक्ति मुकद्दमा कर सकता है।
- अपंजीकृत संस्था अथवा उसके साझेदारों के विरुद्ध कोई भी साझेदारी संस्था के भंग के लिए अथवा लेखा निर्णय के लिए न्यायालय में मुकद्दमा लड़ सकता है।

हिंदू अविभक्त पारिवारिक व्यवहारिक संस्था: इस प्रकार के संस्था केवल भारत मात्र में अस्तित्व में है। यह हिंदू कानून के अनुसार जारी किये जाते हैं। यह हिंदू परिवार के पुरुषों द्वारा स्थापित संस्था हैं। लगातार तीन पीढ़ी से चले आये पुरुष ही इस संस्था के सदस्य बनते हैं। अविभक्त परिवार का अत्यंत बुजुर्ग सदस्य इस संस्था के व्यवहार की जिम्मेदारी लेता है। उसे 'कर्ता' कहते हैं। सभी सदस्यों का मालिकत्व होने पर भी प्रशासन 'कर्ता' ही चलाता है। कर्ता की जिम्मेदारी अपरिमित होती है। अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी उनकी पूंजी तक ही सीमित रहती है।

अभ्यास

I. निम्नलिखित खाली जगह को उचित शब्दों से भरिए :

1. एक ही व्यक्ति द्वारा चलायी जानेवाली अथवा संचालित व्यापारी संस्था _____ कहलाती है।
2. साझेदारी संस्था के संचालन से संबंधित कानून को _____ में जारी किया गया।
3. आर्थिक व्यवहार करनेवाली साझेदारी संस्था अधिकतम _____ साझेदारों तक सीमित है।
4. हिंदु अविभक्त पारिवारिक संस्थाओं के देखरेख करनेवाले को _____ कहते हैं।
5. भारत मात्र में स्थित छोटी व्यवहार संस्था _____ है।

खख. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक-दो वाक्यों में दीजिए ।

1. छोटी व्यवहार संस्थाओं में मुख्य संस्थाएँ कौन-कौन सी हैं?
2. छोटी व्यवहार संस्था ग्राहकों की मदद कैसे करती है?
3. साझेदारी संस्था किसे कहते हैं?
4. निष्क्रिय साझेदार किसे कहते हैं? बताइए।
5. साझेदारी संस्था को भंग करना आसान है। कैसे? समझाइए।

III. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर तीन-चार वाक्यों में लिखिए ।

1. एक व्यक्ति मालिकत्व संस्था की कोई चार सुविधाएँ लिखिए।
2. एक व्यक्ति मालिकत्व संस्था के किन्हीं चार दोषों को लिखिए।
3. साझेदारी संस्थाओं की स्थापना कैसे होती है?
4. साझेदारी संस्था के विविध प्रकार के साझेदारों के बारे में लिखिए।

5. साझेदारी अथवा भागीदारी संस्था के चार सुविधाएँ लिखिए।
6. भागीदारी अथवा साझेदारी संस्था के चार दोषों के बारे में लिखिए ।
7. साझेदारी संस्था के पंजीकरण के उपयोग क्या है?
8. हिंदू अविभक्त पारिवारिक पद्धति व्यवहार संस्था के बारे में लिखिए।

IV. प्रक्रिया

1. अत्युत्तम प्रचारित किन्हीं दो विज्ञापनों का संग्रह कीजिए।

©KTBS
Not to be republished